खण्ड-283, अंक-4
गुरूवार, 7 ज्येष्ठ, शक संवत् 1892
(28 मई, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 283 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३४१–३४५
प्रश्नोत्तर	३४५–३७२
श्री कोरी सुखलाल, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना ..	३७२–३७५
श्री शिवदास के निलम्बन की समाप्ति की मांग (जारी) ..	३७५–३७८
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	३७९
उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	३७९
श्री शिवदास के निलम्बन की समाप्ति की मांग (जारी) ..	३७९–३८६
१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १८—शिक्षा (स्वीकृत)	३८६–३९३
बजट साहित्य न मिलने के संबंध में आपत्ति	३९३–३९४
१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४२—वन (स्वीकृत)	३९४–४१९
लगातार घंटी बजने के संबंध में शिकायत	४१९
सरकारी कार्य विधियों के विरुद्ध लेख लिखने व समाचार प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन न देने के संबंध में कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचना (निर्णय स्थगित)	४१९–४२०
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	४२०–४२४
विभिन्न समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम	४२४
प्रदेश में चावल तथा धान के संचरण पर प्रतिबन्ध के विषय में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	४२४–४३३
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्प कालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन (स्वीकृत) ..	४३३–४३७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २८ मई, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७६

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु , श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुसदिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ वालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुलाब सिंह, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपाल दत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमउद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री

बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलूसिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादब, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
राम चन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)

रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल श्री
रामलाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लाल्लू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजय पाल सिंह, श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहाँपुर)
शिवकुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिववचन, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री

शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्ता, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीरामसिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुखसिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम , श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खाँ, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री

नोट--खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य तथा शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार २८ मई, १९७०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ इण्डस्ट्रियल कालेज के अध्यापकों का वेतन

**१--श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के इन्डस्ट्रियल कालेज के अध्यापकों ने अपना वेतन तथा महंगाई भत्ता न मिलने के कारण परीक्षा में निरीक्षण कार्य न करने का फैसला किया है ? यदि हां, तो सरकार उनके वेतन तथा महंगाई भत्ते को दिलाने का क्या प्रबन्ध कर रही है जिससे वे निरीक्षण कार्य का वहिष्कार न करें ?

शिक्षा राज्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

जी नहीं ।

श्री रामगोपाल संड---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि वेतन और महंगाई भत्ता फरवरी, मार्च और अप्रैल का इन अध्यापकों को किन-किन तिथियों में दिया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

अलग-अलग तिथियां तो हमारे पास इस समय नहीं हैं परन्तु २०-५-७० को पिछले महीने तक का वेतन भुगतान कर दिया गया है ।

श्री रामगोपाल संड---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतायेंगी कि अध्यापकों ने वेतन न मिलने के कारण हड़ताल की नोटिस दी और यह कहा कि निरीक्षण का कार्य नहीं करेंगे और उसके बाद प्रश्न पूछा गया और बाद में उनको वेतन का भुगतान किया गया है। क्या अब वह इस बात का आश्वासन देंगी कि अध्यापकों को वेतन और महंगाई भत्ता समय पर मिला करेगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

सरकार तो यह चाहती ही है कि वेतन और महंगाई उनको समय पर मिला करे और हमारी हमेशा ही यह कोशिश रही है कि उनको वेतन नियमित रूप से मिले।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि वेतन और भत्ता समय पर दिया जाय फिर यह कहा कि सरकार निर्णय करने वाली है। क्या इसके लिये निश्चित तिथि बतायेंगी कि यह कब तक हो जायेगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

तारीख तो नहीं बता सकती ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

अध्यक्ष जी, पिछले अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि विचाराधीन है और आज कहा कि सरकार विचार कर रही है। क्या वह बतायेंगी कि इसमें दो महीने, ४ महीने या साल भर कब तक समय लग जायेगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

वेतन समय पर मिले उसके लिये क्या उपाय किया जाय, वह चेक द्वारा, या ट्रेजरी के द्वारा या दोनों ही तरह से दिया जाय, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जल्दी ही हम कुछ नियम बनाने जा रहे हैं जिससे समय पर वेतन मिल सके और उसकी विधि क्या होगी और वह भी सदन के सामने आ जायेगी कि किस प्रकार से उनको दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष---

वह पूछते हैं कि कितना समय लगेगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

समय तो दो महीने भी लग सकता है और चार महीने भी लग सकता है।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, सरकार की तरफ से दो महीने पूर्व उत्तर आया था कि इस पर विचार किया जायेगा और आज समय नहीं बताया जा रहा है। तो श्रीमन्, दो महीने, चार महीने या फायनन्शियल ईयर, कुछ निश्चित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

यह तो मैं उनसे नहीं कह सकता हूं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)--

क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि चार महीने के अन्दर यह निर्णय हो जायेगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

चार महीने से पहले भी हो सकता है।

हरिजन एवं पिछड़ी जाति कल्याण बोर्ड

**२--श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी (जिला हरदोई)--

क्या हरिजन कल्याण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा जो हरिजन पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड का गठन हुआ था, उसे समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)--

फरवरी, १९७० में पुनः गठित हरिजन एवं पिछड़ी जाति कल्याण बोर्ड समाप्त नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी--

क्या मंत्रीजी बताएंगी कि जब से इस बोर्ड का गठन हुआ है तबसे आज तक इसकी बैठक हुई है ? यदि नहीं हुई है, तो उसका क्या कारण है ?

श्रीमती विद्यावती राठौर--

हां, बैठक नहीं हुई है और उसका कारण यह है कि कोई निश्चय नहीं हो सका था। अब जल्दी बुलायी जाएगी।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--

क्या मंत्री जी का ध्यान इस तरफ गया है कि जो प्रादेशिक बोर्ड का गठन हुआ है और जो जिला स्तर पर हरिजन कल्याण समितियों का गठन हुआ है फरवरी, १९७० में, वह अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं और उप मंत्री श्री राम किंकर जी ने भी कहा था कि हां यह बात सही है ? तो क्या मंत्री जी इन जिला समितियों और प्रादेशिक बोर्ड का पुनर्गठन करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती विद्यावती राठौर--

हां, इस विषय को सोच रहे हैं कि किस तरह से काम चले और जिस तरह से सुचारूरूप से काम चलेगा उसका विचार करके गठन किया जायगा।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)--

क्या मंत्री जी बतायेंगी कि प्रदेश स्तर पर तथा जिला स्तर पर जो हरिजन सहायक समितियों का गठन किया जाता है इनका आधार क्या है ?

श्रीमती विद्यावती राठौर--

हर जिले में गांव गांव में हरिजनों के उद्धार, शिक्षण और खाने-पीने के लिये, सहायता पहुंचाने के लिये, बहुत अच्छी तरह स काम हो सके। और इनके गठन का एक तरीका बना हुआ है--

कुछ अधिकारियों में से होते हैं, कुछ का सरकार चयन करती है, कुछ एम० एल० ए० होते हैं। सब मिलकर विचार करते हैं। पिछली सरकार ने ये समितियां तोड़ दी थीं। अब उनको पुनर्गठित करने की सोच रहे हैं और जल्दी ही बना दी जायेंगी।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि कुछ जातियों को सरकार ने पिछड़े हुये वर्ग और जनजाति घोषित किया है? यदि हां, तो क्या इनके प्रतिनिधि भी बोर्ड में हैं और यदि नहीं, तो क्या उनको बोर्ड में मनोनीत करने की कृपा करेंगी?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

हां, इसका प्राविजन है और उनको विचार करते हैं और रखते हैं।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी—

क्या इस बोर्ड के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि जिस प्रकार देहात के रहने वाले हरिजनों को मकान निर्माण व गृह उद्योग के लिये अनुदान मिलता है उसी प्रकार शहर के रहने वाले मेहतरों को भी दिया जाय?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

प्राविजन सब के लिये है और इस प्रकार से पहले हुआ है। मैंने स्वयं उसको देखा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

अभी तक जो पद्धति रही है कि सत्तारूढ़ दल के लोग उस बोर्ड के सदस्य रखे गये हैं तो क्या इस पर विचार किया जायगा कि विरोधी दल के लोग भी उस बोर्ड में रखे जायं?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

हमारी तरफ से प्रयत्न किया जाता है कि सभी दलों के लोग इसमें रखे जायं। पिछली मीटिंग में भी थे आप चाहेंगे तो मैं नाम बता सकती हूं।

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

पच्छिम की कुछ जातियां ऐसी हैं जो पूर्व में शिड्यूल कास्ट नहीं मानी जाती हैं और कुछ जातियां पूर्व में ऐसी हैं जिनको पच्छिम में शिड्यूल कास्ट में नहीं माना जाता है तो यह बड़ी दुबिधा का विषय है। जो पूर्व में आये हैं उनको वह एड नहीं मिलती है। तो क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि ऐसी जातियों को छूट दी जाय?

श्री अध्यक्ष—

यह बोर्ड नहीं कर सकता है, यह सरकार करेगी।

कानपुर जिले में सम्भरपुर निवासी, देवीदीन यादव के घर कत्ल सहित डकैती

**३—श्री उपेन्द्र नाथ (जिला कानपुर) श्री उमाशंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर) श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर) तथा श्री गनेशदत्त बाजपेयी (जिला कानपुर)—

क्या गृह मंत्री को यह ज्ञात है कि श्री देवीदीन यादव, निवासी ग्राम सम्भरपुर थाना, कल्यानपुर, जिला कानपुर के मकान पर दिनांक १० अप्रैल, १९७० की रात्रि में डकैती पड़ी जिसमें डाकुओं द्वारा जेवर व हजारों रुपये नकदी की लूट करने के पश्चात् उसके परिवार के तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी गई और डकैती में जिन डाकुओं को पहचानने के बाद बादी

जब रिपोर्ट में उन्हें नामजद करने लगा तब स्थानीय पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र ने बल का प्रयोग करके वादी को रिपोर्ट में उन पहचाने हुए डाकुओं को नामजद नहीं करने दिया ? क्या गृह मंत्री को प्रश्नगत घटना के संबंध में यह भी ज्ञात है कि श्री वे देवीदीन यादव द्वारा, दो विधायकों की अनुशंसा सहित उक्त संबंध में जो शिकायती प्रार्थना-पत्र पुलिस महानिरीक्षक महोदय, उत्तरप्रदेश को १५ अप्रैल, १९७० या उसके बाद दिया गया है उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? और पहचाने हुये डाकुओं में से अब तक कितने गिरफ्तार किये गये ?

गृह उपमंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)--

दिनांक १०-४-७० की रात में ग्राम सम्भरपुर थाना कल्यानपुर जिला कानपुर के श्री देवीदीन यादव के मकान पर डकैती पड़ी थी जिसमें हजारों रुपये का माल व नकदी लूट लिया गया था तथा दो व्यक्तियों की मृत्यु घटनास्थल पर और एक व्यक्ति की मृत्यु बाद में अस्पताल में हुई । मृतकों में एक व्यक्ति वादी के परिवार का था । यह बात सही नहीं है कि स्थानीय पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र ने बल का प्रयोग करके वादी को पहचाने हुये डाकुओं को रिपोर्ट में नामजद नहीं करने दिया । वादी की जबानी जो उसने लिखाया प्रथम सूचना में लिखा गया ।

दो विधायकों की अनुशंसा सहित श्री देवी दीन यादव का प्रार्थना-पत्र दिनांक १७-४-७० का पुलिस महानिरीक्षक को प्राप्त हुआ था जिसमें एक अन्य पहचाने हुए डकैत का नाम रिपोर्ट में दर्ज न करने की शिकायत की गई थी । इस प्रार्थना-पत्र पर समुचित जांच कराई गई तथा जांच से उक्त डकैती की घटना में उस व्यक्ति का हाथ होना नहीं पाया गया । प्रथम सूचना रिपोर्ट में पहचाने गये नामजद दोनों व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं ।

श्री उमाशंकर शुक्ला--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १७-४-७० को जो प्रार्थना-पत्र दिया गया था उसकी जांच कब हुई और किसके द्वारा और उसमें एफ० आई० आर० में लिखे हुए गवाहों में से से किस गवाह का बयान लिया गया ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

उसकी जांच एस० एस० पी०, राधेश्याम शर्मा ने की । १७ तारीख की वह शिकायत थी । आई० जी० के पास भी वह आई तो उनके पास ही उन्होंने उसको भेज दिया । उन्होंने २९ तारीख को उसकी रिपोर्ट भेज दी । अब उन्होंने क्या गवाही ली यह मालूम नहीं है ।

श्री उमाशंकर शुक्ला--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह ज्ञात है कि लछमन प्रसाद, एस० पी० रूरल ने इसके पहले २,३ वारदात में जब इसी शख्स मुलजिम को नामजद किया तो उसकी जांच की और उसको उन्होंने छोड़ दिया, कोई ऐक्शन नहीं लिया ? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मुख्य मंत्री जी यह उचित समझते हैं कि सी० आई० डी० या किसी उच्च अधिकारी के द्वारा इस मामले की जांच कराई जाय ?

श्री चरण सिंह--

जो मेरे माननीय मित्र सवाल पूछ रहे हैं इस विषय की शिकायत आई०जी०को की गई थी कि यह जो सुधरसिंह डकैत है यह इसमें भी शामिल था और इसके पहले २,३ डकैतियों में भी शामिल था लेकिन लछमन प्रसाद, एस०पी० रूरल ने पहले भी इनकी रक्षा की थी और अब भी रक्षा की है । इस पर खुद एस० एस० पी० इसकी इन्क्वायरी के लिये गये । पहले भी इनकी दो शिकायतें इन्होंने की थीं । इन दो में उन का नाम ही नहीं था तीसरी में था, वह भी गलत पकड़ा और इसमें एस० एस० पी० ने कहा है कि मैं स्वयं मौके पर गया था और वहां २ घंटे तक रहा और जिन के यहां डकैती पड़ी थी वहां सब से बच्चों से स्त्रियों से पूछतांछ की लेकिन सुधर सिंह का किसी ने नाम नहीं लिया ।

श्री उपेन्द्र नाथ—

क्या एस० एस० पी० की जांच की रिपोर्ट मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उसका सार बता दें ।

श्री चरण सिंह—

मैंने सारांश तो बता दिया, यह ४–५ सफे का पत्र है जो आई० जी० को भेजा था उसमें उसको डाके में शामिल नहीं लिखा है, यह रिपोर्ट ४–५ सफे की है, पढ़ने से सदन का समय बेकार होगा, सारांश मैंने बता दिया ।

श्री उपेन्द्र नाथ—

जिस वक्त यह रिपोर्ट लिखाई जा रही थी थाना कल्याणपुर में उसी उक्त फोन करके सर्किल आफिसर, मुश्ताक अहमद और एस० ओ० को बुला लिया गया, क्या यह सही है कि उन की मौजूदगी में यह रिपोर्ट लिखी गई थी ?

श्री चरण सिंह—

यह मुझे नहीं मालूम ।

श्री उपेन्द्रनाथ—

यह शिकायत श्री लक्ष्मण प्रसाद एस० एस० पी० रूरल और सर्किल आफिसर के खिलाफ थी जिस का नाम मुश्ताक अहमद है और उस शिकायत की जांच एस० एस० पी० ने इन मुश्ताक अहमद को ही दी है । जो पत्र लिखा गया है वह मैं पढ़कर सुनाये देता हूं :—

"I am enclosing a copy of an application submitted by Shri Devi Deen Pradhan, resident of village Sambharpur, P. S. Kalyanpur in whose house a dacoity has been committed on April 10, 1970.

We are confident that Sughar Singh did not physically participate in the crime, but still he might have invited the gang and got this dacoity committed . . . "

तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, एस० एस० पी० ने लिखा है कि मैंने जो तीसरी डकैती का जिक्र किया उसमें सुधर सिंह शामिल था, लक्ष्मण प्रसाद, एस० एस० पी० रूरल ने रक्षा की ऐसा उन्होंने कहा, इस संबंध में पुरानी तीनों डकैतियों का रिकार्ड चेकअप कराया, वह २ घंटे तक मौके पर रहे और सब से बातें कीं । एस० एस० पी० मौके पर मौजूद थे, उन्होंने एक्चुअल केस के कागजात मंगाये, या इन्क्वायरी छोटी-मोटी कराई हो यह नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर ही ऐसा लिखा है ।

श्री श्री कृष्ण बाजपेयी—

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि जिस समय यह डकैती पड़ी उस समय देवीदीन यादव और उस का बड़ा लड़का घायल हुआ और उन को अस्पताल भेजा गया लेकिन उन से पुलिस अधीक्षक ने कोई जानकारी नहीं की और उसके छोटे लड़के को जबरदस्ती थाने में ले गये और लक्ष्मण प्रसाद, एस० पी० रूरल ने स्वयं बनाकर रिपोर्ट लिखाई और नामजद होने से सुधर सिंह को रोका गया, यह सही है और क्या मंत्री जी इस की जांच गुप्तचर विभाग से करायेंगे ?

श्री चरण सिंह—

श्रीमन्, मेरे मित्र को ज्यादा मालूम होगा । मुझे तो इतनी तफसील में सब बातें मालूम नहीं हैं कि उनको उसमें शामिल किया गया या नहीं । एस० एस० पी० ने इन्क्वायरी की लेकिन अगर मेरे मित्रों का ऐसा खयाल है तो दावा दायर कर सकते हैं । वे मौजूद थे या नहीं, मुझे मालूम नहीं है।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

पिछले वर्ष जब कि श्री राधेश्याम शर्मा एस० एस० पी० थे सुधर सिंह मिर्जापुर और वाराणसी में जो डकैतियां हुयी थीं, उनमें और और भी प्रदेश की अन्य डकैतियों में उसका नाम है?

श्री चरण सिंह—

मेरे मित्र को मालूम होगा, मुझे तो यह मालूम नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के नाम लिखाना चाहते हैं, एस० पी० ने उनको नहीं लिखने दिया तो क्या कोई विशेष जांच हुयी है, यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा जांच हुयी ?

श्री चरण सिंह—

मैं इसका उत्तर दे चुका हूं । यह प्रश्न तीसरी बार पूछा जा रहा है । इसकी एस० एस० पी० ने जांच की । देवी दीन यादव ने जो शिकायत की तो आई० जी० ने उसी दिन एस० एस० पी० को भेज दिया और २९ को रिपोर्ट आ गयी । उसमें यह नहीं है कि पहले की डकैतियों में यह शामिल था और एस० एस० पी० रूरल, श्री लक्ष्मण प्रसाद ने इनको बचाया था ।

श्री कृष्णा नन्द राय—

वादी ने आई० जी० के यहां शिकायत की कि कानपुर की लोकल पुलिस और एस० एस० पी० ने, जिनके नाम लिखवाना चाहते थे, एफ० आई० आर० में नहीं लिखे गये । तो यह जो लोकल पुलिस द्वारा जांच हुयी है अगर इसे सी० आई० डी० द्वारा करा दी जाय तो माननीय मुख्य मंत्री को क्या आपत्ति है ?

श्री चरण सिंह—

मुझे तो कोई कठिनाई नहीं है और मैं इस सिलसिले में होम सेक्रेट्री, और आई० जी० से बात भी कर लूंगा लेकिन मेरा अन्दाजा है कि देर हो जायगी और सी० आई० डी० बाहर की भेजनी होगी। एस० एस० पी० और पुलिस मौके पर गये। पहली दो डकैतियों में उनका नाम नहीं था। ऐसा मालूम हुआ कि वहां पर इनमें आपस में रंजिश थी । एक शख्स हैं देवीदीन और दूसरी तरफ थे एक भेदालाल। पुलिस का यह खयाल था कि जब वे मौके पर गये उनका नाम नहीं बताया और अगर बाद में शामिल कर लेते तो सारा केस छूट जायगा । मुझे उनकी नीयत में कोई शक नहीं है लेकिन अगर मेरे मित्र चाहते हैं तो मैं सी० आई० डी० से जांच करवा लूंगा ।

लखनऊ के सिनेमा घरों में बैठने की व्यवस्था

**४—कुंवर चन्द्र प्रताप नारायन सिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में कई सिनेमा घरों को अभी हाल में इस बात की रिपोर्ट दी गई है कि उनके हाल में बैठने की दो लाइनों के बीच १५ इंच का अन्तर नहीं है तथा क्या मैफेयर सिनेमा, लखनऊ को इस नियम से छूट सरकार द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

मैफेयर सिनेमा के केवल स्टेडियम क्लास (जो कि इस समय ड्रेस सरकिल है) को वर्ष १९५३ में यू० पी० सिनेमाटोग्राफ नियमों के नियम १४ (पांच) से छूट दी गई थी क्योंकि उक्त क्लास में विशेष प्रकार की सीटें लगी हैं जो जब भरी रहती हैं तो कुछ पीछे को झुक जाती हैं परन्तु जब खाली रहती है तो उनके तथा अन्य पंक्तियों के बीच १५ इंच का फासला रहता है ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायन सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें मेरा नाम ही गलत लिखा हुआ है । मेरा नाम चन्द्र प्रताप नारायन सिंह है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे सिनेमा यहां पर कई हैं जिन पर नोटिस जारी हुए हैं कि अगर वे लाइनों के बीच में १५ इंच का फासला नहीं करेंगे तो उनके सिनेमा बन्द हो जायेंगे । जब एक सिनेमा को छूट मिली हुई है तो बाकियों को भी छूट मिलनी चाहिये । क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, एक सिनेमा है मैफेयर उसको यह छूट . . . .

श्री कृष्णानन्द राय—

मैफेयर सिनेमा देखे हैं आप ?

श्री चरण सिंह—

सन् ५३ में दी गई थी । १० सिनेमा कुल यहां पर हैं । नोटिस सबको दिये गये हैं, इनमें मैफयर ने कहा कि हमें इसकी छूट पहले मिल चुकी है। दो सिनेमाज ने १५, १५ इंच का फासला कर लिया है । सात सिनेमा बचे हैं । उनका कहना यह है कि जो छूट दी गई है वह उनको भी दी जाय । बात तो माकूल है लेकिन इसमें मैं वायदा करने को तैयार नहीं हूं । शायद यह छूट जब सन् ५३ में यह सिनेमा बना था तब दी गई थी । एक गलती अगर सन् ५३ में हो गई तो सात गलतियां फिर की जायं, यह कोई अच्छी बात नहीं होगी । मुझसे चन्द्र प्रताप मिले थे । उनसे मैंने कहा कि इस मामले को देख लेंगे लेकिन मने कमिटमेंट नहीं किया ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायन सिंह—

जब कि मैफेयर में ऐसी सीटें लगाई गई थीं तो मैं समझता हूं कि सभी सिनेमाओं में ऐसी सीटें लगी हुई हैं । मैं समझता हूं कि वह गलती नहीं हुई । यह छूट सभी को मिलनी चाहिये । चूंकि वहां अंग्रेजी सिनेमा दिखाये जाते हैं तो उनको यह छूट रहे लेकिन और सिनेमाओं में हिन्दुस्तान गरीब जनता देखे तो यह छूट न रहे . . . .

श्री अध्यक्ष—

आपने प्रश्न नहीं पूछा ?

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायन सिंह—

सरकार इस पर विचार करे ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि प्रदेश के जितने सिनेमा हैं उनको सबको छूट देनी चाहिये कि वे १५ इंच फासले पर कुर्सी कर लें ?

श्री चरण सिंह—

नियम के अनुसार १५ इंच ही है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, जब नियम के अनुसार दोनों लाइनों में १५ इंच का फासला होना चाहिये तो यह मैफेयर को ऐसी छूट क्यों दी गई थी । इस पर पुनर्विचार करके उसका फासला १५ इंच करें । सरकार को हर समय अधिकार है कि वे दोबारा कंसीडरेशन कर सकें ।

श्री चरणसिंह—

मैंने तो कहा यह छूट सन् ५३ में दी गई थी और गालिबन और सिनेमाओं की सीटें बाद में बनीं । उसके बाद जो बनी हैं उनको छूट दी जाय या न दी जाय, यह सवाल होता है। मैंने जैसे कहा कि इसको फिर देख लेंगे ।

श्री चेतराम गंगवार—

इस सरकार को पूर्ण अधिकार है और इस सदन को पूर्ण अधिकार है कि वे इस पर पुनर्विचार करें कि दोनों की इक्वैलिटी में फर्क न आये । जैसे और सिनेमाज हैं उसी तरह मैफेयर में क्यों न लगाई जायं ?

श्री अध्यक्ष—

क्या आप चाहते हैं कि वह छूट वापस ली जाय ?

श्री चेतराम गंगवार—

जी हां ।

श्री चरण सिंह—

हमें न किसी से रंजिश है, न किसी से हमदर्दी है। लेकिन यह बात नहीं है कि एक बार गलती कोई हो गयी तो वह सबके साथ की जाय । बार बार उस गलती को किया जाय ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१–२—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश फिल्म पत्रकार संघ द्वारा मनोरंजन कर की चोरी की शिकायत

*३—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी), श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद), श्रीनगीना सिंह (जिला बलिया). श्री सुखपाल पांडे, (जिला बस्ती), श्री रघुबीर सिंह यादव (जिला मैनपुरी), श्री रघुनाथ सिंह वर्मा (जिला मैनपुरी), श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ) तथा श्री सोहन लाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उत्तर प्रदेश फिल्म पत्रकार संघ प्रतिवर्ष लखनऊ में फिल्म कलाकारों के अवार्ड के नाम पर एक शो करती है जिसमें निमंत्रण पत्रों को बेंचा जाता है मनोरंजन कर की चोरी खुले आम होती है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उत्तर प्रदेश फिल्म पत्रकार संघ द्वारा आयोजित किये गये वार्षिक फिल्म कलाकारों के एवार्ड समारोह से संबंधित निमंत्रण पत्रों के बेंचे जाने तथा मनोरंजन कर की चोरी किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*४—श्री जगन्नाथ प्रसाद, श्री प्रिय दर्शी जेतली, श्री नगीना सिंह, श्री सुखपाल पांडेय, श्री रघुबीर सिंह यादव, श्री रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री लक्ष्मण स्वरूप तथा श्री सोहनलाल धुसिया—

क्या मुख्य मंत्री जी इस शिकायती पत्र की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे और बताने की कृपा करेंगे कि इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

क्या श्री गिरधारीलाल पत्र कार ने एक पत्र २२-४-६९ को इस सम्बन्ध में श्री राज्यपाल को लिखा था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री सोहनलाल धुसिया—

इस शो में जनता की इन्ट्री कैसे होती है ?

श्री चरण सिंह—

यह शो लखनऊ में साल भर में एक बार होता है । इन्ट्री निमंत्रण पत्र के जरिये होती है । टिकट आदि नहीं बेचे जाते हैं ।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

इस असोशिएशन के मेम्बर्स कौन कौन हैं और क्या यह सच है कि उन मेम्बर्स में पत्रकार कोई भी नहीं है ?

श्री चरण सिंह—

इसके लियें नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

क्या यह सही है कि लखनऊ के पुलिस अधीक्षक इसकी जांच कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—

काहे की जांच कर रहे हैं मैं समझा नहीं । कोई शिकायत है नहीं । उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया वह मेम्बरशिप फीस का किया । इन्वीटेशन भेजे गये । टिकट बिके नहीं । सदस्यता शुल्क पर इन्टरटेनमेंट टैक्स नहीं लगता है । अब इन्क्वायरी किस की बात की जाय ।

दुकान शराब, गन्नेवाली गली, लखनऊ को हटाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का रोधनादेश

*५—श्री शम्भुनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री भाभी (जिला आजमगढ़), श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़), श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद), श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद), श्री शिवकैलाश (जिला बराबंकी), श्री मूंजूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या आबकारी मंत्री बतायेगें कि क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्पष्ट आदेश दिनांक २४ अप्रैल, १९७० के बावजूद दुकान देशी शराब, गन्नावाली गली अमीनाबाद, लखनऊ की शराब की निकासी नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

[श्री ओम प्रकाश सिंह—

उच्च न्यायालय, इलाहबाद के आदेश दिनांक २४-४-१९७० के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय से रोधनादेश प्राप्त कर लिया गया है और यह मामला न्यायाधीन है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या यह सही है कि जिस दिन १५-२-७० को दुकान की नीलामी हुई, उसी दिन उसने बोली का छठवां हिस्सा खजाने में जमा कर दिया ?

श्री चरणसिंह—

बड़ी खुशी है कि माननीय सदस्य शराब की दुकान की पैरवी कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक गन्नेवाली गली कहलाती है । वहां पर यह शराब की दुकान थी । सन् ६७ में, जब संविद की सरकार थी, उस समय लोगों ने उस दुकान के बारे में शिकायत की और मांग की कि उसको बन्द कर दिया जाय । वह नीलाम हो चुकी थी । उस समय का हमारा यह नोट है कि अगर वह बन्द हो सकती है तो उसे बन्द करा दिया जाय । अगर इस साल नहीं तो अगले साल जरूर बन्द कर दिया जाय । अब सन् ७० में जब नीलाम हुई तो २५ फरवरी को तत्काल उसने १/६ भाग, बोली का रुपया खजाने में जमा कर दिया, यह सही है । और भी बहुत सी दुकानें थीं । इस दूकान से गालिबन ज्यादा आमदनी होती है—१३-१४ लाख की । लोगों ने फिर कहा तो मैंने डी० एम० से कहा कि यह दुकान यहां से हटाकर दूसरी जगह लगा दी जाए । इस पर उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं है क्योंकि इससे इसकी बिक्री घट जाएगी । फिर मैंने आर्डर दे दिया कि दुकान बन्द कर दी जाए । तो उसको उस वक्त केवल अस्थायी परमिट मिल गया था । स्थायी राइट तब मिलता है जब एक्साइज कमिश्नर से एप्रूव हो जाए । इस पर वह हाइकोर्ट चले गये और उसने इंजैक्शन आर्डर दे दिया यह कह कर कि दुकान यहीं रहेगी और यह शराब बेचने का हकदार है जबतक आखिरी कोई फैसला न हो जाए । तब सरकार को यह अन्तरिम आदेश उचित नहीं लगा, बहुत हल्का शब्द उसके लिए कह रहा हूं, तो हमने अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आर्डर को स्टे कर दिया ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस दुकानदार से और रामस्वरूप मारवाड़ी से जो भारतीय क्रान्ति दल के एक विधायक को अपना रिश्तेदार बताता है आपसी रंजिश है, इस वजह से उसने दुकानदार के विरुद्ध न्युसेंस का एक मुकदमा हाईकोर्ट में दायर किया और जब वह मुकदमा वहां से खारिज हो गया तो उसने सिविल जज, लखनऊ के यहां मुकदमा दायर किया, किन्तु इस बीच फरवरी में चौधरी साहब की सरकार आ जाने के कारण उसने मुकदमा उठाकर राजनीतिक दबाव डालकर दुकानदार को परेशान करना शुरू किया है ?

श्री चरणसिंह---

न तो मुझे मालूम है कि कौन रामस्वरूप है और उन्होंने मुकदमा कायम किया और न मुझे मालूम है कि वह भारतीय क्रान्तिदल का मेम्बर है या नहीं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

जिन सज्जन का नाम बताया शम्भूनाथ चौधरी ने उनका सम्बन्ध है बी० के० डी० से इसलिए उसको अनुचित ढंग से दबाया जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है, और भी कुछ मामले हैं क्या यह बात सच नहीं है ? क्या मुख्य मंत्री जी इसकी जांच कराएंगे ?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं रामस्वरूप के बारे में कोई तहकीकात नहीं कराने जा रहा हूं । क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी ओर मेरे साथियों की कांशेन्स साफ है । शराब क्या मैं तो कपड़े वालों से भी रुपया नहीं लेता हूं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या आपने (मु० मंत्री) देवरिया जिले में डी० एम० पर दबाव डालकर देवरिया के चीनी मिल मालिकों से १ लाख २६ हजार रुपया वसूल नहीं किया ? और जब हमारी पार्टी के लीडर और विधान सभा सदस्य व सचिव, श्री उग्रसेन ने आपको चिट्ठी इस बारे में लिखी और आप से इस बात के लिए कहा कि यह रूपया वापस किया जाए तो आपने मजबूरन रुपया तो वापस कर दिया और बाद में यह कहना शुरू किया कि हम मिल मालिकों से रुपया नहीं लेते हैं ?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, आपने उन्हे रोका नहीं और मेरे ऊपर आक्षेप करने की इजाजत दे दी । आपने उन्हें हमारी नियत पर हमला करने की इजाजत दे दी, इसे मैं ठीक नहीं समझता । मैंने कहा कि हम किसी से रुपया नहीं लेते, फिर भी उन्होंने इतना लम्बा व्याख्यान दे दिया और आपने इजाजत दे दी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

श्री रामकृष्ण राय, थानाध्यक्ष दोस्तपुर के विरुद्ध शिकायतें

*१---श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुल्तानपुर के थाना दोस्तपुर के भूतपूर्व थानाध्यक्ष, श्री राम कृष्ण राय के भ्रष्टाचारों के विरुद्ध जनवरी, सन् १९६६ तथा उसके बाद के महीनों में कम्पलेंट अफसर, गोरखपुर ने जांच किया था और जांच में उक्त थानाध्यक्ष को दोषी पाकर १९ जून, १९६६ को अपनी रिपोर्ट उचित कार्यवाही हेतु डी० आई० जी, सी० आई० डी० उत्तर प्रदेश की सेवा में भेज दी थी ? यदि हां, तो कम्पलेंट अफसर की उक्त लिखित रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री शिवकुमार (सुलतानपुर)--

यह प्रश्न काफी दिन हुए दिया गया था। पहले तारीख १४-५-७० निश्चित् हुई थी और आज भी ऐसा जवाब दिया जा रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मामला सन् १९६६ का है। यह सब देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताएंगे कि सूचनाएं कब तक आ जायगी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

जल्दी से जल्दी सूचना मंगाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)--

कोई ऐसी तारीख या समय निर्धारित करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

कोई निश्चित् तारीख तो नहीं बतायी जा सकेगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

क्या यह सत्य है कि यह सन् १९६६ का मुकदमा है और इसमें सूचना कब से इकट्ठी की जा रही है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

उस समय से सूचना एकत्र की जा रही है जब से प्रश्न गया है।

श्री विश्वनाथ कपूर--

कितना समय सूचना एकत्र करने में लगेगा।

श्री ओमप्रकाश सिंह--

जल्द से जल्द इसकी सूचना एकत्र करके आपके सामने रखी जायगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

किस बात की सूचना एकत्र की जा रही है ? इसमें प्रश्न है, यदि हां, तो कम्पलेंट अफसर की उक्त लिखित रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? इसकी सूचना इकट्ठी की जा रही, है, यह जरा बताएं ?

श्री चरण सिंह--

१९६६ का मामला है। इस पर आप की नाराजगी जाहिर हो रही है। बहुत से कागज वीड आउट हो जाते हैं, कुछ एक साल में वीड आउट हो जाते हैं कुछ तीन साल में। फिर यह जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स मे सूचना मौजूद हो, मुमकिन है कि पुलिस हेड-क्वार्टर्स में हो। डिपार्टमेन्ट समय चाहता है। हमारी यह मंशा नहीं है कि जवाब नहीं देना चाहते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

किस बात की सूचना एकत्र की जा रही है, यह मैंने पूछा था।

श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)--

मान्यवर, यह १९६६ का उस समय का मामला है जब गुप्ता जी की सरकार थी। जैसी मेरी जानकारी है, कम्प्लेट अफसर ने दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट किया था, जानबूझ कर गुप्ताजी के आदमियों ने इस मामले को दबाया है इस सूचना को सही मानते हुए जो कागज दबाये गये हैं, जल्द से जल्द उनको निकलवाएंगे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

मैंने जैसा निवेदन किया इसका पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यह सूचना मंगायी जाय ।

चिरैयाकोट थाने में भैंसही नदी में लाश मिलना

*२---श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत थाना चिरैयाकोट क्षेत्र में मुहवल के निकट भैंसही नदी के पुल पर दिनांक १० अगस्त, १९६९ की रात्रि में किसी व्यक्ति का कत्ल कर उसकी लाश नदी में फेंक दी गई थी ? यदि हां, तो वह लाश किसकी थी और अब तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

*३---क्या मंत्री जी को इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक १६ अक्तूबर, १९६९ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री श्यामलाल---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रश्न १४-५-७० के लिए निर्धारित था उसके बाद आज के लिए किया गया है और सवाल में सिर्फ यह पूछा गया है कि अब तक क्या कार्यवाही हुई तो इसमें विलम्ब होने का कारण क्या है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

श्रीमन् अभी तक सूचना नहीं आ पायी है । सूचना मंगायी गयी है । जैसे ही सूचना आ जायगी रखी जायगी । हमने फिर लिखा है कि जल्द से जल्द सूचना मंगायी जाय ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

किस की सूचना नहीं आयी है ? क्या सूचना इकट्ठी की जा रही ?

श्री चरण सिंह---

जो सवाल हुआ है हां से उसकी सूचना इकट्ठी की जा रही है । जो इन्फार्मेशन मांगी गयी है और उससे रेलेवन्ट सर्कम्सटांसज़ भी जो हों, जो नहीं आये हैं, कुल सर्कम्सटांसेज आने हैं और उनके मुताल्लिक यहां सवाल हो सकते हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

जांच १९६९ की है कि यह लाश किस की थी सरकार को पता चल गया है कि लाश किस की थी ?

श्री चरण सिंह---

लाश का सवाल नहीं है कि किस की थी । जब पूरी सूचना आ जायगी तो बतला दिया जायगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

सवाल एक घटना के सिलसिले में है कि लाश किसकी थी । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि सी० आई० डी० क द्वारा सिविल पुलिस के द्वारा किस एजेंसी के द्वारा जांच हो रही है जो अब तक पता नहीं चल पाया कि वह लाश किसकी थी ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय मुझे नहीं मालूम कि जांच भी हो रही है या नहीं हो रही है क्योंकि यह सन् १९६९ का मामला है ।

श्री भाभी—

जब वह घटना बहुत पुरानी है और सवाल भी पुराना है और जब आजमगढ़ जिले में ऐसी घटनायें अक्सर हो रही हैं तो क्या सरकार इसकी जांच सी० आई० डी० से करा लेगी ?

श्री चरण सिंह—

जब तक रिपोर्ट न आ जाय तब तक मैं ऐसा कोई वायदा करने को तैयार नहीं । पहले तहकीकात हो जाय । फिर अगर जरूरत समझी जायगी तो ऐसा किया जायगा ।

श्री रामधारी शास्त्री—

मुख्य मंत्री ने स्वयं कहा कि यह १९६९ का मामला है तो फिर सूचना अब तक आ जानी चाहिये थी, देर होने का क्या कारण ? क्या हफ्ते, दो हफ्ते के अन्दर सूचना मंगा ली जायगी ?

श्री चरण सिंह—

मैं जल्दी से जल्दी मंगाने का प्रयत्न करूंगा लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अफसरों की गलती भी नहीं होती फिर भी सूचना पूरी नहीं मिल पाती है । मैं हफ्ते दो हफ्ते का वायदा करने को तैयार नहीं हूं । जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा ।

श्रीं शिव कुमार (सुल्तानपुर)—

आपने अध्यक्ष महोदय यह कहा था कि जो सवाल टाल दिया जाता है उसका उत्तर दिये जाने के लिये १५ दिन का समय दिया जायगा तो इस सवाल की सूचना एकत्रित नहीं हुई है तो क्या १५ दिन के अन्दर सूचना एकत्रित कर ली जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

दो हफ्ते के बाद एजेंडे पर फिर यह आ जायगा यह नियम है । मुख्य मंत्री जी का कोई वायदा नहीं है ।

श्री शिव कुमार (सुल्तानपुर)—

दो हफ्ते के बाद जब यह एजेंडे पर पुनः आ जायगा तो क्या आवश्यक सूचना मंगा ली जायगी?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर मुख्य मंत्री दे चुके हैं ।

श्री श्यामलाल—

प्रश्न नं० ३ का उत्तर नहीं दिया गया कि माननीय मंत्री को मेरा पत्र इस सम्बन्ध में १५ अक्तूबर, १९६९ को प्राप्त हुआ था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उत्तर दे दिया गया ।

श्री रामधारी शास्त्री—

श्यामलाल जी का प्रश्न यह है कि जो पत्र उन्होंने मंत्री महोदय को १५ अक्तूबर, १९६९ को लिखा वह उनको प्राप्त हुआ या नहीं ?

श्री चरणसिंह---

अगर यह पत्र मिला होगा तो पुराने मंत्री जी को मिला होगा अब फाइल देखकर ही बतलाया जा सकता है कि वह पत्र मिला या नहीं मिला और यदि मिला तो विभाग को भेजा गया या सीधे किसी अफसर को भेज दिया गया । इसलिये उसके डिटेल्स के बारे में इस समय उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

[२८ मई, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१---श्री इन्द्रलाल---

[४ मई, १९७० के प्र० सं० २७ के अन्तर्गत उत्तरित]

*२---३---श्री मोहम्मद असरार अहमद---

[छठे सोमवार के प्र० सं० १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिलाधीश, देहरादून के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

*४---श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहरादून के रेवरेन जै प्रकाश ने एक पत्र दिनांक २४ जुलाई, १९६९ में गम्भीर आरोप, भ्रष्टाचार आदि का तत्कालीन जिलाधीश के विरुद्ध लगाकर मुख्य मंत्री जी को भेजा था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी जांच की और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह---

जी नहीं ।

द्वितीय भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

*५---श्री नित्यानन्द स्वामी---

[६ठे सोमवार के प्र० सं० ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बेलपड़ाव क्षेत्र तहसील कालाडूंगी में विषैले सर्पों के काटने से मृत्युयें

*६---श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)---

क्या मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि जिला नैनीताल तहसील रामनगर के ग्राम बेलपड़ाव के क्षेत्र में माह जुलाई व अगस्त, १९६९ में जहरीले सांपों के काटने से १०-१२ व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में सांपों से रक्षार्थ शासन क्या कदम उठा रहा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

ग्राम बेलपड़ाव तहसील, रामनगर में नहीं बल्कि तहसील कालाडूंगी में है । प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त ग्राम में जुलाई, अगस्त, १९६९ में केवल ५ व्यक्तियों की सांपों के काटने से मृत्यु हुई थी । बेलपड़ाव क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वर्षा ऋतु में आने जाने की सुविधा नहीं रहती है । इस कारण चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा प्राप्त करने में यह क्षेत्र पिछड़ जाता है ।

श्री इन्द्रलाल---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह जानकारी है और जैसा उन्होंने सदन को सूचना दी कि इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है । वहां पर सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं । तो आज समस्त देश और प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बदलने जा रही है । जैसा कि मैंने अपने प्रश्न में पूछा कि इस क्षेत्र में जहरीले सांपों से रक्षा के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और भविष्य में इसके लिये सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह बेलपड़ाव रामनगर से ७ मील की दूरी पर है । स्वास्थ्य निदेशक को लिखा गया है कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर को रामनगर से हटाकर बेलपड़ाव में कर दिया जाय ।

श्री इन्द्रलाल—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस क्षेत्र की विषम स्थिति को ध्यान में रखते हुए बेलपड़ाव में यह हेल्थ सेन्टर रखने की जो योजना है वह कब तक रख दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा मैंने निवेदन किया स्वास्थ्य निदेशक को इस सम्बन्ध में लिखा जा चुका है ।

*७—श्री ईश्वरदयाल त्यागी—

[२८ अप्रैल, १९७० को प्र० सं० ३९ के अन्तर्गत उत्तरित]

*८—श्री जगदीश गांधी—

[४ मई, १९७० को प्र० सं० २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९—श्री मंजूर अहमद—

[पहली, मई, १९७० के प्र० सं० १४ के अन्तर्गत उत्तरित]

*१०—श्री जगदीश गांधी—

[७वें मंगलवार के प्र० सं० ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री बनारसी दास शर्मा, सब पोस्ट मास्टर रामनगर को जेल भेजना

*११—श्री मंजूर अहमद—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि बनारसी दास शर्मा, सब पोस्ट मास्टर, रामनगर पोस्ट आफिस, जिला मेरठ को जनता के रुपये का गबन करने के संबंध में दफा ४०९ के अन्तर्गत सिविल लाइन थाने में १५ अप्रैल, १९६९ को चालान करके जेल भेज दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मेरठ डाक घर के एक अधिकारी की रिपोर्ट पर श्री बनारसी दास शर्मा सब पोस्ट मास्टर, रामनगर सब पोस्ट आफिस मेरठ के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में नहीं वरन् थाना कोतवाली मेरठ, एक अभियोग धारा ४०९ भा० दं० वि० के अधीन दर्ज हुआ दिनांक १५-४-६९ को उन्हें गिरफ्तार करके उसी दिन जेल भेजा गया ।

पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

श्री मंजूर अहमद—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बनारसी दास शर्मा के खिलाफ किन आरोपों के आधार पर रिपोर्ट लिखाई गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्रीमन्, उनके विरुद्ध गबन के आरोप थे । ५,२४९-१९ पै० की उनके यहां कमी हो रही है ऐसा कोई आरोप है ।

श्री मंजूर अहमद--

श्रीमन्, लगभग १ साल हो गया, अभी तक मुकदमें की चार्जशीट न लगाने के क्या कारण हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

श्रीमन् जो कागजात हैं वे सुपरिटेंडेंट पोस्ट आफिसेज के यहां से आने थे । वे अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं । उनको लिखा गया है । जब वे प्राप्त हो जायेंगें उस पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मंजूर अहमद--

क्या मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि बनारसी दास के मामले में दूसरे लोगों के जरिये से दबाव डाला जा रहा है कि इस मुकदमें को खत्म कर दिया जाय ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है ।

श्री मंजूर अहमद--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो इसकी तफतीश कर रहा है उस कर्मचारी का क्या काम है?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मंजूर अहमद--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ साल हो गया है । लाखों रुपये का गबन है। पुलिस के जो कर्मचारी तफतीश कर रहे हैं उसे चार्ज शीट नहीं दे पाये तो क्या मंत्री जी मौजूदा स्थिति में उसकी तफतीश करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह--

जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है ।

गढ़वाल जिले में डकैतियां

*१२--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, अक्तूबर, १९६९ तक जिला गढ़वाल में कितनी डकैतियों की सूचना मिली है और उनमें से प्रत्येक डकैती के सिलसिले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जिला गढ़वाल में माह जुलाई से अक्तूबर, १९६९ तक पुलिस को कोई भी डकैती की सूचना नहीं मिली है। डकैती के सिलसिले में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*१३--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन डकैतियों के कारण गांवों में जो आतंक छाया हुआ है उसको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

प्रश्न नहीं उठता ।

जैदपुर थाने के खिलाफ चंदौली ग्राम से शिकायतें

*१४--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या ग्राम चंदौली, थाना जैदपुर, जिला बाराबंकी की दिनांक ९ सितम्बर, १९६९ की धारा ३३२ ताजीरात हिन्द की घटना के उपरान्त पुलिस द्वारा उस गांव के कतिपय निवासियों के पीटने, उनके घरों को लूटने, खेतों की फसल को नष्ट करने, औरतों के साथ बदसलूकी करने और डकैती के झूठे मुकदमों में फंसाने की शिकायत सितम्बर, १९६९ में तार व दरख्वास्तों द्वारा स्थानीय अधिकारियों व शासन को जनता द्वारा प्रेषित हुई ? यदि हां, तो ऐसे कितने तार-दरख्वास्तें शासन व जिला अधिकारी व पुलिस कप्तान बाराबंकी, को मिले ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

दिनांक ९-९-६९ को ग्राम चन्दौली, थाना जैदपुर जिला बाराबंकी के निवासियों ने थाना जैदपुर की पुलिस पर हमला करके धारा ३९४ भा०, दं०वि० के एक अभियुक्त को छुड़ा लिया था और सब-इन्सपेक्टर का रिवाल्वर आदि भी छीन लिया था । इस घटना के संबंध में थाना जैदपुर पर धारा १९५/३०७/३३२/२२४ २२५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया । इसके उपरान्त शासन तथा जिला अधिकारियों को ४ तार व १ शिकायती-पत्र जिनमें प्रश्न में उल्लिखित आशय की शिकायती की गई प्राप्त हुये ।

*१५--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या गृह मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त तार व दरखास्तों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो किससे और किस तारीख से और क्या सरकार जांच अधिकारी की रिपोर्ट को पटल पर रखेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

उपरोक्त तारों तथा शिकायती-पत्र की जांच उप पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी द्वारा कराई गई । उन्होंने यह जांच ९-९-६९ को प्रारम्भ की थी । जांच से पुलिस के विरुद्ध सभी आरोप असत्य एवम् निराधार पाये गये ।

जांच अधिकारी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना सरकार जनहित में उचित नहीं समझती ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि गांव वालों ने यह शिकायत की थी कि पहले पुलिस वालों ने मारा और लूटा ? तथा जो पुलिस आफीसर कप्तान वगैरा वहां पहुंचे उन्होंने गांव को लूटा और मारा, झूठा मुकदमा बनाया और उनकी औरतों के साथ भी बदसलूकी की ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जी हां, ऐसी शिकायतें उनकी थीं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या माननीय मंत्री को जिनका यह चुनाव क्षेत्र है, उन किदवई साहब की बात को सच मानेंगे जिन्होंने मौके पर जाकर यह खुद देखा कि लोगों को बुरी तरह से लूटा गया, स्त्रियों साथ दुर्व्यवहार किया गया और अन्न और कपड़े भी लूट लिये गये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अध्यक्ष महोदय, अभी तो उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायत उनको मिली है और अब कह रहे हैं कि उनको सूचना नहीं है?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने तो यह कहा कि किदवई साहब को ऐसा मालूम है, ऐसी उनकी सूचना नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मंत्री जी किदवई साहब से इस घटना के बारे में मालूम करने की कृपा करेंगे कि ऐसी घटना हुई थी या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इसकी जांच करायी जा चुकी है और यह पाया गया कि शिकायती-पत्र में लिखी गयी बातें असत्य पायी गयीं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

जो पुलिस के बारे में शिकायत हुई है, उसके बारे में कोई मुकदमा कायम हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैंने यह पूछा कि जांच तो करायी, लेकिन उसके बारे में कहा गया कि जांच सही नहीं करायी गयी है और यह कहा गया कि पुलिस वालों ने लोगों को मारा पीटा, लूटा तो क्या सरकार किदवई साहब से सूचना प्राप्त करके अजसरे नौ सरकार जांच करायेगी ?

श्री चरण सिंह--

हमें उनसे पूछना जरूरी नहीं है । अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो हम से मिल सकते हैं, बता सकते हैं । उन्होंने अभी तक इसको जरूरी नहीं समझा ।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

आपने बताया कि वहां लोगों ने थाने को घेर लिया और थानेदार का रिवाल्वर ले गये, इसका कारण क्या था ?

श्री चरणसिंह--

वे अभियुक्त को छुड़ाने में इन्ट्रेस्टेड होंगे, इसलिये थाने को घेरा होगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इस घटना की नौबत क्यों कर आयी ?

श्री चरण सिंह--

यह तो उत्तर में ही दिया हुआ है कि अभियुक्त को छुड़ाने के लिये वे लोग गये थे ।

*१६--श्री राम गोपाल संड--

[७वें मंगलवार के ता० प्र०७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या १५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*१७--श्री रामगोपाल संड--

[७वें मंगलवार के प्र० सं० ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१८-१९--श्री नौनिहाल सिंह--

[६ठे सोमवार के प्र०सं० ४-५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जेल फार्मों की उपज

*२०--श्री मंजूर अहमद--

क्या जेल मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९६७-६८ और १९६८-६९ में खरीफ और रबी में क्या फसलें प्रदेश के किन-किन जेल के फार्मों में बोई गईं और उनमें किस-किस औसत से पैदावार हुई ?

कारागार मंत्री (श्री बिशन लाल)--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*२१-२२--श्री शम्भू नाथ चौधरी, श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री रूपनाथ सिंह यादव तथा श्री रामगोपाल संड--

[९वें गुरुवार खे लिए स्थगित]

*२३--श्री राम चन्द्र विकल--

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित]

श्री सुशीलचन्द्र रस्तोगी, लाइन इन्स्पेक्टर, हाइडिल डिवीजन मेरठ का निलम्बन

*२४--श्री मंजूर अहमद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री रस्तोगी, लाइन इंस्पेक्टर, हाइडिल डिवीजन, मेरठ को जनवरी, सन् १९६९ में २०० रु० रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

विद्युत मंत्री (श्री राम लखन)--

जी हां । इसकी सूचना प्राप्त होते ही लाइन इंसपेक्टर को ९ जनवरी, १९६९ को निलम्बित कर दिया गया था । पुलिस ने २९ सितम्बर, १९६९ को यह सूचित किया कि १० फरवरी, १९६९ को लाइन रिपोर्ट लगाने के पश्चात् केस समाप्त कर दिया है । अतः अधीक्षण अभियंता ने श्री सुशील चन्द्र रस्तोगी को निलम्बित होने की तिथि से बहाल कर दिया ।

तिब्बत बार्डर पर स्थित सिक्योरिटी फोर्स को स्पेशल वेतन न मिलना

*२५--श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि यू० पी० तिब्बत बार्डर पर स्थित सिक्योरिटी फोर्स को मार्च, सन् १९६९ से १० फरवरी, १९७० तक स्पेशल वेतन नहीं मिला, जिसके कारण फोर्स में व्यापक असंतोष है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह--

उत्तर प्रदेश स्पेशल पुलिस फोर्स को वर्ष १९६९-७० में सीमांत विशेष वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका जिसका कारण यह था कि भारत सरकार से विचार विमर्श करने में समय लग गया जिसके फलस्वरूप स्वीकृत मार्च, १९७० में जारी हो सकी । किन्तु स्वीकृति जारी होने के उपरान्त समयाभाव के कारण वित्तीय वर्ष के अन्दर भुगतान नहीं किया जा सका ।

*२६--श्री जगदीश गांधी--

क्या सरकार उक्त वेतन शीघ्र दिलाने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिह--

आवश्यक स्वीकृति पुनः जारी करने पर विचार किया जा रहा है और यथाशीघ्र जारी हो जायेगी ।

रानीगंज बाजार, जिला प्रतापगढ़ में श्री राम पटहार की हत्या

*२७--श्री रामदेव--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत ९ फरवरी, १९७० ई० को रानीगंज थाने के बिल्कुल पार्श्व में ही रानीगंज बाजार के एक सम्भ्रांत नागरिक श्री राम पटहार की नृशंस हत्या दिन दहाड़े ही कर दी गई और प्रतिक्रिया में समूची बाजार में दो दिनों तक हड़ताल रही ? यदि हां, तो २८ फरवरी, १९७० तक क्या कार्यवाही हुई, कितने गिरफ्तार हैं और कितने फरार हैं ? सभी कातिल कौन और कहां के हैं तथा उनका व्यवसाय क्या है ?

श्री चरण सिह--

दिनांक ९-२-७० को श्रीमती शांती पत्नी श्री राजाराम ने थाना रानीगंज पर इस आशय की सूचना दर्ज कराई कि दिनांक ८-२-७० को दिन में ९ बजे उसके पिता, श्री राम को राम कुमार आदि ने गुमटी रखने के प्रश्न पर झगड़ा कर के मारा पीटा जिसके फलस्वरूप उसी दिन रात्रि में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई ।

मृतक के शोक में एक दिन रानीगंज का बाजार बन्द रहा । २८-२-७० तक चार अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये तथा एक ने आत्म समर्पण किया । एक अभियुक्त के विरुद्ध दफा ८७/८८ को कार्यवाही की गई जिसने बाद में न्यायालय में आत्म समर्पण किया । मुकदमें में चार्जशीट न्यायालय भेज दी गई है।

चूंकि मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है इसलिये उसके निर्णय तक यह नहीं कहा जा सकता कि कौन कातिल है। अतः उनकी सकूनत अथवा व्यवसाय बतलाना जन हित में नहीं होगा ।

*२८--श्री रामदेव--

क्या मुख्य मंत्री को यह भी जानकारी है कि उक्त मृतक श्रीराम पटहार पुलिस से अपने जीवन रक्षा की मांग पिछले वर्षों से करता रहा था तो भी उसकी हत्या दिन दहाड़े खुलेआम कर दी गई ? यदि हां, तो उसके जीवन रक्षा के लिये पुलिस ने क्या किया था और अब उसके परिवार वालों की रक्षा के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री चरण सिह--

मृतक श्री राम ने दिनांक १७-७-६९ को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का पुलिस अधीक्षक को दिया था कि जमीन के संबंध में अमुक व्यक्तियों से झगड़ा है जिसके कारण उसे जान माल का खतरा है । इस प्रार्थना-पत्र पर आवश्यक कार्यवाही की गई तथा विवादग्रस्त जमीन धारा १४५ जा०फौ० के अन्तर्गत कुर्क कराई गई । प्रार्थना-पत्र में नामांकित व्यक्तियों के विरुद्ध दफा १०७/११७ जा०फौ० की कार्यवाही भी की गई । यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । मृतक के परिवार की सुरक्षा हेतु स्थानीय पुलिस कड़ी देख-रेख कर रही है ।

अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की सिफारिश

*२९--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार प्रदेश के ऐसे सभी कर्मचारियों को जो तीन वर्ष से अधिक स्थायी पदों पर कार्य कर चुके हैं स्थायी करने के विषय में विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चरण सिंह--

जी नहीं । किसी अस्थाई कर्मचारी का स्थाई पद पर कार्य करने से उस पद पर स्थाई-करण का हक नही बन जाता । उसे उसी अवस्था में स्थाई किया जा सकता है जब कि उसकी नियुक्ति स्थाई रिक्ति में नियमानुसार हुई हो, उस ने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, उसने वैभागिक परीक्षा (यदि कोई हो) पास कर ली हो, उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक रहा हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो । इस के अतिरिक्त जो सेवायें या पद लोक सेवा आयोग के विचारक्षेत्र में हैं, उनमें स्थायीकरण आयोग के परामर्श से ही हो सकता है । केवल तीन वर्ष या उससे अधिक स्थाई पद पर कार्य करने के आधार पर ही कोई व्यक्ति स्थाई नहीं किया जा सकता ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*३०-३१--श्री रामलाल राही--

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*३२-चौधरी रामपाल सिंह यादव तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी--

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित]--

पुलिस आयोग की रिपोर्ट

*३३--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या सरकार सन् १९६० में श्री अजीत प्रसाद जैन की अध्यक्षता में नियुक्त पुलिस आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित करके सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री चरण सिंह--

पुलिस आयोग की रिपोर्ट की मूल प्रति विधान सभा की मेज पर १७ नवम्बर, १९६१ को रखी जा चुकी है ।

*३४--श्री श्यामलाल--

[विस्तृत होने के कारण निरस्त]

*३५-३६--श्री शेर सिंह दानू--

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित]--

शाहजहांपुर जिले में नगरिया खुर्द निवासी लखपति सिंह व दीनदयाल को आर्म्स लाइसेंस

*३७--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या गृह मंत्री को पता है कि श्री लखपति सिंह, श्री राम सिंह व दीन दयाल, निवासी नगरिया खुर्द, थाना जैतीपुर,जिला शाहजहांपुर को एक बलवा के मुकद्दमें में अक्तूबर, सन्१९६९ में अदालत से सजा हो चुकी है और इन लोगों के बन्दूक व राइफिल के लाइसेन्स जिलाधीश शाहजहांपुर द्वारा कैन्सिल हो गये हैं ? यदि हां, तो अब दुबारा लाइसेन्स किस आधार पर उन्हें वापस किये गये हैं ?

श्री चरण सिंह--

सर्वश्री लखपति सिंह, राम सिंह व दीनदयाल निवासी नगरिया खुर्द थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर को अपराध संख्या ३६/६८ धारा १४७/१४८/३४२/३२३/३२६/३२४ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (न्याय) बरेली के न्यायालय से ७ मई, १९६९

को सजा हुई थी इनमें से केवल सर्व श्री लखपति सिंह व दीन दयाल के आर्म्स लाइसेन्स निलम्बित किए गए थे । बाद में अपील में न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा अपराध मुक्त किए जान पर उनके आर्म्स लाइसेंस के निलम्बन के आदेश निरस्त कर दिए गए तथा उनके हथियार वापस कर दिए गए ।

*३८--श्री रामगोपाल सण्ड--

[पुनरावृति के कारण निरस्त]

हरिजन डी० एस० पी०

*३९--श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में डी० वाई० एस० पी० की संख्या क्या है और उसमें हरिजन कितने हैं ?

श्री चरण सिंह--

इस समय प्रदेश में ३८८ डी० एस० पी० हैं जिनमें १८ हरिजन हैं ।

कोतवाली बहराइच के सब इन्स्पेक्टर पर लड़के के साथ अप्राकृतिक सम्भोग करने का आरोप

*४०--श्री सूरजलाल गुप्त (जिला गोंडा)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में कोतवाली बहराइच के किसी सब-इन्सपेक्टर पुलिस के विरुद्ध किसी अवयस्क लड़के के साथ अप्राकृतिक अभियोग करने की शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक, बहराइच को गंभेरवा बाजार के किसी निवासी द्वारा प्रेषित दिनांक २७ मार्च, १९७० से १४ मार्च, १९७० के आस-पास की तिथियों में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

*४१--क्या गृह मंत्री शीघ्र ही सब-इन्सपेक्टर को मुअत्तल करके समस्त बातों की जांच कराकर मुकद्दमा चलाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चरण सिंह--

जी हां । दिनांक १९-३-७० को श्री ताहिर पुत्र नसीर व उसके भतीजे अब्बास, निवासी गम्भेरवा बाजार, थाना कोतवाली जिला बहराइच ने पुलिस अधीक्षक बहराइच को एक शिकायती पत्र इस आशय का दिया था कि दिनांक १८-३-१९७० की रात्रि में लगभग १० बजे थाना कोतवाली के एक सब-इन्स्पेक्टर ने प्रार्थियों को मारा पीटा और उसके बाद अब्बास के साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक कार्य किया । जांच से सब-इन्सपेक्टर द्वारा ताहिर को मारना सही पाया गया परन्तु अब्बास के साथ अप्राकृतिक सम्भोग करना गलत पाया गया । ताहिर को मारने के सम्बन्ध में सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही करने के लिए उन्हें तुरन्त लाइन हाजिर किया गया । इसी बीच दिनांक २८-३-७० को श्री ताहिर ने अपनी शिकायत के सम्बन्ध में एक इस्तगासा ए० डी० एम० (जे०), बहराइच के न्यायालय में सब-इन्सपेक्टर आदि के विरुद्ध दायर किया । मामला न्यायालय के विचाराधीन है । अतः सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही स्थगित कर दी गई है ।

*४२--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

[९ वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

झांसी बिजली कम्पनी का सरकारी प्रबन्ध

*४३--श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करके उसका कारोबार अपने हाथ में कब लिया था ?

श्री राम लखन--

इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा ६ के अन्तर्गत १ नवम्बर, १९६३ से राज्य विद्युत परिषद् ने सम्बन्धित कम्पनी की व्यवस्था अपने हाथ में ली है ?

*४४--श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब से उसने उक्त कम्पनी का कारोबार अपने हाथ में लिया है उस वक्त से दिनांक १५ अप्रैल, १९७० तक कितने कर्मचारी बढ़ाये हैं तथा कम्पनी की अपेक्षा उसका वार्षिक व्यय कितना बढ़ गया है और वह लाभ में हैं या हानि में ?

श्री रामलखन--

(क) ५० कर्मचारी बढ़ाये गये ।

(ख) ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष १९६९-७० में इस विद्युत संस्थान की आय एवं व्यय इस प्रकार है :--

आय	व्यय
रु० ५०,७५,८३८	रु० १,६६,३२३

परिषद् के हस्तान्तरण करने के समय सम्बन्धित कम्पनी की वार्षिक आय एवं व्यय इस प्रकार थी :

आय	व्यय
रु० १३,०२,६६७	रु० ९६,३६८

इस प्रकार व्यय की राशि कम्पनी के समय की राशि से ६९,९५५ रुपये अधिक हो गई । विद्युत संस्थान लाभ में चल रहा है ।

*४५--श्री श्यामलाल--

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित]

करछना तहसील में रोकरी गांव के पास डाकुओं और पुलिस में भिड़न्त

*४६--श्री राम गोपाल सण्ड--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोकरी ग्राम तहसील करछना जिला इलाहाबाद में दिनांक १ अप्रैल, १९७० को कोई डाका पड़ा था ? यदि हां तो कितने डाकू गिरफ्तार हुये एवं उनके पास क्या माल बरामद हुआ ?

श्री चरण सिंह--

दिनांक १-४-७० को ग्राम रोकरी तहलील करछना जिला इलाहाबाद में डकैती पड़ने की कोई सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई ।

दिनांक १-४-१९७० की रात में ग्राम रोकरी के पास डाकुओं के एक गिरोह व पुलिस के मध्य मुठभेड़ होने की एक घटना की रिपोर्ट थाना करछना में अंकित है । इस घटना में चार डाकू पकड़े गये हैं । डाकुओं के पास दो मस्कटें, एक देशी तमन्चा, एक गडासा मय लाठी और कारतूस बरामद किये गये थे ।

*४७--श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री शिवकैलाश तथा श्री रुपनाथ सिंह यादव---

[७वें सोमवार के प्र० सं० ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सैनिक स्कूल, लखनऊ तथा घोड़ाखाल, नैनीताल में हरिजन छात्र

*४८--श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सैनिक स्कूल, लखनऊ तथा घोड़ाखाल, जिला नैनीताल में हरिजनों तथा पिछड़ी जन-जातियों के प्रवेश के लिये स्थान आरक्षण है ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत है तथा उक्त दोनों संस्थाओं में सन् १९६५-६६ सन् १९६७-६८ तथा १९६८-६९ में कितने-कितने हरिजनों तथा पिछड़ी जन-जातियों के बच्चे प्रवेश पा सके ? क्या यह प्रवेश आरक्षण से प्राप्त हुआ या प्रतियोगिता में पास होने से मिला ?

श्री चरण सिंह--

सैनिक स्कूल लखनऊ तथा घोड़ाखाल में हरिजनों तथा पिछड़ी जन-जातियों के बालकों के प्रवेश के लिए कोई आरक्षण नहीं है । प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर उपरोक्त-जातियों का एक छात्र लखनऊ सैनिक स्कूल में केवल वर्ष १९६९ में भर्ती किया गया तथा घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में दो छात्र १९६७ एवं १९६८ तथा १९६९ में एक एक छात्र भर्ती किया गया ।

*४९--श्री दलसिंगार--

[पुनरावृति के कारण स्थगित ।]

*५०--श्री दल सिंगार--

[९ वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

*५१-५२-श्री नगीना सिंह--

[९ वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

*५३--श्री राम गोपाल सण्ड--

[पुनरावृति के कारण निरस्त ।]

*५४-५५--श्री रियासत हुसैन--

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित--]

*५६--श्री दुर्जन--

[९ वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

*५७-५८-श्री रामपूजन पटेल--

[९वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

*५९-६०--श्री मोतीलाल देहलवी--

[९ व गरुवार के लिये स्थगित]--

भ्रष्टाचार निवारण समिति के संबंध में जानकारी

*६१--श्री रूपनाथ सिंह यादव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिलेवार भ्रष्टाचार निवारण समिति बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चरण सिंह--

ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण का स्थगन

*६२--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च तथा अप्रैल, १९७० में सामान्य प्रशासन के अधीन काम करने वाले कितने राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण किये जाने के आदेश जारी किये गये परन्तु बाद में स्थगित कर दिये गये तथा स्थगित कर दिये जाने का क्या कारण था ?

श्री चरण सिंह--

ऐसे अधिकारियों की संख्या ५ है। आदेशों को स्थगित करने का कारण प्रशासनिक है।

*६३--श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा--

[९ वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*६४--श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

[९ वें गुरुवार के लिये स्थगित]

राज्य कर्मचारियों का प्रदर्शन

*६५--श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि किन-किन मांगों को लेकर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों ने गत २० अप्रैल को प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और क्या सरकार उनकी मांग को पूरा करने पर विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह--

गत २० अप्रैल को प्रदेश के कतिपय जिलों में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश, नामक संगठन के तत्वाधान में कुछ दंडित कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन आयोजित किये जाने का एक असफल प्रयास किया गया था। चूंकि उक्त संगठन शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सेवा संगठन नहीं है, उनके मांग-पत्रों आदि पर शासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

*६६--श्री हिम्मत सिंह--

[९ वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*६७--श्री मोहन लाल कपूर--

[७ वे सोमवार के ता० प्र० २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६८-६९--श्री रामलाल राही--

[७ वें सोमवार के प्र० सं० २२-२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७०--श्री रामसिंह--

[९ वें गुरुवार के लिये स्थगित]

मरोड़ा बांध योजना

*७१--श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)--

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पौढी जिले में मरोड़ा बांध योजना जो स्थगित पड़ी है उसे पुनः चालू कराने की कृपा करेगी ? यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम लखन---

योजना की लागत अधिक होने तथा धनाभाव के कारण इसे पुनः चालू करने का अभी कोई इरादा नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

१---श्री कल्यान सिंह---

[९ वें गुरुवार के लिये स्थगित]

२-३---श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया]

४-६---श्री सूरजलाल गुप्त---

[७ वें मंगल के ता० प्र०-१] ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री कोरी सुखलाल सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक मैं गिरफ्तारी की सूचना दे दूं । श्री सुखलाल, एम० एल० ए० गिरफ्तार किये गये और जेल भेज दिये गयें कल । उनकी गिरफ्तारी अभियोग नं० ३१७, दफा १४७, १४८, १४९, ३४२ तथा ३०७ के अन्तर्गत की गयी । बेल के ऊपर छोड़ने का हुकुम दे दिया गया है और जेल भेज दिये गये है, यह हुक्म है । उसका कारण जो बताया है वह मैं आपको पढ़ कर सुना दूं ।

एक सदस्य---

यह किस दल के सदस्य हैं ?

श्री अध्यक्ष---

इसमें पार्टी वगैरह नहीं लिखी है, इटावा के हैं, हरिजन भाई है ।

"Shri Sukh Lal, M.L.A. along with five others has been arrested by Ram Nagina Singh, Inspector, In-charge, P. S. Kotwali, Etawah at 9 a.m. today the 27th May, 1970 in the house of Chandan Lal in mohalla Modhiyan Astal, P. S. Kotwali, Etawah in case Cr. no. 317, under sections 147/148/149/342/307, I.P.C. Reasons of arrest are that Shri Sukhlal, M.L.A. along with other accused formed an unlawful assembly and wrongfully confined one Mewa Ram and in furtherance of the common object of the said unlawful assembly attempted to commit his murder. Mewa Ram sustained 37 injuries by sharp edged and blunt weapons. Kotwali police along with some public men rescued Mewa Ram from inside the house of Chandan Lal. One of the accused Rameshwar, son of Paltoo, resident of Sunderpara, P. S. Kotwali Bhind (M. P.) fired three shots from the licensed DBBL gun of his relative Chandan Lal on the rescue party. Police opened fire in self defence resulting in the death of said Rameshwar. Sukh Lal, M.L.A. is in police custody at P. S. Kotwali, Etawah and will be produced before the court.

यह तो पहली रिपोर्ट है । उसके बाद बेल ग्रांट हो गयी है और उन्हें जेल भेज दिया गया था ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

यह जो सूचना आपने अभी सदन को दी मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह दरख्वास्त, अपील और डिमांड करना चाहता हूं कि इस सदन की भाषा हिन्दी है । इस सदन

के अन्दर जो भी कोई सूचना आपके जरिये आये वह हिन्दी में आनी चाहिये । यह बड़ें खेद की बात है कि मुख्य मंत्रीजी ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह हिदायत जारी नहीं की है कि इस सदन के अंदर कोई भी सूचना देने की बात आये तो वह हिन्दी में आनी चाहिये, अंग्रेजी में नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

यह वायरलेस से आयी है और वायरलेस में हिन्दी का प्राविजन नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

व्यवस्था का प्रश्न है । मौजूदा मुख्य मंत्री ने और इसके पहले कई मुख्य मंत्रियों ने बार बार यह एलान किया कि इस प्रदेश का सरकारी काम काज हिन्दी में होगा । साथ ही साथ इस सदन का निश्चित कानून है कि यहां की भाषा खाली हिन्दी है । इसके बावजूद यहां पर जो सूचनायें दी जाती हैं अक्सर वह अंग्रेजी में आ जाया करती हैं । एक दफा जब यहां पर इस प्रश्न को उठाया गया था तब तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जायगी । तो आप इसके लिये व्यवस्था दें कि क्या इस नियम का अंग्रेजी में यह सूचना भेज कर उल्लंघन नहीं किया गया ? और फिर अगर नियम तोड़ा गया है तो इसके लिये आप मुख्य मंत्री जी से, मेरा निवेदन है, मालूम करने का कष्ट करेंगे कि सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायगी ।

दूसरी चीज यह है कि चाहे जिस विभाग से टेलीग्राम से सूचना भेजी गयी, लेकिन यह सबको मालूम है कि अंग्रेजी के बजाय हिन्दी में तार और वायरलेस से समाचार भेजे जा सकते हैं । तब क्या कारण है कि इस नियम की अवहेलना की जाती है ? इससे यह लगता है कि खाली नित्य घोषणायें ही की जाती हैं, उन्हें पूरा करने का कोई इरादा नहीं रहता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप आज ऐसी व्यवस्था दें कि जो हमेशा याद रखी जाय, जिससे लोग हिम्मत न कर सकें कि दोबारा इस पवित्र नियम को तोड़ कर अंग्रेजी में यहां पर सूचना भेजें ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपके द्वारा जायसवाल जी से प्रार्थना करूंगा कि आप "जो है," शब्द बार-बार इस्तेमाल करते हैं, इससे मतलब बिलकुल गलत हो जाता है । तो वे कृपया ऐसा न करें ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

प्रश्नों के सम्बन्ध में मुझे भी कुछ निवेदन करना है.....

श्री अध्यक्ष--

पहले एक व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया गया है, उस पर व्यवस्था देनी है ।

जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, मुझे सूचना मिली है कि जो वायरलेस से सूचना आती है उसे अंग्रेजी में ही देने का वहां आर्डर है । यानी वायरलेस करने के लिये जब जाते हैं तो कहा जाता है कि अंग्रेजी के द्वारा ही सूचना जल्दी दी जा सकेगी । अगर हिन्दी में देते हैं तो वह रिफ्यूज कर देते हैं यह सूचना मेरे सचिव दे रहे हैं । मैं इसकी जांच करूंगा । क्योंकि मैं उचित नहीं समझता हूं कि जब हिन्दी में तार आ सकते हैं और यह सब चीज हो सकती है तो वायरलेस को क्यों छोड़ दिया जाय । लेकिन अगर सम्भव नहीं है तो वायरलेस के सम्बन्ध में मैं नहीं जानता, मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रदेश के हाथ में वायरलेस में सूचना भिजवाना या केन्द्रीय सरकार का यह डिपार्टमेंट है वह कृपा करके बतला दें ।"

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

यह बेतार का मामला उत्तर प्रदेश के ही हाथ में है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि हिन्दी में ऐसी सूचना भेजी जा सकती है या नहीं । लेकिन इतनी बात तो स्पष्ट है कि अगर अंग्रेजी में ही आ गयी तो क्या इसकी हिन्दी करके आप नहीं सुना सकते थे ?

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, स्व० मदन मोहन वर्मा जी का इस संबंध में स्पष्ट निर्णय है कि इस सदन के अन्दर कोई भी कार्यवाही उस चेयर से जिस पर आप विराजमान हैं, हिन्दी में ही होगी। यह निर्णय लिया जा चुका है। इस निर्णय के बाद यह सूचना अगर वायरलेस से अंग्रेजी में भी आयी, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में आने के बावजूद जब आपकी चेयर से सूचना दी जा रही है तो उस निर्णय के बाद किसी तरह भी उचित नहीं है आपका सेक्रेटेरियट उस सूचना को ट्रांस्लेट करके हिन्दी में न दे सके और इस सदन में उसकी सूचना हिन्दी में न मिल सके। यह किसी तरह से भी उचित नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---

एक जानकारी चाहता हूं। वायरलेस के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि उनको यह जानकारी नहीं है कि हिन्दी में भी कोड बना है या नहीं, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मुख्य-मंत्री जी से कि जब प्रदेश की भाषा हिन्दी है और इतने दिनों के बाद और घोषणा के बाद कि सदन की भाषा हिन्दी होगी और वायरलेस की जिम्मेदारी सूबे की सरकार पर है तो वायरलेस का जो मोर्स कोड अंग्रेजी में होता है वह हिन्दी में क्यों नहीं बनवाया गया और क्यों नहीं हिन्दी के मोर्स कोड का प्रयोग किया जाता ?

श्री चरण सिंह---

इसका कारण यही है कि जो "बेतार" के लिए अब भी मेरे माननीय मित्र लफ्ज "वायरलेस" इस्तेमाल कर रहे हैं-और कोई कारण नहीं है इसका भी!

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे---

मैं मुख्य मंत्री जी की जानकारी के लिये सूचना दे दूं कि अगर हिन्दी पढ़े हों कि पाकिस्तान का जब अटैक हुआ है और जिस अटैक के रेडियो पर सिग्नल सरकार न इंटरसेप्ट किये वे उर्दू में थे और आप आज भी हिन्दी में कुछ नहीं दे पाये!

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)---

अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह अंग्रेजी में आया था तो अध्यक्ष महोदय उसका हिन्दी ट्रान्सलेशन कर के सुना सकते थे। अध्यक्ष महोदय, अगर वायरलेस भेजने में हिन्दी की व्यवस्था न हो तो इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये और जबतक यह संभव न हो सके तो उनका हिन्दी में अनुवाद करके मेरी जानकारी के लिये दिया करें क्योंकि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं।

श्री अध्यक्ष---

यह लम्बा वायरलेस था इसलिये मैंने उसको अंग्रेजी में पढ़ दिया। जो छोटे-छोटे थे उनको मैंने हिन्दी में ट्रान्सलेट कर दिया। मैं इसका सार हिन्दी में बता देना चाहता हूं कि श्री सुख-लाल और उनके साथी जो थे उन्होंने गैर कानूनी जमाव किया और उन्होंने मेवाराम को बन्द कर लिया था और उसको मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे। मेवाराम को ३७ चोटें लगीं जो किसी धारदार और कुन्द हथियार से पहुंचायी गई थी। जब कोतवाली पुलिस ने कुछ और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के साथ मेवाराम को बचाने का प्रयत्न किया जिसको चन्दन लाल के घर में बन्द कर रखा था तो उनके साथी रामेश्वर ने चन्दन लाल की डी० बी० बी० एल० बन्दूक से तीन फायर पुलिस और उनकी पार्टी पर किये। पुलिस ने अपन बचाव में फायर किया जिससे रामेश्वर जिसने फायर किया था वह मर गया। श्री सुखलाल एम० एल० ए० पुलिस की कस्टडी में हैं। यह बताया गया है कि उनको जेल भेज दिया गया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

इसमें तो बहुत से शब्द अंग्रेजी के इस्तेमाल किये गये हैं जैसे फायर वगैरह। यह नहीं होना चाहिये। इसकी जगह हिन्दी के शब्दों का प्रयोग करना चाहिये था।

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि मुख्य मंत्री जी ने अपनी सरकार की कमजोरी बचाने के लिए इसको आपके ऊपर छोड़ दिया कि श्रीमन् आप इसका हिन्दी अनुवाद सुना सकते थे। लेकिन श्रीमन्, सरकार का यह कार्य होता है अध्यक्ष महोदय, कि वह आपको सहयोग दें। अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस बात की घोषणा कर दें कि भविष्य में कोई भी कार्यवाही अंग्रेजी में इस सदन में नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसको माना जाय।

श्री शिवदास के निलम्बन की समाप्त की मांग

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

श्रीमन् आपको स्मरण होगा कि श्री शिव दास तिवारी का प्रश्न आपके सामने आया था कि उनका निलम्बन समाप्त कर दिया जाय और उनको सदन में बैठने की अनुमति दे दी जाय। आपने श्रीमन् कहा था कि माननीय कमलापति जी और माननीय नेता सदन से इसके संबंध में बात करेंगे। जहां तक हम लोगों को ज्ञात है कि इसके संबंध में कमलापति जी से चर्चा हो गई है और मेरा विश्वास है कि माननीय नेता सदन से भी बात-चीत हो गई होगी। जहां तक हमलोगों का प्रश्न है मैं तो केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि सदन से निलम्बन का समय सबसे अधिक उनका हो गया इस सदन के इतिहास में। जिनके साथ यह घटना हुई थी माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने इच्छा प्रकट की थी कि उनको क्षमा कर दिया जाय और सदन में बैठने की आज्ञा दी जाय तो मैं आप से अध्यक्ष महोदय निवेदन करूंगा कि उनको इस सदन में बैठने की आज्ञा दी जाय। इस संबंध में मेरी कमलापति जी से बात हुई थी और उस समय माननीय नेता सदन भी मौजूद थे और श्रीमान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही सदन दुबारा बैठे अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आयेगा तो वह उसका अनुमोदन और समर्थन करेंगे। तो मैं आपके द्वारा माननीय नेता सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अब इसको समाप्त कर देना चाहिये और उनको बैठने की आज्ञा दे देनी चाहिये।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

बीच में तो मेरी कोई बात-चीत नहीं हुई लेकिन मेरी प्रतिक्रिया यह है कि जो माननीय तिवारी जी ने गलती की ठीक वैसे ही बल्कि उससे भी कम गलती करने में महाराष्ट्र में सारी अवधि के लिये सदन से निष्कासित किया गया था वह साल भर के लिए निष्कासित किये गये थे लेकिन जब मेरी आपस में बातचीत हुई तो मैं ३ जून तक के लिए तैयार हो गया लेकिन अब यह कि यह मुद्दत भी पूरी न की जाय और उनको इजाजत दी जाय यह बात तो लगेगी कि बड़ी कठोरता की बात है लेकिन मेरा कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, आपको याद होगा, सदन को याद होगा कि माननीय तिवारी जी ने किसी तरह का रीग्रेट नहीं किया या उनका कोई ऐसा ऐटीच्यूड नहीं था जिससे यह जाहिर होता कि उनसे गलती हुई फिर भी हमने केवल तीन महीने की बात कही। मैं माननीय मित्रों से कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद उनका यह दृष्टि कोण हो तो जो हमारे सदन की गरिमा है उस पर बड़ा आघात था जो उन्होंने किया और हम सब महसूस करते हैं कि जिस प्रकार बहस होनी चाहिये, इंटेलैक्ट का क्लेश इंटलैक्ट से

[श्री चरण सिंह]--

होना चाहिए वह हमारे सदन में नहीं हो रहा है । ऐसी स्थिति में हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे कि जो सदन को शान्तिमय और सुचारु रूप से चलने में बाधक हों उनको नजरन्दाज किया जाय । अगर गलती को कोई माफ करदे तो वह बड़ा भला आदमी है लेकिन जो रूल्स इजाजत देते हैं जिससे सदन का या सोसायटी का काम चल सकता है उसके अनुसार चलने के लिए कहें तो वह डिक्टेटर है अनुदार है अध्यक्ष महोदय, बावजूद यह खतरा उठा के कि मेरे दोस्त मुझे यही कहेंगे मैं उनको जून से पहले यहां बैठने की इजाजत देने के लिये नहीं कह सकता ।

श्री अध्यक्ष--

कल यह सवाल उठाया गया था । (व्यवधान) . . . .आप कृपा कर बैठें । मैंने यह कहा था कि दो-एक रोज रुक जायं । माननीय कमलापति जी भी आ जायं क्योंकि जो बातचीत हुई थी उसमें वह मौजूद थे। उनके आने पर ही इस पर विचार होता तो अच्छा होता क्योंकि सब लोग इस पर थोड़ा बहुत अपना विचार प्रकट करें और इसको समझ लें, सोच लें तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना बाद में जो होना होगा वह होगा । इसीलिये मैं वेट कर रहा हूं कि वे आवें ३१ तक वहां हैं । अबकी दफा ३०-३१ के बाद पहली तारीख होगी तो उनसे मैं पहले बात कर लूं क्योंकि मैं समझता हूं कि उस वक्त मुख्य मंत्री जी मौजूद नहीं थे, वे चले गये थे, और उसके बाद उन्होंने यह बात की थी । इसलिए मैं समझता हूं कि अच्छा होगा कि उनकी भी राय ले लेनी चाहिये और उसके बाद इस पर विचार होना चाहिये । मुख्य मंत्री भी बात कर लेंगे उनसे उन बातों को लेकर, इसलिये मैं वेट कर रहा हूं और इसलिए मैं इसको पोस्टपोन करता हूं ।

श्री रामविलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि जून के पहले उनका कोई इरादा नहीं है और आप कह रहे हैं कि जरा सब्र कीजिए, मामला सुलझ जायगा । अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने प्राइम मिनिस्टर से भी कहा है कि २८ जून के पहले मर्जर की बात नहीं हो सकती यानी बजट खतम होने पर । तिवारी जी केलिये जब बात कही जाती है तो आप कहते हैं कि सब्र कीजिए । माननीय मुख्य मंत्री के सामने बजट है, वे बतलावें कि प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा की पार्टी के साथ मजर करना चाहते हैं कि नहीं, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें । (व्यवधान)

कृषि मंत्री (शिवराज सिंह)--

श्रीमन् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमारे सदन की नियमावली के अनुसार कोई भी कार्य जब तक कि कार्य सूची में न हो, बिना आपकी अनुज्ञा के यहां नहीं लिया जाना चाहिए । यहां एक प्रथा सी हो गई है कि बिना आपकी अनुज्ञा के ही किसी विषय पर लोग बोलने लगते हैं । जिस विषय पर भी चर्चा करनी हो पहले उसकी घोषणा होनी चाहिये, उसके बाद आपकी अनुज्ञा से वह कार्य आना चाहिये । मैं समझता हूं कि यदि आपकी अनुज्ञा ली गयी होती तो नेता सदन और दूसरे दलों के नेताओं के परामर्श से एक निश्चित ढंग से इस कार्य के विषय में विवाद हो सकता था । कार्य सूची तैयार करने और सदस्यगण को सूचना देने का तात्पर्य यही होता है, उद्देश्य यही होता है कि उन कार्यों के विषय में हम विचार करके आवें । लेकिन इस तरह से कार्य लाना श्रीमन्, नियमावली के विरुद्ध है । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भविष्य में कोई ऐसा कार्य न लिया जाय । उस कार्य के विषय में पहले आपकी अनुज्ञा प्राप्त की जाय और उसके बाद ही कोई कार्य लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

आपका कहना बहुत सही है । इसके लिए हम बार-बार लोगों से कहते हैं कि ऐसा करें लेकिन रोज-रोज बहुत से लोग इसके विरुद्ध खड़े हो जाया करते हैं और बोलने लगते हैं । जब मैं उनको रोकता हूं तो वे मानते नहीं हैं । फिर मेरा कर्तव्य होजाता है कि रोकने पर भी जब वे नहीं मानते हैं तो उनको दंड भी दूं और यह दंड भी हो सकता है जिस दंड के विषय में आप विचार कर रहे हैं कि उसे माफ कर दिया जाय । तो आपको देखना होगा कि उपाध्यक्ष जी भी ज्यादातर यह प्रयत्न करते हैं कि लोगों को समझा कर काम निकाल लिया जाय तो अच्छा है क्योंकि रोज-रोज दंड देने का ही तरीका सदन में होना अच्छा नहीं है । इसलिये इस चीज को मैं थोड़ा बहुत टालता रहा और कल जब यह प्रश्न उठाया गया था तो मैंने कहा था कि दो-चार रोज तक धीरज रखिये और प्रयत्न होना चाहिये कि नेता सदन भी इस पर शान्ति से विचार कर लें ऐसे प्रश्नों पर सदन में बैठ कर विचार करके की बनिस्बत एकान्त में बैठ कर विचार करना ज्यादा अच्छा होता है । ऐसे मेरे पास प्रस्ताव आ गया है लेकिन मैंने सोचा कि इस पर मुख्य मंत्री जी और आप लोग शान्ति से अलग बैठ कर विचार कर लें बीच-बीच में इस तरह से प्रश्न उठाने पर मैं कहता हूं कि सब्र कीजिए, बैठ जाइये लेकिन अगर वे नहीं मानते हैं तो उन्हें निकाल देना पड़ेगा । ऐसी बात होना चाहिये या नहीं । इसमें समय नष्ट भी हो जाता है। समझने की कोशिश भी करनी है यह प्रश्न है । मैंने उनको बुलाया था । विकल जी अब आप कुछ कहें तो कहें ।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, जब कार्य सूची में यह प्रश्न नहीं है तब उसको यहां पर किस प्रकार से लिया जा सकता है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसके बाद मुझको कुछ कहने की आवश्यकता हो गई है जैसा कि मैं स्वयं नहीं चाहता था । नेता विरोधी दल और सरकार की ओर के भी लोग थे । बन्द कमरे में यह तय हुआ था कि सवाल के पेश कर देने पर उनके निलम्बन को वापस कर दूंगा । यहां पर सदन में हर दूसरे या तीसरे दिन यह प्रश्न आया करता है। त्रिपाठी जी आपसे मिल भी चुके हैं और आप कहते हैं कि रोज ही हमसे बातचीत करलें । क्या इस प्रकार से जनतंत्र चल सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने दूसरी एसेम्बलीज का उदाहरण दिया परन्तु यहीं पर जब अध्यक्ष के ऊपर जूते फेंके गये और उत्पात किया गया (हल्ला) . . . व्यवधान उस समय आपने कुछ भी नहीं किया और उस समय कोई भी सजा नहीं दी गई न आपने दिलवाई । यहांपर क्षमादान भी किया जाता है। ऐसी सूरत में मैं नहीं जानता कि इन सूरतों में मुख्य मंत्री जी क्यों डट हुये हैं । आज कल बजट चल रहा है। सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं । मुझ पूरी उम्मीद थी कि उदारता के साथ वह इस प्रश्न को स्वयं ही ले आयेंगे और इसको सुलझा देंगे । मुख्य मंत्री जी दूसरे स्थानों का उदाहरण देकर इस प्रश्न को टाल रहे हैं । कोई भी सदस्य इतनी सजा को बरदास्त नहीं कर सकता है । इससे भी अधिक चीजें मुख्य मंत्री जी को दल के सदस्यों ने की हैं, और भी बड़े बड़े काम हो गये हैं परन्तु इतना सख्त रुख नहीं अपनाया गया । शेम शम की आवाज) जब विरोधी में मुख्य मंत्री जी होते हैं तब तो उनकी भावनायें ही दूसरी होती हैं परन्तु मुख्य मंत्री पद को प्राप्त करते ही व भावनायें बदल जाती हैं । यह जनतंत्र विरोधी बात है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

दो तीन दिन के बाद अगर आप चाहें तो इस पर विचार हो । सब लोग एक साथ खड़े होंगे तो कैसे काम चल सकता है ।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष ने सचिव को सूचनायें देने के लिये कहा--सचिव सूचनायें पढ़ रहे थे कि विरोधीदल के कई सदस्य खड़े होकर शोर करने लगे श्री अध्यक्ष के संकत पर सचिव बैठ गये)।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

मान्यवर, मैंने एक प्रश्न उठाया और उसमें हमारे माननीय मित्र, शिवराज सिंह जी ने एक वैधानिक आपत्ति की.....

श्री शिवराज सिंह--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है.....।

कई सदस्य---

बैठिये, बैठिये (व्यवधान) (सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्री शिवराज सिंह--

श्रीमन्, अब पिछली आइटम पर चर्चा नहीं हो सकती । . .

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि हमारे मित्र ने एक वैधानिक आपत्ति की । मैं आपका ध्यान नियमावली के अध्याय १३ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह है कि लोकहित के किसी विषय पर प्रस्ताव द्वारा चर्चा । एक प्रस्ताव हमारा आपके पास पहुंच चुका है । नियम १०६ तक की सारी कार्यवाही हो चुकी है। आपने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, विवाद के लिये स्वीकार कर लिया ।.....

श्री अध्यक्ष---

मैंने स्वीकार नहीं किया (व्यवधान) मैंने यही कहा कि आपका प्रस्ताव मेरेपास आया। मने उसको स्वीकार नहीं किया । बात यह थी कि मैंने कहा कि बातचीत करें और आप लोग मान गये । जब आप मन गये तो मैं यह मानकर चलता हूं कि दो-एक रोज थोड़ा सा आप धीरज रखें । थोड़ा सा मैं समय चाहता हूं और इस प्रश्न को अभी न उठायें।

श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। नियमानुसार जब कार्यसूची का कोई आइटम समाप्त हो जाय और आपकी आज्ञा से (व्यवधान) .....

कई सदस्य--

बैठिये, बैठिये (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)....

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १४९ के अन्तर्गत सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० जो विधान सभा द्वारा ६ मई, १९७० को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद से, बिना संशोधन क दिनांक २७ मई, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, आपने शिवराज सिंह जी को दो बार मौका दिया व्यवस्था का प्रश्न उठाने का (व्यवधान) इस तरह से नहीं चलेगा ।

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु विधेयक, १९७०

सचिव विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक १० मार्च, १९७० की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ३० अप्रैल, १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १९ मई, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का १८वां अधिनियम बन गया ।

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्री शिवदास के निलम्बन की समाप्ति की मांग (क्रमागत)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, आपने क्या कोई दिन नियत किया है प्रस्ताव के लिए ? आपने क्या किया ?

(व्यवधान)

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, किस कानून के अन्तर्गत आप हमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाने देते हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]--

मुख्य मंत्री जी आपका मुंह बन्द कर देते हैं और आप हमको व्यवस्था का प्रश्न उठाने नहीं देते हैं । जब हम व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो आप अपने सचिव को खड़ा कर देते हैं । यदि आप इस तरह से हम लोगों का अपमान करेंगे तो फिर हम इस सदन को चलने नहीं देंगे । (व्यवधान) यह हम लोगों का और इस सदन का अपमान है कि जब हम कोई अपनी बात कहने के लिए खड़े होते हैं तो आप अपने सचिव को खड़ा कर देते हैं । (शोर) आप हमारा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये । मैंने अपने व्यवस्था के प्रश्न में इस बात को उठाया था कि इस सदन के एक आदरणीय सदस्य सदन की सेवा से बहुत दिनों से निलम्बित हैं । ऐसा इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा के इतिहास में आज तक कभी भी नहीं हुआ है कि इतने दिनों तक कोई सदस्य निलम्बित पड़ा रहा हो । आपने आश्वासन दिया था कि इस प्रश्न को लिया जायगा और एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता, कमलापति त्रिपाठी जी ने आश्वासन दिया था कि सदन के बैठते ही २८ तारीख को इस प्रश्न पर विचार किया जायगा और शुरू में ही इस पर विचार होगा । जब हम इस प्रश्न को उठाते हैं तो आप कहते हैं कि २ दिन के बाद इस प्रश्न पर विचार होगा और कभी कहते हैं कि नेता सदन से बात करेंगे और दूसरे नेताओं से बात करेंगे । हमें नेता सदन से कोई दुर्भावना नहीं है लेकिन शिवदास तिवारी का प्रश्न बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। यह हमको बहुत बुरा लगता है कि सारा सदन तो यहां पर बैठा रहे और एक माननीय सदस्य इस तरह से बाहर रहें । जब उपाध्यक्ष जी ने स्वयं उनको क्षमा कर दिया है तो आप इस पर विचार कर लें । हम माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि वह उस प्रस्ताव को वापस कर लें । श्रीमन्, जब हम इस प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं तो शिवराज सिंह जी अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा देते हैं और हम लोगों को आप कंडेम कर देते हैं । हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप शिवदास जी तिवारी के निलम्बन के प्रश्न का तत्काल समाधान निकालिये नहीं तो यहां पर सदन का काम चलना मुश्किल हो जायगा चाहे आप हम सबको सदन से निकाल डालें । आप आंतक से इस सदन को चला नहीं सकते हैं । मुख्य मंत्री जी चाहें अपनी कितनी क्रूरता दिखायें लेकिन हम डरेंगे नहीं । आप इस प्रश्न का समाधान करियें नहीं तो हम सदन को नहीं चलने देंगे । (व्यवधान)

*श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

मुझे बड़ा दुख है । यह समस्त सदन का अपमान है कि जब मैं बोल रहा था तो आपने अपने सचिव को खड़ा होने को कहा और वह आपके आर्डर से एजेंडा की बात कहने लगे । (व्यवधान) आप मेरी पूरी बात सुन लें तब उसके बाद कुछ कहें । आपने समस्त सदन का अपमान किया है । आखिर नेता सदन बोलते होते तो आप क्या इस तरह से उनको खड़ा करते और उनको न सुनते । आप यह कह सकते थे कि आप बोलिये (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लें। हम इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं जिस तरह से उधर से कहा जाता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने बहुत न्यायसंगत मांग आपके सामने पेश की थी कि यह शिवदास जी का मामला दूसरे स्तर का है। मुझे बहुत दुख हुआ कि जब मुख्य मंत्री जी या कुछ अन्य सज्जनों ने उपदेश देना शुरू किया । उधर के बैठने वाले व लोग हैं और मुख्य मंत्री जी भी वही हैं जिन्होंने इस सदन में खड़े होकर दो घंटे तक इस सदन की कार्यवाही को चलने नहीं दिया था । (शोर) मैं इस तरह से चुप होने वाला नहीं हूं । मैं इस बात का लांछन लगाता हूं कि मुख्य मंत्री जी की शह से ही इस सदन में घंटों तक इस माननीय सदन क अध्यक्ष को बईमान कहा गया था । उनकी शह से ही माननीय अध्यक्ष के ऊपर जूते फेंके गये थे । मैं आज यह कहना चाहता हूं कि (व्यवधान) कवल उन की शह से सदन का काम नहीं चलने दिया गया था, हम उनकी बात को इस तरह से जबरदस्ती नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मानेंगे आप कृपा करके श्री शिवदास तिवारी के मामले को आज ही ले लें, या तो आज हम चले जायेंगे और यहां का काम नहीं चलने देंगे । आज यह मामला क्यों नहीं लिया जाता ? आप इस प्रस्ताव को आज ही सदन के सामने रख दें अन्यथा हम सदन में नहीं बैठगे ।

श्री अध्यक्ष---

जब आपने कहा था कि यह खड़े हुये बोलने के लिये, मैंने उनसे इशारा किया, मैंने उनको बिठा दिया कि आप की बात पूरी सुन लें और आप बोलना शुरू करें, फिर उन्होंने एतराज किया, एतराज वाजिब किया लेकिन चूंकि आप नेता विरोधी दल हैं इस बात का लिहाज करके मैंने कहा कि आप बोलें और उनको बिठा दिया ....

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

अध्यक्ष जी, आप के आसन से जो व्यवस्था होती है....

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें, तो यह रहा कि मैं छुट्टी के बाद इसको रखूंगा, इस प्रस्ताव के संबंध में मैं वादा कर चुका हूं श्री कमलापति जी से कि वह आ जायं, मैंने उनसे बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि मैं लौट कर आता हूं फिर बात करूंगा ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

आज ही इसको क्यों नहीं लिया जाता, आज क्या कठिनाई है ? आज सदन को बैठे एक मास हो गया, बड़ी बड़ी दुर्घटनायें इस सदन में हुई और निलम्बन हुये और तीन दिन के बाद वह वापस ले लिये गये । सारे निष्कासन पहले केवल ७ दिन के ही होते थे लेकिन माननीय मुख्य मंत्री के कहने से ऐसा हो गया....

श्री अध्यक्ष---

यह आज के प्रोग्राम में नहीं है, मैं चाहता हूं कि यह शांति से निपट जाय....

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

आप अशांति से भी निपटायें तो हमें एतराज नहीं होगा, आप इस संबंध में सदन की इस समय की भावना को समझे लें और उसके बाद मुझे एतराज नहीं होगा आप इसको चाहे अशांति से निपटायें । आप मुख्य मुन्त्री जी को विरोध करने दीजिय लकिन इस प्रस्ताव को आज ही ले लिया जाय (व्यवधान)

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, निष्कासन का प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी लाये थे और माननीय कमलापति जी ने वापसी के बारे में सबसे कह दिया है । माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वह इस प्रस्ताव को आने दें और श्री कमलापति जी को बीच में न लायें और अभी निष्कासन के प्रस्ताव को ले लें।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं दुख के साथ निवेदन करूंगा और मैं पहले से ही आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी बात मैं कह जाऊं जो अनुचित लगे । केवल मेरे ही भाव ऐसे नहीं हैं बल्कि मुझे तो दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी एक्सप्लोसिव इशू को या तो आपने स्वीकार ही न किया होता और यदि स्वीकार आपने कर लिया है तो अब उस पर विचार होने दें । आप दोनों बातें कैसे चाहते हैं, एक ओर तो गुस्सा भी है और दूसरी तरफ शांति की बात भी है और बिठान के लिए कहते हैं और निकाल देने की बात कहते हैं तो निकलने का भय तो हमें नहीं है .....

श्री अध्यक्ष---

मैंने कहा था कि मैं पसन्द नहीं करता, निकालने की बात नहीं ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे---

मुझे दुख इस बात का है कि श्रीमन् ऐसे आसन पर विराजमान हैं कि जहां आपको एक ओर थोड़ा दृढ़ होना चाहिये, वहीं निष्पक्ष भी होना चाहिये । यह ठीक है अगर सदन में कोई गलत कार्य करता है तो उसे दंड मिलना चाहिये, यह बात मैंने अभी श्री जायसवाल जी से भी कही थी। अब हम उदारता की अपील करते हैं । जब वे नेता विरोधी दल थे तो श्रीमान्, इससे भी भीषण घटना हुयी थी । आपको बेइमान कहा गया था, आप पर जूते फेंके गये । जिस उदारता, सौहार्द और सौजन्यता का वे परिचय दिया करते थे, आज वे उससे क्यों मुकर जाते हैं । मैं उनसे उदारता की अपील करता हूं ।

मैं यह नहीं समझ पाया कि कोई भी कार्य एक व्यक्ति की गैरहाजिरी के कारण क्यों टाल दिया जाय । एक व्यक्ति कितना ही महान् क्यों न हो, इस सदन से बड़ा नहीं है और जब नेता सदन मौजूद हैं, उस समय एक व्यक्ति से बात करने के लिए टाल दिया जाय, यह नहीं होना चाहिए । आज हमारे और आपके हाथ में डैमोक्रैसी की मर्यादा की रक्षा करना है और यदि हम ही नहीं करेंगे तो हम स्वयं ही उसे खड्ड में डाल देंगे ।

मैं बड़ी नम्रतापूर्वक विनम्र शब्दों में माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे निष्पक्ष हों, उदार हों और जो उदारता वे नेता विरोधी दल के पद पर रखते थे, उसे आज व्यवहार में लायें और किसी व्यक्ति के लिए सदन में विचार टाला न जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं फिर क्षमा मांगता हूं कि अगर मैंने कोई गल्ती की हो तो मुझे क्षमा कर दें ।

श्री अध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें । इसे किसी और रोज ले लिया जायगा ।

श्री दीप नारायण मणि (जिला देवरिया)---

श्रीमान्, माननीय मुख्य मंत्री जो नेता सदन हैं, उन्होंने आप से कोई बात की, कोई मसला आया । आपने कहा कि आप मश्विरा करके फैसला करेंगे । इसमें कोई ऐसी बात नहीं हुयी जिससे किसी को ठैस लगे । मेरा निवेदन है कि एक महीना बीत चुका है । २ दिन की बात थी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इतना ही कहा कि सदन में बहुत से मसले उठत रहते हैं और यह सदन की मर्यादा का प्रश्न है । अब यह मसला किसी आदमी का नहीं होना चाहिए। मैं मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि अगर सारा सदन उसे क्षमा करने के पक्ष में है तो वह कल को इसका फैसला मुख्य मंत्री करा दें ?

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय दुबे जी को सुना, आचार्य जी को सुना, माननीय कृष्णानन्द राय जी को सुना। मुझ खेद है कि जब माननीय नता सदन, नेता विरोधी दल थे तो आपके साथ जो घटना हुयी, उसके सम्बन्ध में सभी वक्ताओं ने वास्तविकता से परे जाकर बात की है । उन्होंने कहा कि व सदन में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में माननीय अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार हुआ ....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

आप से यह सफाई कौन मांग रहा है ?

श्री महीलाल—

आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ। श्रीमन्, आप साक्षी हैं, आपने माननीय नेता विरोधी दल से अपने मार्शल द्वारा कहलवाया कि आप सदन छोड़ दीजिए ?

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

इनका जूता, आप पर खुद लगा था।

श्री महीलाल—

जब माननीय नेता, नेता विरोधी दल की कुर्सी पर बैठे थे तो कोई अशोभनीय घटना नहीं हुयी थी। मैं उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे वास्तविकता को तोड़ मरोड़कर कहने की चेष्टा न करें। इस तरह के आक्षेप न करें जिनमें सत्यता न हो। उनसे यह आशा की जाती है कि.....

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अध्यक्ष महोदय, ये आक्षेप मुझ पर न करें या आप मुझको मौका दें।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, शिवदास तिवारी जी क निलम्बन का यह प्रश्न असाधारण है और उस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये। इसलिये मैं अपनी राय जाहिर करने के लिये खड़ा हुआ हूं, ...

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

(विपक्ष की ओर से शोर)।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं कुछ चीजों की याद दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, सर्वप्रथम जब यह प्रश्न यहां पर उठाया गया श्री राजमंगल जी द्वारा, जैसा मैंने उस वक्त भी निवेदन किया था कि वह नियमित नहीं थी उनकी शिकायत, लकिन उसके बावजूद इतनी जल्दी.....

(व्यवधान)

उस वक्त यह कोशिश हो रही थी कि तुरन्त ही सजा दे दी जाय। लेकिन आपने हमारा निवदन स्वीकार करके कहा कि फिर से अपनी शिकायत या प्रस्ताव पेश करें। उसके बावजूद

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों को यह आश्वासन मिला बड़े-बड़े नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा यह सदन जिस दिन बैठेगा अगली दफा उस दिन विचार करके निलम्बन मैंने समाप्त कर दिया जायगा। आपको याद होगा मैंने उस दिन सांस नहीं ली। एक लफ्ज बोला नहीं और इस सदन की गरिमा को रखते हूए और मुख्य मंत्री तथा सबकी इज्जत रखते हुए उसको खामोशी से स्वीकार एक लफ्ज बगैर बोले। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस दिन जो सजा शिवदास तिवारी जी को मिली वह कानून के मुताबिक नहीं थी, क्यों नहीं थी...

श्री अध्यक्ष--

उस पर मत जाइये, जिस दिन बहस कराने की इजाजत दूंगा उस रोज कह सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

उस वक्त जो सदन की उत्तेजना थी और जो उस प्रश्न के साथ जुड़ी हुई परिस्थितियां थीं वह ऐसी नहीं थी कि उस पर ठंडे दिल और ठंडे दिमाग से विचार किया जा सके। इसलिये आवश्यक था कि आप सुपुर्द कर देते इस प्रश्न को उस कमेटी को जो इसके लिये बनाई थी और शिवदास तिवारी को तथा और लोगों को अपना अपना जवाब देने का मौका मिल जाता। लेकिन मैंने उस चीज को नहीं उठाया और सबका आदर करते हुए उस चीज को स्वीकारा केवल एक आश्वासन पर कि जब यह सदन दोबारा बैठेगा तो पुनः विचार करके उनके निलम्बन को समाप्त कर दिया जायेगा। हमें जो आश्वासन दिया गया था वह पूरा न होने पर उससे हमको कितनी ठेस लगेगी। हम तो छोटे आदमी हैं, हमको नुक्सान नहीं होगा। यहां जो बड़े-बड़े आदमियों ने आश्वासन दिया है उनकी बदनामी होगी। मान्यवर, एक महीना आज बीत गया। शिवदास तिवारी हमेशा के लिए निष्कासित नहीं किये गये हैं। उनके क्षेत्र विशेष की कार्यवाही में श्री शिवदास के माध्यम से भाग लेने का मौका मिले ताकि उनके क्षेत्र की नुमाइन्दगी हो सके। वे अपने क्षेत्र की नुमाइन्दगी से वंचित हैं.....

श्री अध्यक्ष--

मैं स्थगित करने के लिये कह रहा हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं एक दफा नहीं, दस दफे धोखा खाने को तैयार हूं। उसके बाद जो आपका हुक्म होगा वह शिरोधार्य है। मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा, श्रीमन्, मुझको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिन आदमियों ने आश्वासन दिया है उनक नाम का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष--

वही आदमी तो यहां मौजूद नहीं है मैं चाहता हूं कि उनको भी आ जाने दिया जाय। अब आगे की कार्यवाही होने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

मैं एक बात कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठिये, आपके नेता बोल चुके हैं ।

(शोर)

(श्री चरणसिंह के सदन से जाने पर---शेम शेम की आवाजें ।)

श्री कृष्णानन्द राय---

अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री को आप संदेश भेज दें कि इस तरह से भागने से काम नहीं चलेगा

(शोर)

आप माननीय मुख्य मंत्री को बुलायें हम लोग सदन नहीं चलने देंगे

(शोर)

श्री अध्यक्ष---

पहली तारीख को इस प्रस्ताव को लिया जायेगा । माननीय कमलापति जी भी उस दिन हाजिर रहेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय---

आप बार-बार पंडित जी का क्यों नाम लेते हैं ।

(शोर)

आप बिट्ठल भाई पटेल और टंडन जी के नाम क्यों नहीं लेते ।

(शोर)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण विषय चल रहा था, इस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री का चले जाना ठीक नहीं है, इसको हम सदन का अपमान समझते हैं..... (अत्यन्त शोर) यह सदन का अपमान है । मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूं, कृपा कर आप इस प्रस्ताव को आज ले लें । हम इसकी परवाह नहीं करते कि माननीय मुख्य मंत्री क्या रुख लेंगे । उनकी जो इच्छा हो वह रुख ले लें, उसकी हमें चिन्ता नहीं है । माननीय दीपनारायण जी ने भी एक बात कही है और यह निवेदन किया है कि अब इसे समाप्त कर दना चाहिये । एक महीना हो गया, अब सब खत्म हो गया है । कृपया इसे आज ही ले लें । यदि आवश्यक समझें तो इसमें मतदान करा लें, इसे टालें नहीं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं पहली तारीख को इसे लूंगा ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि प्रस्ताव आज ले लिया जाए ।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, इस मामले को तय कर लीजिए, फिर आगे बढ़िये, नहीं तो आज की कार्यवाह आगे चल नहीं सकती है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

इस समय सदन में बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, इसलिए मैं सदन को १० मिनट के लिए स्थगित किरता हूं ।

(इस समय १ बजकर ३ मिनट पर सदन स्थगित हुआ। इसके उपरान्त श्री अध्यक्ष ने मार्शल द्वारा सदन १ बज कर ३० मिन ट तक तथा दूसरी बार १ बजकर ४५ मिनट तक स्थगित रहने की घोषणा कराई। १ बज कर ४९ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

१९७०-७१ आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १८---शिक्षा (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---

(श्री जगदीश गांधी का नाम पुकारने पर) आपके लिये केवल ५ मिनट का समय है। उसके बाद माननीय जायसवाल जी बोलेंगे और उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री जवाब देंगे ।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा पर बोलने का समय दिया। श्रीमन्, १९६८-६९ में शिक्षा का जो बजट था वह ५८,३७,११,००० रु० का था। १९६९-७० में शिक्षा के लिये ७९,३९,०८,००० रु० का प्राविधान था और इस वर्ष ७४,९२,८२,००० रु० का प्राविधान है.....

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

मान्यवर, कार्यक्रम के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है..... (व्यवधान) जो सदन की कार्यवाही के बारे में था..... (व्यवधान) .....आपने क्या निर्णय लिया है । ..... आपने सदन स्थगित कर दिया ।

श्री अध्यक्ष---

अब वह कल होगा । आप कृपा करके बैठ जायं और समय न लें ।

(व्यवधान)

श्री जगदीश गांधी---

मान्यवर, पिछले वर्ष का उत्तर प्रदेश का कुल बजट ४१३ करोड़ ३८ लाख रुपये का था और इस वर्ष का बजट बढ़कर ४१८ करोड़ ७१ लाख हो गया। बजट में कुल वृद्धि लगभग ५ करोड़ रुपये की हुई। शिक्षा में साढ़े चार करोड़ रुपये की कटौती पिछले वर्ष के व्यय के आधार पर हुई। मान्यवर, स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या १५ से २० प्रतिशत तक बढ़ी है। अध्यापकों की संख्या में भी उसी अनुपात में वृद्धि हुई है। जिन विद्यालयों को मान्यता मिली है उनकी वृद्धि भी उसी अनुपात में हुई है। तो मान्यवर, एक ओर पढ़ने वालों विद्यार्थियों की संख्या, स्कूलों की संख्या और अध्यापकों की संख्या में वृद्धि हुई है दूसरी ओर कुल बजट में भी ५ करोड़ रुपये का वृद्धि हुई है तो इस प्रकार पिछले वर्ष शिक्षा पर १८ प्रतिशत रुपया व्यय करने का प्राविधान था परन्तु इस वर्ष १७ प्रतिशत ही शिक्षा पर व्यय करने का प्राविधान है ।

(इस समय १ बज कर ५३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पी०ासीन हुए।)

---

†२७ मई, १९७० की कार्यवाही से ।

अनुदान के रूप में पिछले वर्ष ६६,५५,९१,४०० रुपये का प्राविधान किया गया और इस वर्ष ६१,११,०२,०७२ रुपये का प्राविधान किया गया है यानी साढ़े पांच करोड़ की कटौती कर दी गयी है, सहायक अनुदान में से। मुझे भय है कि जिन स्कूलों को एम० आर० (मैनेजर्स रिपोर्ट) के आधार पर अशासकीय माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान दिया जाता है, उनको नहीं दिया जा सकेगा। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के अनुदान में भी ४,०२,८०,०० रुपये की कमी कर दी गयी है। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा में ५५,४९.००० रुपये की कमी कर दी गयी है। मान्यवर, इस कमी के कारण यह शिक्षा व्यवस्था कहीं अस्त-व्यस्त न हो जाय।

परीक्षा प्रणाली के संबंध में भी कहा गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा परीक्षायें ली जाती हैं। मेरे विचार में परीक्षाएं अनावश्यक हैं जबकि ८० फीसदी विद्यार्थी नकल करते हैं। कहीं-कहीं अध्यापक भी उसमें उनकी मदद करते हैं। ऐसी परीक्षाओं से, जिनमें अधिकांश विद्यार्थी नकल करते हों, कोई लाभ नहीं है। मेरा सुझाव है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् और रजिस्ट्रार डिपार्टमेंटल एक्जामिनेशन्स को समाप्त कर दिया जाय और परीक्षा लेने की जिम्मेदारी अध्यापकों पर छोड़ दी जाय। जो साप्ताहिक, तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षाएं लिया करें। इसके अलावा किसी भी लड़के को फेल न किया जाय। लड़का चाहे एक विषय में पास हो, २ में हो, ४ में हों, उसको प्रमोशन दे दिया जाय। कोई आवश्यकता नहीं है कि वह पूरे विषयों में परीक्षा पास ही करे। किसी विद्यार्थी में किसी विषय को जानने की प्रतिभा अधिक होती है और किसी विद्यार्थी में किसी विषय को जानने की। जिस विषय में जिसकी प्रतिभा हो उसको उसी विषय में आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिये।

श्रीमन्, एन० सी० सी० और पी० एच० डी० शारीरिक विकास के लिए तो उपयोगी हो सकते हैं लेकिन उनसे बच्चे में अनुशासन नहीं आता। क्योंकि उसमें न तो अनुशासन सिखाया जाता है और न कोई नियम ही सिखाये जाते हैं। मेरा सुझाव है कि इसके स्थान पर स्काउटिंग कर दी जाय। उसमें प्रतिज्ञा भी करायी जाती है और नियमो का पालन भी कराया जाता है जिससे विद्यार्थियों में ईश्वर भक्ति और चरित्र निर्माण का विकास होता है सारे विद्यालयों में प्रार्थना करायी जानी चाहिये। यह स्कूल प्रारम्भ होने के समय होनी चाहिये और उसी समय प्रधानाध्यापक को नैतिक बातों पर प्रकाश डालना चाहिये। धार्मिक प्रार्थना से मेरा मतलब है, "यह शक्ति हमे दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना डालें।" इस प्रकार की प्रार्थना प्रत्येक स्कूल में होनी चाहिये। ईश्वर की प्रार्थना और नैतिक शिक्षा से जब से विद्यार्थियों को दूर रखा जा रहा है तभी से विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता और गैर जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यबर, मैं आपकी अनुज्ञा से शिक्षा मंत्री जी का ध्यान शिक्षा मंत्री जी के निदेशन और प्रशिक्षण की तरफ दिलाना चाहता हूं।

निदेशन पर आप देखें कि सन् १९६१-६२ में बजट का ०.८ परसेंट खर्च होता था और प्रशिक्षण पर ३ परसेंट बजट का खर्च किया जाता था। लकिन यह दोनों फीगर्स घटते-घटते अब ७०-७१ में .५ परसेंट रह गयी है, निदेशन पर और डेढ़ परसेंट रह गया है। प्रशिक्षण पर। (शिक्षा मंत्री से) आप घबरायें नहीं कि हम आपको यह सलाह देंगे कि आप पैसा ज्यादा खर्च करें और वह स्थिति भी नहीं है, इस वास्ते दूसरा उपाय सोचना चाहिये। जो निदेश का काम है खास कर जिले में उसका सारा काम ट्रांसफर का हो गया है। इससे बड़ी समस्या कोई नहीं है

[श्री आनन्त राम जायसवाल]

और जैसा मुझको अनुभव हुआ था मैं समझता हूं आपको भी वही अनुभव होगा। खाली सीजन में ही नहीं बल्कि साल के साल यह काम चला करता है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह जो ट्रांसफर की बात है अराजपत्रित कर्मचारियों की, शिक्षक हों या गैर शिक्षक इनके लिये अगर आप यह कर दें कि अपने जिले के आस पास वह लोग चले जायें तो यह मामला हल हो सकता है। मैंने उस वक्त भी यह प्रस्ताव रखा था लेकिन पता नहीं विभाग को क्या परेशानी व कठिनाई है साथ में। नतीजा यह होता है कि जैसे ही आप चार्ज लेंगे या कोई दूसरा हो तो बराबर यह क्रम चला करता है। इसलिये आप ऐस ा नियम बनावा दीजिये। आज चाहे डायरेक्टर हों या डिप्टी डाइरेक्टर हों, इन सबको यही काम रहता है ट्रांसफर का। नतीजा यह होता है कि और काम हो ही नहीं पाता है।

इसी तरह से जो केन्द्रीयकरण है, जैसे अनुदान वाला मामला है या और चीजें है तो इनको आप इन्सपेक्टर के सुपुर्द क्यों नहीं कर देते हैं। वह भी एक जिम्मेदार आदमी है शिक्षा विभाग का। या डिप्टी डायरक्टर क सिपुर्द यह काम कर दें। तब काम चलेगा।

इसी तरह से जो निरीक्षण में आते है उसमें डायरेक्ट भरती आप करते हैं। मान लीजिये कोई प्रिंसिपल ५०–५५ साल का है, उसने जमाना देखा है और शिक्षा का उसे बहुत तजुर्बा हो गया है तो ऐसी हालत में एक नये लड़के को जो इंन्सपेक्टर भरती होता है उसको आप निरीक्षण दे देते हैं और पुराने लोग जो उससे ज्यादा तजुर्बेकार हैं वह उसकी बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे पी० सी० एस० वगैरह में नया काडर भरती होता है तो कहते हैं कि जाकर किसी मैजिस्ट्रेट से ट्रेनिंग लो। इसी तरह से मेरा आप से निवेदन है कि जो इन्सपेक्टर भरती किये जाते हैं उनको आप पहले ट्रेनिंग कालेज में पढ़ाने में लगा दें। इस तरह से जब उनको शिक्षा का ज्ञान हो जाया करे तब वह कुशल निरीक्षक भी बन जायेंगे और उनकी बात का भी वजन बढ़ जायेगा।

इसी तरह से कुछ हमारे संस्थान हैं, जैसे राज्य शिक्षा संस्थान इसका काम ऐसा है कि जो निरीक्षण की सेवा में लगे हैं उनका प्रशिक्षण करें। इसी तरह से प्राइमरी स्तर के शिक्षकों को शिक्षा का प्रबन्ध करें। प्रसार शिक्षकों के कोर्स वगैरह के बारे में और पाठ्यक्रम वगैरह के बारे में रिसर्च और तैयारी करें। इस संस्था का काम यह है कि और गवर्नमेंट आफ इंडिया से यह सब-सिब्गाइज होती है। वह स्पेशली ट्रेन्ड परसोनेल इसके लिये भेजते हैं। पिछले ६ साल से अस्तित्व में है लेकिन बराबर इसके प्रिंसिपल बदलते रहे और ऐसा प्रिंसिपल जिनका इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है वहां नियुक्त किये गये और ट्रेन्ड परसोनेल हटा दिया गया है। तो अगर आप इसको उपयोगी संस्था बनाना चाहते हैं तो जो इस काम में ट्रेन्ड हैं उन्हीं लोगों को लगाइये। और मैं आपको आचार्य नरेन्द्र देव जी की बात याद दिलाना चाहता हूं। उनका निश्चित मत था कि जब तक ट्रेन्ड परसोनल नहीं लेंगे तब तक किसी विभाग में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो जिस जिस काम के लिये प्रशिक्षित लोग हैं उनको काम पर लगावें।

दूसरी संस्था है विज्ञान संस्था। इलाहाबाद में स्थापित है। काम इसका यह है कि विज्ञान में अपनी लेबोरेटरी में रिसर्च करते रहेंगे और उसके बाद जो विज्ञान में सेवारत शिक्षक हैं उनको अपनी प्रगति खोज से अवगत करते रहेंगे। लेकिन आप देख लीजिये कि १९६४ में यह वजूद में आयी लेकिन उसकी लेबोरेटरी नहीं बन पायी और उसका काम बनारस में हो रहा है, दूसरी जगह हो रहा है। डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत का एक आदमी बैठा दिया, वह ऐसे आदमी हैं कि सब चीजों में वह प्रवीण ह लेकिन जिसके लिये नियुक्त किये गये हैं उसमें वह कोरे हैं। उसी तरह से आप की शिक्षा विभाग की सेवा इतनी पुरानी हो गयी है, लेकिन सेवा नियम आज तक नहीं बन पाय है, सर्विस रूल नहीं बन पाये और किसी कैडर क लिये, चाहे डिप्टी डायरेक्टर हो, शिक्षक हो या साधारण कमचारी हो, कोई रूल्स नहीं है। उसका नतीजा यह होता है कि जब रूल

नहीं बन पाये तो कनफर्मेशन के केसेज जो होते हैं---मान लीजिये जो पी० एस० सी० से भर्ती होते हैं तो दो साल में कनफर्मेशन होना चाहिये और डिटपार्टमेंटल लोग जो एडहाक बेसिस में नियुक्त किये जाते हैं और सेलेक्शन कमेटी के पास बाद में जाते हैं तो सेवा नियम न होने के कारण अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता चलती है। कभी पी० एस० सी० की भर्ती से एक निश्चित परसेंटेज लिया जाता है, कभी एक निश्चित परसेंटेज विभागीय आदमियों से लिया जाता है और कभी दोनों जगह से। तो नतीजा यह होता है कि चोर दरवाजा खुल जाता है और लोग निकल करके आगे की तरफ चले जाते हैं। तो इसकी तरफ भी ध्यान आपका जाना चाहिये।

दूसरे यहां देखेंगे कि अपने विभाग में चूंकि काम बहुत ज्यादा रहता है इसलिये यह मामूली नियम जो कैरेक्टर रोल वगैरह का है यह पूरा नहीं होता। मैं पूरे जोर से कहना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दें कि कैरेक्टर रोल नियमित रूप से बनाये नहीं जा रहे हैं। ऐसी हालत में जब ऐडहाक बेसिस पर लिये गये लोगों के नाम सेलेक्शन कमेटी की तरफ जाते हैं तो कैरेक्टर रोल न होने के कारण उनका प्रोमोशन रुक जाता है (लाल बत्ती होने पर) ५ मिनट और लूंगा सिर्फ। यह बात रह जायगी और बहुत आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष---

दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

तो प्रोमोशन में दिक्कत होती है उस वक्त और उसके साथ-साथ एफिसियेंसी-बार रुका रहता है और कभी-कभी, जैसे फरवरी, १९७० का कैस है तो उसमें हमको जानकारी मिली है और इसको शिक्षा मंत्री जी आप चेक कीजियेगा कि करीब-करीब ८०० के ऊपर कैरेक्टर रोल एक साथ भरे गये हैं। ८०० या हजार के करीब। नतीजा उसका यह होता है कि जो रोज रेगुलर काम होना चाहिये वह नहीं हो पाता तो उनका प्रोमोशन रुक जाता है, एफिशियेंसी बार रुक जाता है और उससे सर्विसेज में चारों तरफ असंतोष रहता है और सब लोग परेशान होते हैं तो काम कैसे करेंगे? तो संतोष लाने के लिये और एफिशियेंसी बढ़ाने के लिये जरूरी है कि आप इस ओर ध्यान दें।

इसी तरह स कुछ और चीजों की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। शिक्षा विभाग ने १९६५ में मितव्ययिता की थी तो उसमें करीब दो हजार चतुर्थ श्रेणी के आदमी हटा दिये गये, लेकिन प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उसी साल आदमी भर्ती किये गये। एक तरफ आप मितव्ययता करते हैं और दूसरी तरफ यह सिलसिला चलता है, तो कोई बात नहीं हो पाती और सफर कौन करता है? अगर लैबोरेटरी किसी इंस्टीट्यूट की है तो उसमें बेयरर हट गया लेकिन ऊपर की तरफ जायं तो मालूम होगा कि वहां पर एक-एक अधिकारी के पास यह जहां जरूरी नहीं है वहां एक-एक के पास दो दो, चार-चार और आठ-आठ चपरासी और अर्दली उसके चल रहे हैं।

अब मैं आपका ध्यान प्राविधिक शिक्षा की ओर खींचना चाहता हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आपका जो सचिवालय है उसका काला साया उसके ऊपर पड़ रहा है। सारे विभागों के सचिव बदलते रहते हैं लेकिन इसके अनुसचिव पिछले ७ सालों से बराबर तैनात हैं। जब एक आदमी एक जगह बराबर बना रहता है तो उसके सम्बन्ध बनने लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि कि एक डा० डे हैं, वह डिप्टी डाइरेक्टर बना दिये गये। चूंकि वहां वह कंन्फर्म नहीं हो पाये इसलिये उनको फिर प्रिंसिपल बना दिया गया। समाज कल्याण विभाग भी प्राविधिक शिक्षा देता है, अब उनको वहां लाया गया है। इसी तरह स एक राव साहब हैं। यह म आपकी सूचना के लिये दे रहा हूं। जो अनुसचिव महोदय हैं उनकी दिलचस्पी इसमें है कि किसी तरह से यहां का राजकीय महिला पालिटेक्निक टूट जाय। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि पिछली दफा जब वहां का बजट पेश किया गया तो अनुदान की दो मदें दिखलाई थीं . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें, समय हो गया ।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से .....

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल आपको अपना नाम दिया था और आपसे गुजारिश की थी कि मुझे बोलने के लिये टाइम दिया जाय । आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया इससे मैं सदन में बैठना अपनी तौहीनी समझता हूं । इसलिये मैं हाउस से वाक आउट करता हूं ।

(श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री श्रीपति मिश्र--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं । जिन्होंने दिलचस्पी से इस अनुदान के सम्बन्ध में वादविवाद में भाग लिया और निश्चित रुप से बहुत ही उपयोगी बातों की तरफ मेरा ध्यान दिलाया और उनके प्रति मुझे सतर्क किया । मान्यवर, मैं थोड़े ही समय में सूक्ष्म में उन बातों के सम्बन्ध में जो कही गई है, कहना चाहूंगा । मान्यवर, ७ बातें मुझे ऐसी दिखाई दीं जिनके सम्बन्ध में मैं समझा कि उत्तर देना आवश्यक है । माननीय जायसवाल जी ने प्राइमरी शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देने की बात की और मैचिंग ग्रान्ट जो दी जाती है उसमें मैचिंग शेयर को खत्म करने की बात की । इस तरह से उन्होंने सुझाव दिए । इसके साथ उन्होंने माध्यमिक शिक्षकों के लिये और प्राइमरी शिक्षकों के लिए भी बातें बताईं । उन्होंने यूनिवर्सिटी के संबंध में भी कुछ बातें कहीं । मैं केवल उनसे इनती प्रार्थना करूंगा कि यूनिवर्सिटी के संबंध में आप जानते हैं और थोड़ा बहुत मैं जानता हूं लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको सदन के समक्ष कहने से कोई लाभ नहीं होगा और उनके संबंध में कुछ कार्य करने का हम लोग प्रयास करेंगे ।

कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी कुछ और बातें उठाई जिसमें एक माननीय सदस्य ने यूनिवर्सिटीज को दी गई ग्रान्ट के बारे में कहा था कि कुछ यूनिवर्सिटियों को ग्रान्ट अधिक दी गई थी और कुछ को कम दी गई और विशेष कर जो रेजीडन्शल यूनिवर्सिटी है उनकी ग्रान्ट निश्चय ही ज्यादा थी । जिनको कम मिली है उनके बारे में अभी मैं निवेदन करूंगा । एक माननीय सदस्य ने प्राथमिक शिक्षकों के संबंध में कहा । श्री जायसवाल जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस संबंध में कहा । उनके संबंध में चाहे एस० वी० डी० के समय के निर्णय हों या माननीय गुप्ता जी ने समय के निर्णय हों इससे कोई संबंध नहीं । मैं उसके विषय में भी बात कहूंगा । माननीय मेहरबान सिंह ने पौड़ी गढ़वाल के बारें में भी ध्यान आकर्षित किया था मैं उस संबंध में भी अपनी बात कहूंगा । माननीय रामगोपाल संड जी ने माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में बहुत सी बात बतलाई । उन्होंने कुछ शासन क इस कार्य के बारे में कहा जिसमें डिग्री कालेज के शिक्षकों की जो इंस्क्रेक्टरों को उन्नति का मौका है उसमें उनके लिए दरवाजा जो खोला गया है, उसमें एक बड़ा भारी हड़बोंग हो जाने की उन्होंने आशंका व्यक्त की । इस तरह की कुछ बातें मेरे सामने आईं जिनके बारें में मैं कहूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मूलतः मैं सभी माननीय सदस्यों की बातों से अपने को सम्बद्ध करता हूं । यह सही है कि प्राइमरी शिक्षा सबसे अधिक आवश्यक है और सबसे अधिक उधर ध्यान दिया जाना चाहिये । उसके साथ मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि हमारे प्रान्त में प्राइमरी शिक्षा दी जाने की जो व्यवस्था है उसमें उन बच्चों के लिए उतनी सुविधा, उतनी अच्छी इमारतें, उतना अच्छा वातावरण नहीं है है जितना होना चाहिये । इसको करने का प्रयास होना चाहिये लेकिन जो हमारी आर्थिक सीमा है उसको देखते हुए जो कुछ सम्भव है उसको हम करने का प्रयत्न करेंगे । सबसे पहले मैं अपनी उस बात को रखना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि शिक्षा का बजट चार करोड़ घटा दिया गया है । शिक्षा का जो वर्तमान बजट है वह इस समय आप देखेंगे तो ७४.९२ करोड़ का है । पहले इसको ७९.२९ करोड़ का रखा गया था । जाहिर है कि जब यह सामने आता है तो माननीय सदस्य ठीक ही समझते हैं कि इसमें तीन या चार करोड़ रुपया कम कर दिया गया है । लेकिन मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपके सामने इसके संबंध में प्रस्तुत करना चाहता हूं । जरा आप देखेंगे तो पिछली बार १९६९–७० में ७९.३९ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था और उसका ब्रेक अप इस तरह से था:– आयोजनेतर ७२.८२ करोड़ और आयोजनागत ६.५७ करोड़ इस तरह से टोटल ७९.३९ करोड़ होता है । कुछ और बातें है जिनको बिना कहे ही मैं कोशिश करूंगा कि उनको समझाऊं कि इस पूरे बजट में जो कि ७९.३९ करोड़ का था, इस बजट में से ८.३८ करोड़ रुपया वित्त विभाग द्वारा फ्रीज कर दिया गया था यानी शिक्षा विभाग उसको खर्च नहीं कर सकता था । इसका मतलब हुआ कि पिछले वर्ष के बजट में शिक्षा विभाग का खर्च करने वाला जो बजट था वह ७१.०१ करोड़ रुपये का था और बाद में फिर वित्त विभाग ने २ करोड़ रुपये की धनराशि फ्रीज करने से छोड़ दी थी । उसका नतीजा हुआ कि ७३ करोड़ रुपया पिछले वर्ष शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा बजट में खर्च किया जा सकता था और अबकी वर्ष वह ७४.९२ करोड़ है जो पिछले वर्ष से अधिक है वास्तविक खर्च के लिये । यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा . . .

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)––

श्रीमन्, मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहता हूं कि विधान सभा ने पिछल वर्ष शिक्षा के लिये कितनी मद स्वीकृत की थी ?

श्री श्रीपति मिश्र––

पिछले वर्ष विधान सभा ने कितनी मद स्वीकृत की थीं, आपके सामने जो प्रस्ताव रखा गया है, यही तो मैंने उनके सम्बन्ध में बतलाया कि शिक्षा विभाग के लिए ७९.३९ करोड़ रुपया स्वीकृत था और उसमें से ८.३८ करोड़ रुपया वित्त विभाग द्वारा फ्रीज कर दिया गया था । इस तरह से वास्तविक खर्च के लिए ७१.०१ करोड़ रुपया था । उसके बाद में २.७ करोड़ रुपये की धनराशि और मुक्त कर दी गयी और इस तरह से ७३ करोड़ रुपया वास्तविक खर्च शिक्षा पर किया जाना चाहिये ।

अब दूसरा प्वाइंट जिसके सम्बन्ध में जिक्र हुआ था वह कालेजों के सम्बन्ध में है । हमारे यहां ३ डिग्री कालेज सरकार चलाती है । एक ज्ञानपुर में और दो पहाड़ पर हैं । उन कालेजों में लगभग ४२ शिक्षक हैं जिनकी तरक्की का सवाल उठता है । इसी तरह से हमारे डाइरेक्टोरेट में भी ४३–४४ लोगों की तरक्की का सवाल उठता है । आज से बहुत पहले जो एप्वाइंटमेंट्स शुरू में हुए तो बाद में एक प्रश्न उठा कि क्या कालेज में जो लोग मुकर्रर किये गये हैं, ये इंस्पेक्टर तथा विभाग में और जो तरक्की होती है उसमें ये आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं । सरकार का कुछ ऐसा रुख दिख पड़ता था कि ये नहीं आ सकते हैं । इस सम्बन्ध में कालेज के अध्यापकों ने मुन्सिफी में मुकदमा किया और वे वहां से जीत गये । उसके बाद जजी में मुकदमा गया तो वहां भी वे जीत गये । उसके बाद फिर हाई कोर्ट में मुकदमा गया और वे हाईकोर्ट में भी कामयाब हुए ।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या हाईकोर्ट का जजमेन्ट रहा, माननीय मंत्री जी पढ़ कर सुनायेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र---

तीन-तीन जगह से अध्यापक लोग मुकदमा जीत गये और हाईकोर्ट से मुकदमा जीतने के बाद जब यह मसला हमारे पास आया तो इस सम्बन्ध में लीगल ऐडवाइजर से सलाह ली गयी क्योंकि वे गवर्नमेन्ट की तरफ से लड़ रहे थे। उन्होंने सलाह दी कि इसमें कोई ऐसा कानूनी प्वाइंट नहीं है जिसके आधार पर इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाय। इसलिए हम स्वतः ही इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं गये। जब तीन-तीन अदालतों के फैसले उनके पक्ष में हो गये तो हम हाई कोर्ट और जुडिशियरी के फैसलों को सर आंखों मानकर उसके औचित्य को देखते हुए उसी तरह का निर्णय लिया। उसका नतीजा जो हुआ वह यह है कि जहां हमको ४२ लोग १९ प्रोमोशन की पोस्टों पर दे सकते थे और कालेज में ४२ लोगों के लिए एक या दो पोस्टें हीं प्रोमोशन की थीं वहां पर अब ४२ और ४२ अर्थात् ८४ लोगों के लिए २१ या २२ पोस्टें निकल आती हैं। इस प्रकार से हम अच्छे आदमियों को निकाल लेते हैं और उनको प्रोमोशन की जगह भी मिलती है।

इसके अलावा जहां तक कि माध्यमिक शिक्षकों को वेतन देने का प्रश्न है मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने १० फरवरी या और किसी दिन जो निर्णय अपना लिया था और जो राजाज्ञा उन्होंने प्रसारित की थी, मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि पिछली सरकार ने खराब निर्णय अथवा अच्छा निर्णय लिया था और जो निर्णय लिया था उसको मैं भी ठीक ही समझता हूं और उसका पालन करने में मुझको भी कुछ दिक्कत होती है परन्तु वह किया जारहा है। अभी कानपुर का एक केस आया था जिसको यह हिदायत दी गई थीं कि तुम अपनी ग्रान्ट और फीस भी जमा करो। वह हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि तुम अपनी ग्रान्ट तो जमा कर सकते हो परन्तु फीस नहीं। हमने एक कानून तैयार किया है और उसका बिल भी बन रहा है जिसको जांच के लिए प्रस्तुत किया जायगा परन्तु वह कार्यान्वित किया जा रहा है हम माध्यमिक शिक्षकों का वेतन चेक के जरिये से देंगे और इसके लिये कार्य आरम्भ भी हो गया है।

इसके अलावा कुछ मित्रों ने छात्रवृत्तियों के बारे में यह कहा और विशेषकर परिगणित जाति के तथा जिनको मेरिट पर स्कालरशिप दिया जाता है। उनकी बातों से यह विदित हुआ है कि यह छात्रवृत्तियां उन लोगों को नहीं मिलती हैं या फिर फर्जी दी जाती हैं। उसके सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि जो छात्रवृत्तियां परिगणित विद्यार्थी या मेरिट पर दी जायेंगी हम उनके लिए आचार्य महोदय को आदेश देंगे कि उन विद्यार्थियों के नाम पासबुक खोलकर उनका धन उसमें रखा जाय। इस प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था होगी जिससे छात्रवृत्तियों को हड़पने का काम नहीं हो सकेगा। इसके अलावा मेरे सामने एक और प्रश्न आया, और जैसा कि माननीय जायसवाल जी ने कहा विकेन्द्रीकरण की बात। ८-८ लाख विद्यार्थियों की परीक्षायें एक-एक स्थान से होती हैं उसके बारे में हम इस निर्णय पर पहुंच चुके हैं कि जो एक जगह से परीक्षायें ली जाती हैं वह न हों। साथ ही शिक्षा का स्टैन्डर्ड भी न गिरे, प्रश्नों का स्टैन्डर्ड भी न गिरे और प्रदेश में हम दूसरे-दूसरे केन्द्र स्थापित करेंगे और उनका काम चलाने का प्रयास किया जायगा।

मान्यवर, समय कम है इस कारण से मैं दो, एक बातें और कहूंगा और उसके बाद समाप्त कर दूंगा। जहां तक कि ग्रान्ट का सवाल है मैं इस बात को जोर से महसूस करता हूं कि यह जो ग्रान्ट का सिलसिला है यह एसा है कि इसपर हमको विचार करना है। हम इस पर पुनर्विचार

कर रहे हैं और इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि यह जो व्यवस्था है कि हमारे प्राचार्यों को या प्रबन्धकों को इलाहाबाद जाना पड़ता है और ग्रान्ट को लेना एक कलाकारी हो गयी है, इसको बन्द करके जिले के स्तर पर या किसी और ढंग से इसको संचालित करें जिससे कि सुविधा हो। पौड़ी-गढ़वाल के सम्बन्ध में कहा गया.....

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जहां-जहां जिन-जिन कालेजों के प्रबन्धकों के यहां माननीय चतुर्भुज शर्मा जी चाय पी आये हैं उनकी ग्रान्ट के बारे में भी माननीय मंत्री जी कुछ कह दें। (व्यवधान)

श्री श्रीपति मिश्र--

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो प्रबन्धक समितियां हैं उनके बारे में जो बातें हैं उनको देखते हुए दो बातें सामने आती हैं। हम कभी इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं। चाहे प्रबन्धक या कमेटियों की व्यवस्था कितनी ही खराब हो गयी हों--कि इन्होंने शिक्षा के प्रसार में बहुत बड़ा योगदान किया है। लेकिन जहां उनकी स्थिति खराब हो रही है उसको देखते हुए और सदस्यों ने जैसी कि मांग की है कि सरकार बहुत बड़ी ग्रान्ट देती है और सरकार का कोई आदमी उस कमेटी में नहीं होता है, उसमें सरकार का कोई मनोनीत सदस्य रहना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं। यह ऐसी चीज है जिसमें हमें कानूनी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। मैं इस राय से जरूर सहमत हूं कि जब हम इतना पैसा देते हैं तो हमारे लोग भी वहा होने चाहिये। जो कानूनी विभाग है और जो विभाग के लोग हैं और जो स्टैंडिंग कमेटी है शिक्षा की उन सबसे बात करके इसको करने का प्रयास करेंगे।

आखीर में, बहुत से प्वाइंट ऐसे हैं जिनका उत्तर मैंने नहीं दिया। कुछ इसलिए कि समय का अभाव है और कुछ इसलिए कि कुछ प्रश्नों के उत्तर मेरे पास नहीं हैं। और इसलिए नहीं है कि बहुत दिनों की जो व्यवस्था है उसमें किस जगह पर किस तरह से उसको सुधार करने की बात हो, उसमें हाथ लगाने में भी डर लगता है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी अब समाप्त करें। प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १८-शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५६,२९,९२,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

बजट साहित्य न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी जब इन कुर्सियों पर बैठते थे तब इधर से उनकी यह मांग थी, उनको याद होगा और आपको भी याद होगा कि बजट का साहित्य उनको दिया जाय कि वह समझने में असमर्थ हैं। अब जब वह उन कुर्सियों पर बैठ गये तो उस समय जो उन्होंने बात कही थी वह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था फाइनेन्स डिपार्टमट की तरफ से की जाय कि बजट के साहित्य को समझाया

[श्री कल्पनाथ सिंह]

जा सके। जब वह विरोधी दल की कुर्सियों को सुशोभित करते थे वह यह मांग कर चुके हैं। इसलिये हमको यह अवसर प्रदान किया जाय कि उनकी कही हुई बात का लाभ उठायें। अभी तक वह फायदा हम लोगों को नहीं मिला है। मैं आपको और मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मेहरबानी करके हम लोगों के लिये ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे सुविधा हो। जब तक ऐसी व्यवस्था न हो तो आप वन मंत्री जी को ग्रांट पेश करने से रोकें।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आपने पहले यह निवेदन किया होता तो शायद मुख्य मंत्री जी ने उस पर ध्यान दिया होता। अगर माननीय सदस्य को कोई कठिनाई है तो वित्त मंत्री जी इस कठिनाई को किसी क्षण दूर करने के लिये तैयार हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अगर उनको कठिनाई होती थी तो हमको भी कठिनाई है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया लेकिन इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। आपने भी कह दिया और मुख्य मंत्री जी की भी राय ऐसी रही है। मैं इसकी जरूरत नहीं समझता हूं। जो दल इस समय विरोध में बैठता है वह बहुत दिनों तक शासक दल में रह चुका है। उसको इन सब बातों का अनुभव होगा। अगर फिर भी मांग करता है तो मैं ऐसा समझता हूं मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

१९७०-७१ के आय-व्यय क में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४२--वन

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४२-वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकान के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,७४,४८,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, हम लोग यह सभी समझते हैं कि वन हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। विभाग की ओर से कुछ साहित्य माननीय सदस्यों के बीच वितरित किया गया जिससे प्रदेश में वन की प्रगति के संबंध में उनको जानकारी हुई होगी। फिर भी सिर्फ दो चार बाते मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं जो कि इधर वन विभाग ने अपने यहां प्रगति के संबंध में की हैं और वह यह है कि करीब १८ लाख रुपया जानवरों की चराई व्यवस्था के संबंध में रखा गया है और जो लकड़ी वगैरा लोगों को वन से दी जाती है वह भी काफी तादाद में दी गई है। इसी तरीके से जहां सूखा पड़ा है, जैसे मिर्जापुर में महुआ वगैरा जो नीलाम किया जाता था, उसका नीलाम नहीं किया गया है और इस तरह से सूखाग्रस्त लोगों को सुविधा दी गई है। एक महत्वपूर्ण निश्चय यह भी लिया गया है कि जंगली जानवरों का, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा था जैसे शेर व गुलदार का हनन हो रहा है और उनके शिकार पर पूरे तरीके से नियंत्रण नहीं रखा गया है। उसके लिय माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अब ३ साल के लिये टाइगर व गुलदार के शिकार को बिलकुल बन्द कर दिया गया है। इसी तरह से जंगली जानवरों का संरक्षण किस तरह से हो इस पर पूरी तौर पर ध्यान दिया जा रहा है और यह निश्चय किया जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रिजरवेशन के विशेषज्ञों को बाहर भेजकर उनको ट्रेनिंग की सुविधा दी जाय। अफ्रीका व अमरीका के जंगलों में यह सुविधा प्राप्त है, उनको वहां भेजने के बारे में भी हम सोच रहे हैं इन चन्द शब्दों के साथ में विश्वास करता हूं कि सदन इस अनुदान को स्वीकार करेगा।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२-वन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि वनों का हमारे देश और प्रदेश की पूरी अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है । यह ऐसा विभाग है जिस से हमें राजस्व प्राप्त होता है लिहाजा जितने अन्य विभाग है उनका जितना महत्व हैं उसके मुकाबले में वन विभाग का महत्व भी कम नहीं है । यदि हम दुनियां के नक्शे पर देखें तो. . . .

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

श्रीमन्, एक जानकारी मैं चाहता हूं आप से । माननीय नेगी जी ने जो अभी कटौती का प्रस्ताव रखा है वह किस हैसियत से रखा है, उन्होंने तो सदन में यह घोषणा की थी कि हम शासक दल का समर्थन करेंगे । इसलिये वह कटौती का प्रस्ताव रखने से पहले घोषणा कर दें कि वह सरकार की आलोचना किस तरह से करेंगे जब वह सरकार का समर्थन करने की बात कह चुके हैं ।

श्री गोविन्द सिंह---

श्रीमन्, यह तो मेरी बदकिस्मती है कि हमारे सिंडीकेट के भाइयों का दिमाग बन्द रहता है, वह नहीं जानते हैं कि कितना पुराना जमाना बीत गया और वह अपनी वही पुरानी बातें लिये बैठें हैं । वह जमाने की रफ्तार की और आज की राजनीति को समझें उसके बाद कोई बात कहें इस सदन में । अरे भाई, कभी तो अक्ल की कोई बात कर लिया करो । तो मैं निवेदन कर रहा था कि. . . . .

श्री इन्द्रमणी---

श्रीमन्, मैंने जो जानकारी चाही थी, मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला ।

श्री उपाध्यक्ष---

तो क्या उनको कटौती का प्रस्ताव रखने का अधिकार नहीं है, उनको भी मौका दिया गया है, विरोधी पक्ष में वह भी हैं ।

श्री गोविन्द सिंह---

लेकिन जानकारी हासिल करने के लिये भी तो अक्ल चाहिये श्रीमन्, तो मैं कह रहा था कि इतना बड़ा महत्व वन विभाग का है और हम अपने वनों की तुलना यदि कहीं से कर सकते हैं तो केवल पश्चिमी जर्मनी से कर सकते हैं । वहां पर जितने वन हैं और वहां की जनसंख्या का जो भार वनों पर पड़ता है वही भार हमारे यहां भी पड़ता है । हमारे प्रदेश की तुलना वहां से पूरे तौर पर की जा सकती है । वहां की जनसंख्या भी साढ़े सात करोड़ है और हमारी भी इतनी ही है । जितना भू-भाग वहां वनों से ढका है उतना ही भू-भाग हमारे यहां भी वनों के अन्तर्गत आता है । पश्चिमी जर्मनी में प्रति व्यक्ति .४० हेक्टर जमीन है और इस प्रदेश के अन्दर भी प्रति व्यक्ति इतनी ही जमीन है । लेकिन तब भी हम देखते हैं कि पश्चिमी जर्मनी में जंगलों की औद्योगिक तरक्की हुई है और वह आर्थिक विकास भी कर चुका है । हमारा प्रदेश आज इतना पिछड़ा हुआ है कि उनकी पैदावार को अगर देखें तो वह २३ लाख टन कागज है और जो हमारे देश में पैदावार होती है वह उसकी ६ गुनी है । जर्मनी का जितना भू-भाग है, उतना ही भू-भाग हमारे प्रदेश है का है लेकिन पश्चिमी जर्मनी की जो पैदावार है वह ३.४ घन मीटर प्रति हैक्टर है जबकि उत्तर प्रदेश की, जहां पर उतने ही साधन उपलब्ध हैं, प्रति हैक्टर .०९ घन मीटर है जो हमसे ४० गुनी पैदावार है । हमारे प्रदेश में इतना जो पिछड़ापन है, वह क्यों है ? आज हुकूमत चाहे इन्डीकेट की हो चाहे नई हकूमत हो. . . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय बड़ौनी जी ने जो यह कहा कि माननीय गोविंद सिंह जी कैसे कटौती का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि जो विरोधी दल के सदस्य हैं, सबन उनको कटौती का प्रस्ताव पेश करन के लिये कहा था लेकिन जिस ढंग से हमारी पार्टी पर ये अटैक कर रहे हैं, वह उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कटौती के प्रस्ताव को मूव करना सरकार की नीतियों के विरुद्ध होता है। यदि हम इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करने लगें तो बहुत बड़ी घटना हो जायगी।

श्री गोविन्द सिंह—

श्रीमन्, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

जो व्यवस्था का प्रश्न उठा है, वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस सदन में कई दलों के लोग हैं और वे बाहर एक दूसरे पर वाक आक्रमण करते हैं और यहां पर प्रस्फुटित हो जाते हैं। हालांकि अलग-अलग दल जो हैं वे किसी बात पर एक हो जाते हैं, यह कटौती का प्रस्ताव रखा, लेकिन फिर भी दलों की नीतियां अलग-अलग हैं। इसलिये किसी को रोका नहीं जा सकता है कि वे एक दूसरे की आलोचना में कोई शब्द न कहें। तो जो माननीय सदस्य ने कहा है, वह व्यवस्था से संबंधित नहीं है। स्थिति यह है कि जितने दल हैं, चाहे कांग्रेस सत्तारूढ़ हो या और हो उनके अतिरिक्त सब विरोधी दल के हैं।

श्री गोविन्द सिंह—

आखिर स्थिति क्या है। हम क्यों इतने पिछड़े हुए हैं जबकि पश्चिमी जर्मनी में हमारे प्रदेश की जनसंख्या के बराबर है, वहां के साधन भी हमारे प्रदेश के साधन के बराबर हैं। इसके कारण बहुत से हैं। पहला कारण तो यह है कि हमारे प्रदेश के अन्दर अच्छे ढंग से जंगल नहीं लगाए गए हैं, वे भिन्न-भिन्न क्षेत्र में असमान रूप से विस्तृत हैं। हमारे प्रदेश का १६.३ प्रतिशत वनाच्छादित भूभाग है। प्रदेश के अन्दर ५४ जिले हैं। ३४ जिलों में कोई जंगल नहीं है। बाकी जो बीस जिले हैं उसमें से कुछ ऐसे जिले भी हैं आपके पूर्व के बलिया, जौनपुर, गाजीपुर जिले, जहां कतई जंगल नहीं हैं। जो सेंट्रल जोन है उसके अन्दर देखें तो केवल दो प्रतिशत भू-भाग ऐसा है जो जंगलात से पटा हुआ है। एक मात्र पर्वतीय प्रदेश ऐसा है जिस प्रदेश के अन्दर ४१ प्रतिशत से लेकर ८१ प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है। अगर हम कहें कि जंगलात की जो समस्याएं हैं वे समस्याएं बहुत कुछ पर्वतीय प्रदेश की समस्याएं हैं तो मैं समझता हूं कि यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर हम जंगलात की बात करते हैं या उस विभाग के बारे में बात करते हैं तो हम पूरे उस अंचल की बात करते हैं जिसे पर्वतीय प्रदेश के नाम से कहा जाता है। अब तक पर्वतों से जो लकड़ी आती है उसका एक मात्र साधन गंगा यमुना का पानी है। इस गंगा और यमुना के जरिये लकड़ी आती है। होना यह चाहिये था कि किसी चीज को ध्यान में न रखकर केवल राज्य की आमदनी को ही ध्यान में रख लें तो सबसे पहला कर्त्तव्य हमारा यह है कि हम इन जंगलों की पैदावार को आसानी से मण्डी में लाने के लिये वहां यातायात यानी सड़कों का विकास करें। लेकिन वहां सड़कों की दशा क्या देखते हैं। पश्चिमी जर्मनी में, मान्यवर, हम देखते हैं कि एक वर्ग गज जंगल के लिये वहां २.५ किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं जब कि हमारे प्रदेश में एक वर्ग गज जंगल के लिये .२ उपलब्ध सड़कें हैं और ये सड़कें भी आपके उन क्षेत्रों के अन्दर हैं जो मैदानी क्षेत्र हैं। पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां आदमी नहीं जा सकता। अगर हम इस प्राकृतिक संपदा को इस्तेमाल करना चाहत हैं तो हमें मुख्य रूप से यहां के यातायात साधनों पर ध्यान देना चाहिये था।

आप इस बजट को देख लीजिए। मैं और जिलों की बात नहीं जानता। मैं टिहरी और उत्तर काशी की बात जानता हूं। टिहरी जिले के अन्दर शत प्रतिशत वन भाग है परन्तु एक किलोमीटर सड़क भी जंगलात विभाग की तरफ से वहां के लिये नहीं रक्खी गई है। आप विकास करना चाहते हैं। आप जंगलों की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं। आप जंगलों पर आधारित उद्योग का विकास करना चाहते हैं। लेकिन इस बजट के अन्दर चमोली, उत्तर काशी या टिहरी गढ़वाल तक आज इस बजट के अन्दर एक किलोमीटर सड़क भी नहीं रखते हैं। यह आपकी धारणा है इस विकास की तरफ। दूसरी चीज बदकिस्मती से हमारे प्रदेश का इतिहास रहा कि हमारे देश के अन्दर अंग्रेजों ने शासन किया। अंग्रेजों ने इस देश के अन्दर लूट करने की कोशिश की। उन्होंने इस देश के अन्दर रेलों की लाइनें बिछाई। इसलिये नहीं कि देश का व्यापार बढ़े। बल्कि उन लाइनों के लिये स्लीपरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये उन्होंने बड़ी बेरहमी के साथ बगैर किसी नियोजित ढंग के इन जंगलों को काटा है। इतिहास की बात बताता हूं। बड़ी दिलचस्प बात है। टिहरी-गढ़वाल में, मान्यवर, उस समय देशी रियासत थी। सन् १८५० से लेकर सन् १८६४ के लिये इस पूरे दौरान में, एक अंग्रेज विल्सन साहब तशरीफ लाये थे, उनको जंगलात का ठेका दिया गया केवल चार सौ रुपये साल पर। उनको पूरे टिहरी-गढ़वाल जिले के जंगलों का मालिक बना दिया गया। उन्होंने यहां के जंगलों को तहस-नहस करके लकड़ी सप्लाई की। अब अंग्रेज आये हिन्दुस्तान के अन्दर। फिर अपना राज्य हुआ। देश आजाद हुआ। उम्मीद थी कि जो पहाड़ों की दौलत है उसका लाभ वहां की ही जनता को होगा। टेहरी-गढ़वाल में जब कभी जंगलों में आग लगती थी तो वहां की ही जनता उस आग को बुझाती थी और हर प्रकार से जंगलों की रक्षा करती थी। अगर वे यह कार्य नहीं करते थे तो उन पर जुर्माना होता था। इस तरह से उन लोगो ने जंगलों का पालन पोषण और उनकी रक्षा की। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उनको काट कर, हमसे छीन कर दूर-दूर भेजा जा रहा है। देश के बड़े-बड़े मालदार लोग वहां की दौलत को लूट रहे हैं। आज़ क्या है? पूरा जंगलात विभाग भ्रटाचार का अड्डा बना हुआ है। बड़े-बड़े मालदार लोग जब जंगल में जाते हैं, जंगलात के अफसरों से मिलकर अपना काम बनवा लेते हैं। उनसे मिलकर खूब भ्रष्टाचार होता है। पश्चिमी जर्मनी में, जो समाजवादी देश नही है, पूंजीवादी देश है, वहां पर ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया गया है। वहां यह सिस्टम है कि जो जंगलात का इंचार्ज होता है उसका ट्रांसफर नहीं होता है, वह जंगल में ही रहता है उसके नीचे बहुत से फारेस्ट गार्डस होते हैं। वहां का सिस्टम बड़ा अच्छा है।

सन् १९६६ में एक इन्टरनेशनल कांउसिल आफ एकोनामिक रिसर्च बनी थी जिसने हमारे यहां के बारे में यह सिफारिश की थी कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिये। अगर आप जंगलात का विकास चाहते हैं तो ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। यह उस कमेटी की सिफारिश थी। मान्यवर, हमारे देश के अन्दर गुजरात में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त नहीं किया गया लेकिन वहां कोआपरेटिव आन्दोलन को बढ़ावा दिया गया। हमारे यहां के आफिसर लोग कोआपरेटिव आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिये तैयार नहीं हैं। और वे इसलिय तैयार नहीं हैं कि उनका जो परसेन्टेज बंधा होता है उससे वह मारा जायेगा, उनकी आमदनी कम ही जायेगी। टेहरी-गढ़वाल में हमने कुछ सहकारी समितियां बनायीं भी थीं। मगर उसमें जितने रोड़े अटकाये जा सकते थे, अटकाये गये और ए,सी स्थिति पैदा कर दी गयी कि हम लोगों को नुक्सान हुआ और हम मजबूर हो गये उसको खत्म करन के लिये। लिहाजा सहकारी आन्दोलन के अगर सबसे बड़े दुश्मन कोई हैं तो यह जंगलात विभाग है जो इसको नहीं चाहता क्योंकि उसके कारण उनको जो रिश्वत मिलती है वह नहीं मिल पाती। इसलिये वे इसको नहीं चाहत। अब तक मैंने विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के बारे में कहा, अब वनों की जो पैदावार होती है, जंगलात का जो प्रोडक्शन होता है उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जंगलात क उत्पादन की अर्थात जंगल मे पैदा होने वाली उपज की इस हमारे प्रदेश के अन्दर इतनी बुरी तरह से लूट कराई जा रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है और उसी के आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

[श्री गोविन्द सिंह]

पर्वतीय क्षेत्र की मुख्य उपज जंगलात की लीसा है सन् ६८-६९ में लीसा का जो ओपेन मार्केट में नीलाम किया गया वह २११ रुपये से लेकर २२० रुपये प्रति क्विंटल की दर से किया गया। लेकिन यही लीसा बरेली के अन्दर जो एक बड़े उद्योग पति के कारखाने को दिया गया वह ९४ रु० ७५ पैसे प्रति क्विंटल की दर से दिया गया। वन विभाग ने उस कारखाने को 1लाख ६८ हजार क्वींटल के करीब लीसा एलाट किया। यह नीलाम से नहीं एग्रीड रेट से नीलाम किया गया। तो एक तरफ नीलाम से मिलता है २११ रुपये से २२० रुपये तक और दूसरी तरफ उसे ९४.७५ पैसे प्रति क्वींटल की दर से दिया जाता है। इसके अलावा यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन को भी लीसा दिया गया। उसे भी ३० हजार क्वींटल लीसा ९४.७५ पैसे प्रति क्वींटल के हिसाब से दिया गया। इस तरह से इस प्रदेश के राजस्व को अकेले एक प्रदेश में २ करोड़ ३८ लाख रुपये की हमारी सरकार इन संस्थाओं को लुटा चुकी है। ठीक है, वह सहकारी संस्था है उसे कम रेट पर दिया गया। क्योंकि आप सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, लेकिन उस बड़े कारखाने दार को इतने कम रेट पर देने का क्या कारण था? सिवा इसके कि सरकार जनता के राजस्व को लुटाना चाहती है। मैं पूछना चाहुंगा, सरकार ने सरकारी क्षेत्र मे एक कारखाना खोल रखा है हलद्वानी में। यदि आप उनको सस्ते दर पर लीसा देते हैं तो उनको दीजिये, लेकिन वह कितना मुनाफा अपने उद्योग में दिखा रहे हैं, इस पर भी पूरा ध्यान दीजिये। उस कारखाने में केवल ८लाख रुपये का मुनाफा हुआ, जबकि यदि उतने लीसे को केवल ओपेन मार्केट में नीलाम से बेचा जाता तो २२ लाख रुपये का फायदा हो सकता था। २२ लाख का फायदा न होकर ८ लाख का केवल फायदा होता है, तो बाकी रुपया कहां गया? इस पर आप ध्यान दें।

इसके साहित्य में दिखाया गया है —"पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को लघु उद्योग विकसित करने के लिये सिविल वनों से दिये जाने वाले लीसा का परिमाण ३०,००० मन वार्षिक से बढ़कर ४०,००० मन वार्षिक कर दिया गया है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, यदि उनके पास आंकड़ें नहीं हैं तो वह अपने विभाग से सूचना एकत्र करलें कि किन-किन आदमियों को लीसा दिया गया। क्या हकीकत में उनका कोई कारखाना है? या एक तरफ आपने उनको सस्ते दाम पर लीसा दे दिया और दूसरी तरफ उन्हीं आदमियों ने उसे ब्लैक में बेच दिया? इस बारे में केवल तीन कम्पनियों के नाम मैं मिसाल के तौर पर लेता हूं। एक कम्पनी है हिमालय रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन फैक्ट्री, इसके बारे में दिखाया गया है कि रानीबाग में इसका कारखाना है, लेकिन यदि आप रानीबाग चले जांय तो आप यही पायेंगे कि इस नाम की कोई कम्पनी वहां है ही नहीं। केवल बोगस कम्पनी के नाम से यह लीसा खरीदा जाता है। दूसरी फैक्ट्री है महेश्वरी ब्रादर्स इसके बारे म भी कहा जाता है कि यह कम्पनी रानीबाग में स्थित है, किन्तु इसका भी वहां कोई नामोनिशान नहीं है, इस नाम की कोई फर्म वहां पर नही है। तीसरी है कपूर इंडस्ट्रीज। उन्होंने भी यह कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में वह अपना उद्योग खोल रहे हैं, हमें लीसा दिया जाय। इस कम्पनी का भी कहीं नाम नहीं है। इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र के विकास के नाम पर आपका विभाग इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं।

दूसरी तरफ छोटो-छोटी कोआपरेटिव यूनिट्स हैं, वे कोआपरेटिव आन्दोलन में निदलचस्पी रखती हैं। सीमान्त प्रदेश में चमोली जिले में दसौली ग्राम में "दसौली ग्राम स्वराज्य संघ" नामक एक सहकारी संस्था खुली है। बड़ी मेहनत करने वाले वे लोग हैं। वहां कमिश्नर साहब के पास जात हैं। वह कहते हैं कि हम एलाट नहीं कर सकते लीसा। भागे भागे वह चीफ कंजरवेटर के पास आये। उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं हम लीसा एलाट नहीं कर सकते। वह कमिश्नर के पास फिर दौड़े गये। उसके बाद जंगलात विभाग से देहरादून से चिट्ठी मिलती है जो ३० मार्च को वहां से डिस्पैच होती है और चिट्ठी को चमोली पहुंचते पहुंचते चार रोज लग जायेंगे, कंजरवेटर साहब लिखते हैं ३१ मार्च तक रुपया जमा कर

दीजिये, तीन सौ क्वींटल लीसा मिल जायगा, नहीं जमा करोगे तो लीसा नही मिलेगा। यह हालत है कि ३० मार्च को चिट्ठी डिस्पैच हुई कि ३१ मार्च को रुपया जमा कीजिये जबकि मालूम है कि वहां चिट्ठी पहुंचते-पहुंचते एक-एक हफ्ता लग जाता है। वह दौड़े भागे मुझको मिले। हमने कंजरवेटर साहब को टेलीफोन किया कि यह क्या गजब हो रहा है? मुस्कराकर हंस कर कहते हैं कि यह तो सरकारी दफ्तरों में चलता ही है। इनका अफसर कह रहा है कि सरकारी दफ्तरों में चलता ही है। दूसरे दिन उनके दफ्तर में गये तो मालूम हुआ कि वह लीसा कोआपरेटिव सोसाइटी को न देकर किसी प्राइवेट ठेकेदार को दे दिया गया। इस तरह का अंधेर खाता जंगलात विभाग में है। अगर आप कहें कि यहां जंगल का कानून है तो अतिशयोक्ति न होगी।

वन पंचायतें हैं। उनका भी लीसा निकलता है। नियम यह है कि वन पंचायतों के लीसे की कीमत गांव सभाओं को दे दी जायेगी जो अपने विकास के लिये इस्तेमाल करेंगी। जंगलात विभाग का जो लीसा डिपार्टमेंट से नीलाम में बेचा जाता है वह २११–२२० रुपये तक बेचा जाता है और जो हमारा लीसा है गांव सभाओं का वह बेच रहा है १४८ रुपये में। इससे ८ लाख से ज्यादा का घाटा वन पंचायतों को दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका आधार क्या है, वन पंचायतों का लीसा इस ढंग से बेचेंगे और जंगलात का लीसा उस ढंग से। पंचायतों के अभी रूल्स नहीं बने हैं। हमारे १६ जंगलों का रुपया सरकार के पास जमा है। माननीय गुप्ता जी टेहरी आये थे। उनकी नोटिस में लाया गया। उन्होंने जंगलात विभाग के कर्मचारियों को डांटा। लेकिन आज भी ८ लाख रुपया गांव सभाओं का जंगलात विभाग दबाये बैठा है। यह हुई लीसा की लूट। जंगलात की लूट और देखिये। एक स्टार पेपर मिल्स है। बहुत बड़े पूंजीपति हैं। वह जंगलों को किस तरह से लूट रहे हैं यह मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं। १९६९–७० में टेढ़ी बेढ़ी लकड़ी नीलाम की गयी। उसकी कीमत सरकार को १ रुपया २० पैसा प्रति घनफुट मिली है। ओपेन मार्केट में नीलाम में १ रुपया २० पैसे प्रति घन फुट की कीमत आई। लेकिन हमारे विभाग के कर्माचारियो नें उस स्टार पेपर मिल के सेठिए को किस कीमत पर दे रहे हैं? ४० पैसे प्रति घन फुट। मार्केट रेट १ रुपया २० पैसे है लेकिन स्टार पेपर मिल को केवल ४० पैसे प्रति घनफुट के हिसाब से वह लकड़ी दी जा रही है ३८ हजार मीटरिक टन प्रति साल। मजेदार बात यह है कि ओपेन मार्केट में नीलाम की दर उसकी एक रुपया बीस पैसा प्रति घन फुट है इसी तरह साफ्ट वुड के पेड़ की कीमत बाजार में २०० रुपये है लेकिन कुछ कम्पनियों को वह साफ्ट वुड उदार जंगलात विभाग की ओर से उद्योगीकरण के नाम पर उनके सेठों को ४० रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से दे दिया जाता है। ये कम्पनियां हैं स्टार पेपर मिल, राधारानी ट्रस्ट, सीतापुर प्लाईवुड कम्पनी, प्रकाश टिम्बर तथा विमको आदि आदि इस तरह से खुले आम जहां एक तरफ हमारे जंगलात विभागकी दौलत को लुटाया जा रहा है वहां दूसरी ओर जनता के प्रति उनका रवैया क्या है? करीब किसानों के प्रति उनका रवैया क्या है जिन्होंने इन जंगलों की रक्षा की है? उनके प्रति जंगलात विभाग का हमदर्दी का रवैया नहीं है, दुश्मनी का रवैया है। इसका नतीजा यह है कि गांव का किसान आज इन जंगलात को अपना दुश्मन समझता है उसको उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। अगर उसका बस चले तो वह इन जंगलात को काट कर फेंक दे। टेहरी गढ़वाल पहले रियासत थी और एक मात्र आमदनी उसको जंगलात से थी। लेकिन उसके लिय कोई कानून अथवा नियम नहीं था। जहां चीड़ अथवा देवदार पैदा हो गया वहां जमींदार की बाउंडरी हो जाती थी। किसानों के मकान से लगी हुई जंगलात की बाउंडरी लगी हुई है क्योंकि मकान कि किनारे देवदार का अथवा चीड़ का पेड़ उग आया है। जब टहरी गढ़वाल रियासत खत्म हुई और उत्तर प्रदेश में वह विलीन हुई तब भी इंडियन फारस्ट ऐक्ट वहां लागू नहीं हुआ चूंकि वहां डिमारकेशन नहीं हुआ था, फारेस्ट बाउंडरी नहीं बन सकी क्योंकि फारस्ट सेटिलमेंट नहीं हुआ था। हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दिया लकिन बावजूद इसक टेहरी-गढ़वाल म दुबारा फारेस्ट सेटिलमेंट अथवा डिमारकेशन नहीं कराया गया। फिर सन् १९६५ में इस ऐक्ट में संशोधन

[श्री गोविन्द सिंह]

किया गया कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट जो उत्तर प्रदेश में लागू है वह वहां रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा। उसका नतीजा यह है कि आज भी मकानों के किनारे जंगलात की बाउंडरी शुरू हो जाती है। जिस जमीन पर हकीकत में किसनो का अधिकार होना चाहिये था वह नहीं हो सका क्योंकि राजा के जुल्म के कारण वह छिन गया था और आज भी उसका कोई अधिकार नहीं है।

मान्यवर, मैं आप से मांग करता हूं और जिस तरह से मैं इस सरकार से रोज मांग करता आया हूं कि टेहरी गढ़वाल की जनता के साथ आप इन्साफ करें। कम से कम इस प्रकार का एक स्पष्ट आश्वासन हम लोगों को इस सदन के अन्दर दे दें कि टेहरी गढ़वाल के साथ जो भयंकर अन्याय किया गया है उसे न्याय में परिवर्तित कर दें ? इस क्षेत्र में अंग्रेजों के जमाने वाली प्रथा चली आ रही है। लकड़ी, इमारती लकड़ी, जंगलों में गाय-भैंस चुगाने का अधिकार जो अंग्रेजों के जमाने में था वही आज भी है बल्कि अंग्रेजों के जमाने में भी समय-समय पर हमको यह आश्वासन दिया गया कि वहां की जनता के जो अधिकार हैं वे सुरक्षित रक्खे जायेंगे।

मान्यवर, इतिहास की तरफ मैं आप का ध्यान आकर्षित करता हूं कि १९६५ में इन्डियन फारेस्ट ऐक्ट के ऊपर लेजिस्लेटिव कौन्सिल आफ इन्डिया में बहस हुई थी। सर हेन्डरीमैन ने एसेम्बली के अन्दर यह विश्वास दिलाया था कि जंगलों के सम्बन्ध में जो अधिकार हैं वह सुरक्षित रखे जायेंगे। १९०८ में लार्ड हीवेट ने बरेली में बात कही की जो अधिकार जनता को दिये गये हैं वह कायम रहेंगे। १९५९ में एक कमेटी बनायी गयी। उसमें माननीय बलदेव सिंह जी आर्य जो इस समय मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं उनकी अध्यक्षता में एक कुमायूं फारेस्ट ऐक्ट फाइटिंग कमेटी बनायी गयी। उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और सरकार के दफ्तर में सड़ रही है। उसके अन्दर दिखाया गया है कि जो पर्वतीय जनता के अधिकार हैं उनको संरक्षण मिलना चाहिये।

मान्यवर, मैं आप का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्यों कि इस पर और लोग भी बोलना चाहेंगे। मैं वहां की इमारती लकड़ी के बारे में यह कहना चाहता हूं कि सन् ५१ की जनगणना के आधार पर एक गांव में जितने भी परिवार होंगे, उस परिवार को ७० क्यूबिक फिट प्रति परिवार के हिसाब से इमारती लकड़ी दी जायेगी। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उस के बाद ६१ में जन-गणना हुई। उस जनगणना के आंकड़े सरकार के पास मौजूद हैं। ५१ में कितनी संख्या थी और ६१ में कितनी जनसंख्या बढ़ी है। इस सम्बन्ध में बराबर जंगलात विभाग के दरवाजे खटकटाते जा रहे हैं कि ६१ की जन-गणना के आधार पर हमको यह लकड़ी प्रदान की जाय। मेरा निवेदन यह है कि हमारे खांई के अन्दर ६-६ हजार चीड़ और देवदार के पेड़ खड़े हैं। हमें देवदार की लकड़ी नहीं देंगे और चीड़ की लकड़ी दे देंगे। तो हमें देवदार की लकड़ी इस्तेमाल करने दीजिये।

गुज्जर लोग होते हैं। उनके लिए विशेष जंगल बने थे। उन जंगलों में गुज्जर लोग अपनी गाय और भैंस चुगा लेते थे। अब जंगलात विभाग ने यह कर दिया है कि जिस जंगल को चाहेंगे उसका परमिट इन गुज्जरों को अपनी गाय-भैंस चुगाने का दे देते हैं। हमारे जो वहां रेन्जर हैं उनको यह अधिकार दिया हुआ है। इन गुज्जरों और हमारे क्षेत्र की जनता के साथ इन जंगलों के बारे में कई बार संघर्ष भी हो चुके हैं। कितनी ही जगहों पर तो कत्ल भी पहाड़ी इलाकों में हो चुके हैं। लेकिन जंगलात विभाग इसके बारे में भी सोया हुआ है।

तराई एरिया में ऐसे बहुतसे किसान हैं जिनका पेशा खेती करना नहीं है बल्कि पशु पालना है। रामनगर से लेकर चीला तक पूरे क्षेत्र में उन लोगों को अपने पशुओं को चराने के अधिकार प्राप्त थे लेकिन जंगल विभाग के बढ़ने से ये जंगल सीमित होते जा रहे हैं और उन लोगों से उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। उन की मांग है कि प्रति परिवार उनको कम से कम ३ एकड़ जमीन दी जाय ताकि वे अपने डेरी फार्मिंग के पुराने पेशे को जारी रख सकें।

इन जंगलों के आस पास या इनके अन्दर बहुत से ऐसे स्थान भी हैं जहां पर जंगलात का कोई प्लान्टेशन नहीं है। उनके ऊपर कोई पेड़ नहीं लगाये जा सकते और न कहीं वहां कोई पैदावार ही हो सकती है। मेरा सुझाव है कि उस जमीन को काश्तकारों और भूमिहीनों को दे दी जाय, जहां वे अपने प्रयत्न से बागबानी कर सकें। पिछली सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ फैसला किया था। देहरादून में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ फैसले किये गये थे। उसके अनुसार इन जमीन को बागबानी के लिए भूमिहीनों को दे दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो जंगलात का अनुदान पेश हुआ है, उसका मैं समर्थन करन के लिए तथा सरकार को कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। वन सम्पत्ति, राष्ट्र की सम्पत्ति है। राज्य के विकास में उसका प्रमुख स्थान है। लेकिन जहां तक वन विकास का प्रश्न है तथा उसमें जो कमियां और खामियां हैं उन के बारे मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा। जिस पर्वतीय क्षेत्र में करोड़ों रुपये की वन सम्पत्ति है, आज वह क्षेत्र ज्यों का त्यों अविकसित ही पड़ा हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में वन विभाग की ओर से वहां की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। मैं आप का ध्यान पर्वतीय क्षेत्र के प्लान्टेशन की ओर दिलाना चाहता हूं। प्लान्टेशन के नाम पर करोड़ों रुपया व्यय किया जा रहा है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों सदन में इस बात का तजकिरा हुआ है कि वन विभाग की सम्पत्ति का लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है।

दूसरी बात यह है कि वनों का विकास मानव समाज के लिए किया जा रहा है, लेकिन आज मानव समाज उसके विकास से दुखी होता जा रहा है। अगर सब जगह वन ही वन लगा दिये जायें तो मानव समाज के लिए कोई स्थान ही नहीं रहेगा। मैं यहां नहीं कहता कि वनों का विकास न किया जाय, लेकिन उसके साथ ही साथ वहां के लोगों का भी तो ख्याल रखा जाय। जनता को सुख पहुंचाने के बजाय दुख न पहुंचने लगे। जो बन्दोबस्त हुआ है, उस के कारण, ग्रामीण जनता में बड़ा असन्तोष व्याप्त है। उनके हक हकूक का प्रश्न एक विचारणीय प्रश्न है। तराई भागर क्षेत्र में कृषकों की हालत बहुत ही खराब हो रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से उन लोगों को जो हक हकूक मिलते चले आ रहे थे, लेकिन अब बन्दोबस्त का आधार लेकर उनको हक हकूक से वंचित किया जा रहा है। होता क्या है कि वहां के जब स्थानीय अधिकारियों से निवेदन किया जाता है कि आप हमारे हक हकूक क्यों नहीं दे रहे हैं तो कहते हैं कि आप का तो गजट नोटिफिकेशन में नाम ही नहीं आया। मैं यह नहीं समझा कि गजट नोटिफिकेशन है किस चिड़िया का नाम। अगर वास्तविकता देखी जाय तो गजट नोटिफिकेशन का एक बहाना मात्र है। अभी पिछले दिनों देहरादून में एक कान्फ्रेंस में मंत्रिमण्डल के स्तर पर यह घोषणा की गयी थी कि आग लगने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में वन विभाग का करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन यह आग कोई विदेशियों ने आकर नहीं लगायी। मैं यह चुनौती के साथ कहता हूं कि जंगलों में आज जो आग लग रही है और लगी यह स्थानीय कर्मचारियों के नाजायज कामों को छिपाने के लिए उनके द्वारा लगायी जाती है। श्रीमन् जो तमाम नाजायज कुकृतियां वहां हो रही हैं उनको रोकने के लिए और भ्रष्टाचार की जड़ को खोदने के लिए मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि एक आयोग का गठन किया जाय। यह नहीं कि कोई बांस आपस में लड़ गये या कोई पत्थर ऊपर पहाड़ से आया उसके टकराने से चिनगारी पैदा हो गयी और आग लग गयी। आज वन विभाग में सरकार का जो लाखों रुपया पानी की तरह बह रहा है, जिस उद्देश्य से हमने उस रुपये को रखा है और शासन की जो नीति है वह उस प्रकार से खर्च न हो कर उसका दुरुपयोग होता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों के छप्परों में आग लगती है और वहां की रेवेन्यू अथारिटीज फौरन लिखते हैं कि इन को कच्ची लकड़ियां छप्पर बनाने को दे दी जायं, लेकिन बजाय कच्ची लकड़ियां देने के ऐसा बहाना बना दिया जाता है कि

[श्री इन्द्रलाल]

बरसात खत्म हो जायगी लेकिन कागजी कार्यवाही पूरी नहीं हो पायेंगी। वन विभाग का यह रवैया है। दूसरी तरफ किसानों को कोई हक हकूक नहीं मिल रहा है। जंगल का ठेका होता है। अगर २-४ लाख में जंगल बिकता है तो १० लाख की लकड़ी का अवैध कटान होता है और अगर कोई इसकी शिकायत करता है तो उसको वन कर्मचारी घास लकड़ी ले जाने में सजा दी जाती है, यानी अगर उसे घास लकड़ी की आवश्यकता पड़ जाय तो वह नहीं दी जाती है। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, उस तराई भाबर क्षेत्र में ऐसा रवैया बना रखा है कि जो जलाने की सिर बोझ की लकड़ी है उसको भी ले जाने में बड़ा भारी जुर्म बनता है और जो लाखों रुपयों की नाजायज लकड़ी बिकती है उसका कोई जुर्म नहीं है। उस वक्त वह गजट नोटिफिकेशन कहां रहता है पता नहीं।

मान्यवर, इस के साथ-साथ प्लान्टेशन की नीति की ओर मैं पुनः वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि प्लान्टशन किस जगह लगाया जाता है। आज एक प्लान्टेशन की योजना २, ढाई लाख रुपये की बनायी जाती है। उसमें से बहुत सा रुपया तो अधिकारियों की कार और लेबर वगैरह में चला जाता है और २,३ वर्ष के बाद वहां दस हजार की भी आमदनी नहीं होगी। अभी मैं काटे खर्रा-बौड़ खत्ता वगैरह को देख कर आया हूं जहां सरकार की नीति पशुपालन को सहायता देने की है। वहां जो खत्ते वाले पशुपालन करने के लिये बसे हुए हैं और जिनका अधिकार अंग्रेजी शासन से माना जाता है उनकी चारो तरफ से बन्दिश कर दी गयी है और उनको हटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि प्लान्टेशन लगेगा भले ही वह प्लान्टेशन न लगाये। वहां पर ऐसे स्थान हैं कि अगर गवर्नमेंट करोड़ों रुपया भी लगावे तो भी न वहां पर ट्रैक्टर चल सकता है न हल चल सकता है और न कोई पेड़ पौधा पैदा हो सकता है। क्योंकि बड़े-बड़े गड्ढे व पानी वाली भूमि है ऐसी जगह पर प्लान्टेशन के नाम पर अनाप शनाप रुपया खर्च किया जा रहा है। वहां पर जो प्राकृतिक वृक्ष हैं उनको बढ़ावा न देकर मैदानी वृक्ष उपजाने की योजना कहां तक सफल हो सकती है। अब जहां पर वन बन्दोबस्त का सवाल है, बन्दोबस्त में इतनी अन्धेर गर्दी हो रही है, कि उसका बयान नहीं किया जा सकता, विभाग ने प्लान्टेशन कायम करने की योजनायें बनायीं हैं। तो मैं वन मंत्रीजी के नोटिस में आपके द्वारा इन चीजों को ला रहा हूं और उनसे अनुरोध है कि वह हर एक की इंक्वायरी करवायें और देखें कि वास्तविकता क्या हो रही है। आज हालत यह हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्र का कारोबार बन्द है, आने-जाने के रास्ते बन्द हैं और लोगों को परेशान किया जा रहा है। होता क्या है कि प्लान्टेशन के नाम पर जो मजदूर होते हैं उनसे जबरदस्ती प्लान्टेशनों के अगल बगल में कब्जा कराया जाता है, और भूमिहीन जिनका अधिकार है जो तराई भाबर क्षेत्र की तलहटियों में हजारों की तादाद में भटक रहे हैं, उनको वंचित किया जा रहा है। शासन वन विभाग की भूमि पर कोई तजवीज करता है तो बन विभाग फौरन उस जमीन को अक्वायर करने की बात कहता है कि यह हमारी है और भूमिहीनों को कोई भूमि नहीं दी जा सकती, प्लान्टेशनों में जबकि बड़े-बड़े पूंजीपतियों को आबादी के लिये भूमि दी जाती है तो क्या वजह है कि भूमिहीनों को क्यों नहीं दी जाती ? वह भूमिहीनों को पट्टे पर दी जानी चाहिये। इससे वहां के बेरोजगारों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की समस्या हल हो सकती है।

कुछ वर्ष पहले तराई भावर वन खंड के गांव दमुआं, ढोंगा, बागजाला, भागुली खाल कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पहाड़ों के लोग बस गये और गवर्नमेंट में मामला चलता रहा और उस स्थिति में वन (ख) विभाग का जी० ओ० नं० ७५५१/१४-बी—४९८-६०, दिनांक ६ मई, १९६३ को यह कंजरवेटर को आदेश गया कि जो लोग बैठे हुए हैं, १९६३ से पहले के, उनको कम से कम ५-५ एकड़ भूमि दे दी जाय और इस सदन में २२ मार्च, १९६६ को एक सवाल आया और उसमें हमारे इस सदन के नेता माननीय चरण सिंह जी वन मंत्री थे, तो उन्होंने स्पष्ट नीति अपनी घोषित की कि भूमिहीन हरिजन परिवार जो ३१ मार्च, १९६३ तक वहां बस गये हैं उनको वहां बसने दिया

जायगा किन्तु किसी परिस्थति में ५–५ एकड़ भूमि से अधिक भूमि नहीं दी जायगी। लेकिन ८ वर्ष हो चूके हैं। रात-दिन प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग बैठे हुए हैं उनको जमींनें दे दी जायं। उस समय तो यह कहा गया कि १९६४–६५ में कुछ लोग नाजायज तौर से आकर और बस गये हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण दिया गया था कि १९ परिवार ऐसे क्षेत्रों में आकर बसे, लेकिन आज ६० परिवार और बस गये हैं और उनको बहाना मिल गया है (वन विभाग को) कि जब तक ये न हट जायेंगे तब तक एलाटमेंट होने का कोई विचार नहीं हो सकता है। तो अभी पिछले माह फरवरी में राज्य की बन स्थायी समिति की मीटिंग हुई वहां पर भी यही सुझाव आया था कि जो व्यक्ति अब जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं उसको रोकने का प्रबन्ध किया जाय। तो हमारे माननीय चीफ कंजरवेटर महोदय ने कहा कि प्रदेश भर में ६५ हजार एकड़ भूमि पर नाजायज कब्जा हो रहा है। तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से, शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराऊंगा कि ये कब्जे जबरदस्ती नहीं हो रहे हैं बल्कि जानबूझ कर कराये जा रहे हैं। मैंने बताया है कि सन् ६३ से इतने वर्षों तक मामला विचाराधीन रख गया है और निर्णय नहीं लिया जाता है। तो इसके माने यह है कि हम इस अराजकता को बनाये ही जा रहे हैं और हमारा डिपार्टमेंट भी इस कार्यवाही में शामिल है।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय वन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब तक इन मामलों को गहराई से नहीं देखा जायेगा, ला एण्ड आर्डर को नहीं देखा जायेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ता ही जायेगा और जो पिछड़ा समाज है वह पिछड़ा ही रहेगा। मान्यवर, अभी हमारे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने बताया कि ग्रामीण निवासियों को सुविधाएं देने के लिये एक कमेटी बनाई गई और उस पर हजारों रुपया खर्च किया गया। शासन ने उनकी सिफारिशें मान ली थीं। हम सन् ६७ से बार-बार निवेदन करते आ रहे हैं लेकिन उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से वन मंत्री जी से निवदन करूंगा कि व वहां की ग्रामीण जनता की ओर ध्यान दें। मान्यवर, पिछले वर्ष से हमारे सर्किल में एक नई परम्परा चली आ रही है कि कृषकों को हकूक में जो लकड़ी दी जा रही है उसके लिए फैक्टरी सिस्टम यानी जड़ से लेकर पत्तों तक मुंशी में दे देते हैं। जिसका कोई कायदा कानून नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसकी तुरन्त जांच होनी चाहिये। इसके अलावा आज वन विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो नाना प्रकार की ज्यादतियां हो रही हैं, जहां पर अग्नि से करोड़ों रुपय की हानि हो रही है, इसकी इन्क्वायरी भी कराई जाय और भ्रष्टाचार को मिटाया जाय। इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे निवेदन करना है, मुझे क्षमा करेंगे, कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का पहाड़ी हिस्सा है, इसलिये मुझे भी बोलने का मौका दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मेरा भी सुझाव है कि पहाड़ी इलाके के रहने वालों को सबको बोलने का मौका दिया जाय।

श्री डूंगरसिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष जी, हमारा जो कटौती का प्रस्ताव है.....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, वन मंत्री वगैरह सब गायब हैं। आखिर यह मामला क्या है?

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। इस प्रकार मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने क लिए खडा हुआ हूं।

[श्री डूंगरसिंह विष्ट]

श्रीमन्, यह बात सही है कि यह जो वन है हमारे राष्ट्र और हमारे उत्तर प्रदेश की शक्ति संपदा के आधार हैं और हम सभी लोगों का फर्ज यह है कि हम वनों को अधिक से अधिक विकसित करने की दिशा में अधिक से अधिक योगदान दें। मगर, श्रीमन् बहुत सी बातें हैं इस वन विभाग के सम्बन्ध में और वनों के विकास के संबंध में। श्रीमन्, यह जो वन विभाग की तरफ से प्रगति विवरण की पुस्तिका पेश की गई है उसमें वन विभाग ने केवल एक ही दृष्टिकोण से आंकड़े रखे हैं कि अगर यह नहीं होगा और इतने कुल भू-खंड के १/३ प्रतिशत पर वन नहीं होंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। उसमें प्लान्टशन वगैरह का खर्चा भी पेश किया गया है। श्रीमन्, मैं वन विभाग वालों से आपके द्वारा नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वन विभाग वाले मेहनत करें तो वनीकरण का रकबा बहुत सरलता से बढ़ सकता है। श्रीमन्, १८ लाख हेक्टेयर भूमि कटाव की है १२ लाख हेक्टयर भूमि नालियों और क्षतिग्रस्त है और बंजर और ९ लाख हेक्टेयर खाली भूमि है। अगर वन विभाग वाले मेहनत करेंगे तो जो हमारे वन का आजकल का क्षेत्र १६ प्रतिशत है वह बढ़ कर २२ प्रतिशत हो जायगा और यही नहीं यह ३० प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। तो मेरा निवेदन है कि वन विभाग इस तरफ ध्यान दे।

(इस समय ३ बजकर ४० मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला पीठासीन हुईं।)

तो श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि अगर वह इस तरफ ध्यान देंगे तो जो आज इस देश की इस प्रदेश की भूमिहीनों की समस्या है वह भी हल हो जायगी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वन विभाग वालों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि अगर वह इधर जरा-सा परिश्रम करेंगे तो वन का रकबा ९५ लाख हेक्टेयर हो जायगा और १६ प्रतिशत से बढ़कर वन २२ प्रतिशत में हो जायगा। श्रीमन्, यह निश्चित बात है कि हम आज कल्याणकारी राज्य के अन्तर्गत हैं और उसमें हम केवल इसी पर आधारित नहीं रह सकते कि वन विभाग की जो योजनायें हैं वे केवल प्लान्टेशन और वनीकरण की ही रहें और वन विभाग अपना व्यावसायिक दृष्टिकोण ही अपनायें। वन विभाग को कल्याणकारी राज्य के अनुरूप व्यावहारिक दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिये। और अगर वन विभाग व्यावसायिक दृष्टिकोण ही अपनावें तो इससे काम नहीं चलेगा। हमारे उत्तर प्रदेश में भूमिहीनों की संख्या हजारों और लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है तथा भूमिहीनों की समस्या इस प्रदेश में लगातार बढ़ती ही जा रही है। जब गुप्ता जी की सरकार थी तो सीलिंग के जरिये भूमिहीनों के लिये २-३ लाख एकड़ जमीन तराई क्षेत्र में निकालने तथा वितरित करने की बात कही गयी थी। हम समझते हैं कि चौधरी साहब ने ३० एकड़ तक सीलिंग लागू करने की जो घोषणा की है उस पर जल्दी कार्यवाही होती तो शायद कुछ भूमिहीनों को भूमि मिल जाती लेकिन हमें ऐसा अन्दाजा लगता है कि वे किसी दबाव में आ गये हैं। श्रीमन्, वे नई कांग्रेस से तथा अपने दल से दब गये। क्योंकी नई कांग्रेस और बी०के०डी० के आधे सदस्यो को मैं जानता हूं जो सीलिंग ऐक्ट लागू नहीं करना चाहते हैं।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी-अभी माननीय सदस्य ने आपके लिये श्रीमन् कहा। तो जरा कुर्सी की तरफ देखकर ही वे कोई बात कहें।

श्री डूंगरसिंह विष्ट—

मुझे माफ करें, वे पहले पहल आयी हैं, इसलिये मैंने कह दिया, आगे ध्यान रखूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

कांस्टीट्यूशन के लिहाज से यहां श्रीमन् ही कहा जाय।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

कुर्सी तो न्यूटर जेंडर है।

श्री डूंगरसिंह बिष्ट––

बन उत्पादन को दो हिस्से में बांटा जा सकता है। एक उसका मुख्य उत्पादन होता है और दूसरा गौण उत्पादन होता है। मुख्य उत्पादन में इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी वगैरह होती है और गौण उत्पादन में लीसा, बांस, जड़ी-बूटी वगैरह होती है और इसी से बन विभाग को राजस्व मिलता है।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था हमारे यहां पर्वतीय क्षेत्र में पचास प्रतिशत बन क्षेत्र में आता है और मैदानी क्षेत्र में, खास कर गंगा के मैदानी क्षेत्र में केवल २ प्रतिशत आता है। उन ५० प्रतिशत में मुख्य उत्पादन भी होता है और उसमें गौण उत्पादन भी शामिल है। गौण उत्पादन से हमारा मतलब है कि जैसे लीसा है। लीसा उद्योग के सम्बन्ध में कल एक प्रश्न के सिलसिले में मुझे माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि लीसा उद्योग के लिये कोई लाइसेंस नहीं है। यह गलत उत्तर दिया गया। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने किसी अधिकारी से इसकी सही जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की।

दूसरी बात मैंने पर्वतीय क्षेत्र और विशेषकर पिथौरागढ़ और गढ़वाल की बात कही थी कि कई व्यक्ति और कई संस्थायें ऐसी भी हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है और अगर कहीं अस्तित्व है भी तो उसमें से अधिकांश ब्लैक मार्केटिंग में लगी हुई हैं। हम सबका कर्तव्य है कि बन सम्पदा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं और मेरे साथी कई साल से चिल्लाते जा रहे हैं कि क्या जरूरत है इस बात की कि टरपेंटाइन फैक्टरी को ९० रुपये क्विंटल पर लीसे की सप्लाई की जाय जब कि मार्केट रेट २१० रु, २२० रु० और कम से कम २०० रु० प्रति क्विंटल है? एक जमाने की बात है जब कि लीसे के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। जिस समय क्लटरबकगंज में टरपेंटाइन फैक्टरी खुली होगी तो असल में कोई नहीं जानता था कि लीसे से क्या-क्या चीजें बनती हैं या बन सकती हैं। इसलिये उनको उस समय प्रोत्साहन भी दिया गया था यह सही है परन्तु अब समय बदल गया है। जब आपका राजस्व करोड़ों में बढ़ सकता है इस समय आपको इतना घाटा खाने की क्या जरूरत है? आप एक ही रास्ता बना सकते हैं। लीसा उद्योग में केवल जंगलात वाले ही नहीं आते हैं बल्कि गांव वाले भी आते हैं क्योंकि उनके भी बेनाप तथा बन पंचायत तथा प्राइवेट जंगल हैं। मैं आपके माध्यम से श्रीमन्, मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि लीसा जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में है उसमें बन विभाग का एकाधिकार है। साथ में छोटे-छोटे गांव वाले लोग भी हैं जो सीधे-सादे देहाती लोग हैं उनको लीसा का हिसाब गत २०, ३० सालों से कई ग्राम वालों को दिया ही नहीं गया है। इस बात को नोट कर लेना चाहिये। हर तोला पेयजल योजना में तो उसमें जो जनता द्वारा अंशदान १८ हजार रुपया जो देना था। हमारे हर तोले के कई ग्रामों का जंगलात में जो लीसा की रायल्टी थी अगर वह मिल जाती तो पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन का वह १८ हजार रुपया जमा कर देते। मैं लगातार ६ साल तक इसमें मेहनत करता रहा हूं और करीब ६ साल हो गये नैनीताल के वन खंड में उक्त क्षेत्र की वन पंचायतों की तरफ से भी कई बार रायल्टी का हिसाब प्राप्त करने की कोशिश की गई किन्तु आज तक हिसाब नहीं मिला और पेयजल उनकी न बन सकी।

श्री अधिष्ठाता––

अब आप पांच मिनट और बोलें।

श्री डूंगरसिंह बिष्ट––

जंगलात वालो के यहां इस तरह का हिसाब मिलना ही मुश्किल हो जाता है जंगलात वालों ने उस रूपये को कहां जमा किया किस फंड में जमा किया और उसका उत्तरदायित्व किस पर है इसका पता नहीं चलता इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं जो आप को मिल सकेंगे। इस प्रकार से जंगलात वालो का स्वार्थ लीसा उद्योग में बहुत अधिक निहित है। लीसे में जंगलात के एकाधिकार पर अंकुश होना चाहिए।

[श्री डूंगरसिंह विष्ट]

उसके बाद मैं आपका ध्यान पर्वतीय क्षेत्र की व न पंचायतों की तरफ दिलवाना चाहता हूं। श्री बल्देव सिंह आर्य कमेटी ने वन पंचायतों के बारे में उसने अपनी संस्तुति दी थी कि वन पंचायतें अधिक से अधिक सक्रिय और सशक्त बनानी चाहिये और जो सिविल फारेस्ट की जमीन है उसको वन पंचायतों को दे देना चाहिये। टेहरी में वन पंचायतें नहीं हैं और जब टेहरी वहां के राजा साहब के अन्तर्गत था वहां पर वन के सम्बन्ध में कोई ऐक्ट भी लागू नहीं हुआ था। आर्या कमटी की यह सिफारिश थी कि वहां पर वन पंचायतें कायम की जायें। सन् ६२ से लेकर इतना समय हो गया है। हम आपके माध्यम से वन मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वन पंचायत की भूमि को जंगलात वाले किसी भी तरह से हस्तगत करने की फिराक में रहते हैं और उन पर बहुत ज्यादा नाजायज तरीके से हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। उखराखंड और कुमायूं में वन पंचायतों का जो काम है उनसे दो फायदे होते हैं। एक तो अपना मान कर अच्छा प्रबन्ध करते हैं हरा भरा जंगल बनाये रखते हैं और दूसरे पेड़ों की बिक्री से जो आमदनी होती है उससे बड़े-बड़े विकास के काम होते हैं, कई हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट कालेज इन्हीं वन पंचायतों के पेड़ बिक्री से बने हैं, बड़ी-बड़ी पेय जल योजनाएं, पुल और पंचायतघर बनाये गये हैं। उसके बाद खत्तों गोठों की समस्या हमारे यहां बहुत बड़ी समस्या है। हमारे तराई के क्षेत्र में जो बिलकुल पर्वतीय क्षेत्र से सटा हुआ है, चाहे गढ़वाल हो, अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो या नैनीताल हो, सबके लिये गोठों की यह समस्या है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र सैकड़ों वर्षों से गोठों में रहते आये हैं हमारे पुरखे पर्वतीय क्षेत्र से जाड़ों में जानवरों को लेकर नीचे आते थे इन खत्तों गोठों में रहकर दूध बेचकर तथा अन्य प्रकार की मजदूरी आदि करके अपनी गुजर करते हैं। ९० प्रतिशत लोग उनमें भूमिहीन और खेतिहर मजदूर हैं उन लोगों की दशा बड़ी दयनीय हो रही है। जंगल विभाग से उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जो गोठ व खत्ते हैं वे अपने जानवरों को लाकर चराते थे और दूध-घी बेंचते हैं, अपनी दर गुजर करते हैं, उनको आज जंगलात वाले प्लांटेशन के बहाने निकाल रहे हैं और उनको नाना प्रकार से परेशान कर रहे हैं। इससे बड़ा असन्तोष होगा हमारे ये गोठों में खत्तों में अनेकों भाई भूमिहीन भी हैं इनके लिये वन मंत्री जी को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना ही पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त। (श्री बिजय बहादुर सिंह)।

श्री डूंगरसिंह विष्ट---

तो गोठों की समस्या के लिए माननीय वन मंत्री जी अवश्य ध्यान दें। जब श्री किशन सिंह जी वन विभाग के उप मंत्री थे तो मैंने गोठों की समस्या का मामला पेश किया था लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगर गोठों का मामला हल नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत होगी और नक्सलपंथी की तरह की समस्या खड़ी होगी। सड़कों के किनारे फूट वेल्ट के बारे में भी कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें।

श्री बंशीधर पांडेय---

व्यवस्था का प्रश्न है। महीलाल जी आपको डायरेक्शन देते जा रहे हैं। इनके डायरेक्शन पर आप काम मत करिए।

श्री बिजयबहादुर सिंह---

आपने कितनी ही बार लाल बत्ती दिखायी लेकिन वह मान ही नहीं रहे हैं।

श्री डूंगरसिंह विष्ट--

श्रीमन्, हमारी वन पंचायतों के द्वारा फ्रूट बेल्ट के लिए भूमि दी गयी है। आज मैं देख रहा हूं कि उस फ्रूट वेल्ट के नाम पर...

श्री अधिष्ठाता--

अब मैं खड़ी हूं। आप कृपया बैठें। (श्री बिजय बहादुर सिंह)।

*श्री विजय बहादुर सिंह--

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, इस वन विभाग के सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। प्रदेश की या देश की जो वन सम्पदा है वह ऐसी सम्पदा है जिससे प्रत्येक देशवासी या प्रत्येक जीवमात्र का सम्बन्ध होता है।

(इस समय ३ बज कर ५५ मिनट श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, जिस गति से और जिस तेजी से आज अपने प्रदेश में वन सम्पदा नष्ट हो रही अगर वही रफ्तार जारी रही तो मैं यह समझता हूं कि आने वाले वर्षों में ऐसी समस्या खड़ी हो जायगी। जिससे मानव जीवन दुर्लभ हो जायगा। मान्यवर, जैसा कि सिद्धान्त है कि किसी भी भू-भाग पर उतनी वन सम्पदा रहनी चाहिये जिससे वर्षा पर नियन्त्रण होता रहे। अगर इस प्रकार से अपने प्रदेश में देखा जाय तो ३३ प्रतिशत भू-भाग पर वन सम्पदा होनी चाहिये। उस वन से वर्षा पर नियन्त्रण होता है। वर्षा होना भी प्रदेश के लिये जरूरी है। अगर इस दृष्टि से देखा जाय तो आज जो कुछ हो रहा है उससे ३३ प्रतिशत वन का भू-भाग कम होता चला जा रहा है। आज जो कुछ भी इस वन विभाग में हो रहा है और जो कुछ भी योजनायें वन विभाग में चल रही हैं उस दृष्टि से अगर इस विभाग को देखा जाय तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह वन विभाग प्रदेश के अन्दर बहुत ही भ्रष्ट प्रशासन कर रहा है। इस वन विभाग को भ्रष्ट प्रशासन वाला विभाग कहा जा सकता है। हमारे मुख्य मंत्री जी स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं। मैं यह समझता हूं कि आज वन विभाग के मंत्री और मुख्य मंत्री जी मिलकर स्वच्छ प्रशासन के नाम पर यदि वन विभाग में स्वच्छ प्रशासन कर दें तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कमी का बजट आज पेश किया जाता है वह कमी निश्चय ही दूर हो जाय बल्कि सरकार को अरबों रुपये का लाभ हो। उस अरबों रुपये के लाभ से हमारे प्रदेश की समुन्नति, विकास और लक्ष्य की शीघ्र पूर्ति हो सकती है।

वन विभाग के आजकल किस तरह का शासन है उसकी तरफ में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज वन विभाग में जो रेन्जर हैं, जो फारेस्टर हैं या जो ऊपर के अफसर हैं यदि उनकी आय की जांच की जाय तो आप देखेंगे कि मेरी बात में कितनी सच्चाई निकलती है। जो वन विभाग के अफसर हैं और ठेकेदार हैं उनकी सांठ-गांठ से आज प्रदेश का विकास रुका हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि इसमें सुधार किया जाय तो इससे आने वाला भविष्य हमारे, प्रदेश का बहुत समुन्नत हो सकता है। मैं अपने वन मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब वन लगाने की योजना चलती है उस पर विचार किया जाय। अगर उसके आंकड़े प्रस्तुत किये जायं तो देखने में ऐसा मालूम होता है कि बहुत काम हो रहा है। प्लान्टेशन के नाम पर जो भूमि ली जाती है उस भूमि पर प्लान्टेशन का नाम लेकर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है लेकिन वह प्लान्टेशन किस प्रकार से होता है अगर उसको सही रूप में देखा जाय तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से इस वन सम्पदा का नाश किया जा रहा है वह बहुत ही चिन्ता का विषय है। वन बढ़ाने की योजना जो सरकार की ओर से प्रसारित की जा रही है उससे ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश में ऐसा अवसर जल्दी ही आयेगा जब ये वन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विजय बहादुर सिंह]

सम्पदा बिलकुल घट जायगी और बहुत कम हो जायगी। वन सम्पदा जो हमारे यहां वर्षा के लिये जरूरी है, जो किसी भी प्राणी के लिये जरूरी है वह वन सम्पदा सुरक्षित नहीं रह जायगी और जो आने वाली पीढ़ी है वह आज की सरकार की भर्त्सना करेगी।

मैं वन मंत्री जी का ध्यान अपने जिले मिर्जापुर जिले की तरफ दिलाना चाहता हूं। जिस तरह से यहां पर टेहरी गढ़वाल, नैनीताल, देहरादून आदि के जंगलों की बात होती है उसी तरह से हमारे जिले मिर्जापुर का भी तीन चौथाई भाग वनों से घिरा हुआ है, वहां पर भी विशाल जंगल वन विभाग के हैं। मैं उनकी ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मिर्जापुर में बहुत बड़ी संख्या में तेंदू की पत्ती होती है, वह झांसी के जंगल में भी तथा हमारे यहां पाई जाती है। वहां पर अप्रैल और मई के मास में जो ठेकेदार होते हैं वह वन विभाग से नीलाम द्वारा उसको खरीदते हैं। मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं कि जब यहां पर गुप्ता जी की सरकार थी और जब भूतपूर्व मंत्री श्री बंशीधर मिश्र इस विभाग को सम्भालते थे, मैं उन को बधाई भी दूंगा, उनके जमाने में हमने इस तेंदू की पत्ती की समस्या को सरकार के सामने रखा था। उन्होंने कृपा कर के एक कमेटी इसलिये बनाई थी और जहां-जहां जंगल थे और तेंदू की पत्ती होती थी उन जिलों के माननीय सदस्यो को बुलाकर इस समस्या को देखा था, उस समिति में वन विभाग के अधिकारी भी थे। उसके बाद उस पर एक विधेयक भी तैयार किया गया था और यह निश्चय हुआ था कि तेंदू की पत्ती का राष्ट्रीयकरण किया जाय जैसा कि मध्य प्रदेश में और बिहार में हो भी चुका है। इस पत्ती के राष्ट्रीयकरण से जो उन प्रदेशों को लाभ हो रहा है वही लाभ जो श्री बंशीधर जी की सरकार के जमाने में बनाया गया था वही लाभ हमारे प्रदेश को भी होने वाले था। अगर तेंदू पत्ती का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केवल मिर्जापुर से ही १ करोड़ रुपया सालाना वन विभाग को मिल सकता है। आज वहां हो क्या रहा है, वहां पर जो ठेके होते हैं उन के ठेकेदार गरीब आदवासी मजदूरों से २ रुपया रोज देकर तेंदू पत्ती इकट्ठा कराते हैं। वह पत्ती जो वह एक दिन में २ रुपए में इकट्ठा कराते हैं इन गरीब वनवासी आदिवासी लोगों से उसका मूल्य ब जार में १८ रुपया होता है और यह सारा मुनाफा ठेकेदार खा जाते हैं। अ ार तेंदू की पत्ती का राष्ट्रीयकरण हो जाय तो यह मजदूरों का शोषण भी समाप्त हो जाय और सरकार को भी उसका सही मूल्य मिलने लगे। आज वन विभाग के प्रशासकों की और ठेकेदारों की सांठगांठ चल रही है, जिन ठेकेदारों की हैसियत दस हजार की थी वह थोड़े ही दिनों में १० लाख की हो गई है। मैं तो यह कहूंगा कि इस तरह से वह प्रदेश के और जनता के धन की चोरी कर रहे हैं। यह समस्या केवल राष्ट्रीयकरण करने का एक बिल लाने से दूर हो सकती है और लाखो रुपए का सरकार का लाभ हो सकता है। इसी तरह से झांसी और अन्य जिलों में भी जहां जंगल हैं वहां की वन सम्पदा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो वन विभाग को करोड़ों रुपए का लाभ हो सकता है।

इसी प्रकार की मिर्जापुर के बांस के जंगलों की भी कहानी है। उसकी तरफ भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सारे बांस के जंगल का भाग डालमिया को दे दिया गया है और उनके द्वारा बांस का सारा जंगल सोन नदी में बहा कर बिहार ले जाया जाता है। इस तरह से करोड़ों रुपए का बांस हमारे यहां से बाहर चला जाता है। अफसरों और ठेकेदार की सांठगांठ से करोड़ों रुपए का नुकसान प्रादेशिक सरकार का होता है और उसको भारी क्षति उठाना पड़ रही है। मेर सुझाव है कि यह जितनी वन सम्पदा है उस की अगर माननीय वन मंत्री सुरक्षा कर सकें और ऐसा कोई नियम बना सके तो अन्ततोगत्वा उसका परिणाम यह होगा कि करोड़ों रुपए की सरकार की आय बढ़ जायगी और हमारे वन अधिक सुव्यवस्थित हो सकेंगे। मैं चाहता हूं कि कोआपरेटिव बेसिस पर सहकारी समितियां बनाई जांय और उनके द्वारा ही वहां कार्य हो तो प्रदेश की प्रगति होगी।

अन्त में मैं यह भी कहूंगा कि अंग्रेजी राज्य तो चला गया लेकिन वन विभाग में अंग्रेजियत अभी बाकी है। हमारे यहां जो प्लान्टशन हो रहा है बनों में वहां साल, टिम्बर, रशम,

चीड़ लगाया जाय तो ठीक है लेकिन आस्ट्रेलिया का एकलिप्टस लगाना कहां उचित है, उसका क्या उपयोग हमारे यहां होगा, उसका उपयोग तो वन विभाग वाले ही जानें। मैं चाहता हूं कि जो प्लान्टेशन भी किया जाय वह औद्योगिक दृष्टि से ही किया जाय जिन वृक्षों की औद्योगिक आवश्यकता है केवल वही लगाये जांय ताकि उनके द्वारा हमारे यहां उद्योग धन्धे पनप सकें। इस आधार पर हमारे यहां की बेकारी भी दूर हो सकती है और लोगों को रोजगार मिल सकता है। इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमन्, आप तो मिर्जापुर गये हैं, आपने देखा है वहां के जंगल विभाग के दफ्तरों की क्या हालत है। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वहां के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है और जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा है वह अवर्णनीय है। आज भी वहां पर बेरोजगारी है, भुखमरी है जबकि लाखों और करोड़ों रुपया इस प्रकार से व्यर्थ नष्ट कर दिया जाता है। अगर माननीय मंत्री जी आंकड़ों को देखें तो पायेंगे कि वन विभाग द्वारा मिर्जापुर की किस प्रकार से उपेक्षा हो रही है और वह स्थिति ऐसी है जो कभी संभले नहीं संभल सकेगी।

मैं केवल अंत में एक और सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे जो भूतपूर्व वनमंत्री माननीय बंशीधर पांडेय थे, उन्होंने तेंदू की पत्ती का राष्ट्रीयकरण करने की बात कही थी। मेरी प्रार्थना है कि उसके बारे में सरकार एक विधेयक लाये और उसे इस सदन में पारित कराये। ऐसा करना एक आशावादी कदम होगा जिससे सरकार को करोड़ों रुपये की प्राप्तनी होगी और वहां के लोगों को बेरोजगारी भी दूर होगी।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

श्रीपन्, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का मैं समर्थन करता हूं और समर्थन इस भावना से भी करता हूं कि माननीय वन मंत्री महोदय ने अपने इस कार्यकाल के कुछ ही दिनों में ऐसे कदम उठाने आरम्भ कर दिए हैं, जिनसे हमारी वन नीति में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन होने की संभावना है। यों तो माननीय गोविन्दसिंह नेगी जी द्वारा काफी प्रकाश इस दिशा में डाला जा चुका है परन्तु जहां तक मेरा विचार है कि आज भी स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद उत्तर प्रदेश वन द्वारा आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता है बल्कि उसके अभी भी पैर डगमगा रहे हैं। वन से होने वाली आय का हमारे प्रदेश की पूंजी बढ़ाने में बहुत भारी योगदान है। मान्यवर, वन से हमें २० करोड़ रुपये की शुद्ध इन्कम प्रति वर्ष होती है। राजस्व इनकम भी इसी तरह से लाखों में होती है जिनसे प्रतीत होता है कि इस उद्योग से हमारे प्रदेश की आर्थिक उन्नति हो सकती है। कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने बिचार ब्यक्त किए, कटौती का प्रश्न भी आया, कई प्रकार की आलोचनायें भी की गयीं, वे अपने स्थान पर ठीक हो सकती है, परन्तु जहां तक इस विषय को ध्यान में रखा गया है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में, प्रदेश को आगे ले जाने में जब तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के जितने भी हमारे उद्योग धंधे हैं, जिनसे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, उन क्षेत्रों में, उन विषयों में और उन विभागों में वन विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिससे उत्तर प्रदेश की आर्थिक उन्नति संभव है।

श्रीमन्, यहां पर लीसे कि बारे में कहा गया है परन्तु मेरा तो यह कहना है कि हमारे अधिकारियों के ऊपर छींटा कशी की गयी है। मेरा यहां पर एक स्पष्ट विचार है। इसके लिये अधिकारी भी उतने दोषी नहीं जितनी दोषी हमारी वन नीति है। वन नीति इस तरह से बन चुकी है जिसके कारण से कि अधिकारी वर्ग भी चाहते हुए कभी-कभी नहीं कर पाते हैं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

जहां उनको इस प्रकार की छूट मिल जाती है उनसे इस प्रकार की भूल होना स्वाभाविक है। और यह कारण हैं कि कई ऐसी चीजें हो गई हैं जिसके कारण से कि वन विभाग की आशातीत बड़ी भारी क्षति हो रही है और इसकी जिम्मेदारी, मैं समझता हूं, यह हमारी सरकार के ऊपर भी उतनी ही है जितनी हमारी अधिकारियों के ऊपर। लेकिन नीतियों को निर्धारित करने से पहले मैं माननीय वन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे वे अपने कार्यकाल में एक स्वस्थ परम्परा को जीवित करने की चेष्टा कर रहे हैं वैसे ही वे अभी से इस प्रकार की वन नीति बनायें ताकि अभी तक जितनी भूल हो चुकी है वह भविष्य में न हो। उदाहरणार्थ, लीसा की चर्चा पर माननीय नेगी जी ने बहुत प्रकाश डाला।

मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि वर्ष १९६८–६९ और १९६९–७० में हमारी वन नीति के ढीलेपन होने के कारण से उत्तर प्रदेश सरकार को ३,६९,५९,१२५ रुपये का नुक्सान हुआ है।

	रु०
आई० टी० आर० तथा पी० सी० एफ० के अलाटमेंन्ट में ..	३,४९,०९,१२५
रानीखेत तथा कोटद्वार	१५,९२,२५०
प्राइवेट लोगों के एलाटमेन्ट में	२०,५०,०००

इस तरह से कुल नुक्सान ३,६९,५९,१२५ रुपये का सरकार को हुआ है। यह किस तरह हुआ। लोगों को जो अलाटमैन्ट कर दिया गया इन फैक्टरियों के नाम पर। उनको ९४.७५ के हिसाब से पर क्विन्टल दिया गया जब वही लीसा १५० रु० से लेकर २०० रु० पर क्विन्टल बिका। इस तरह से यह अन्तर निकला है। मान्यवर, मैंने सारा अन्तर निकाल कर रक्खा है। स्वयं वन मंत्री महोदय द्वारा एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है। स्वयं उन्होंने वे आंकड़े दिये हैं। उसके हिसाब से भी हम देखते हैं कि जितना लीसा वहां से उन स्थानों को दिया गया है वह सारा का सारा एक तरह से इनाम के रूप में दिया गया है। मान्यवर, इस वर्ष ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने देखा कि लीसे में बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। उन्होंने, भी अपनी-अपनी दरख्वास्तें दे दीं। बहुत से लोगों के हाथ फैक्टरियों में भी थे। या तो उन्होंने अपने नाम या किसी रिश्तेदार के नाम से लीसे का कोटा ले लिया। इस तरह से अनियमिततायें बढ़ती चली जा रही हैं जिसके कारण से उत्तर प्रदेश का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। मान्यवर, एक स्टार फैक्टरी सहारनपुर में है जिसको बीस वर्ष तक के लिये यह कहा गया है कि तुमको हम लगातार कुमायूं और गढ़वाल इलाके से लकड़ी देंगे।

मान्यवर, जो मुड़ी हुई लकड़ी इसमें होती है वह कागज बनाने के लिये दी जाती है। पिछली संविद सरकार के जमाने में जब माननीय ओम प्रकाश जी उपमंत्री थे और माननीय विक्रम जी मंत्री थे उसी समय की बात है। रानीखेत के पास जो जंगल कटा हुआ था वह सारा का सारा उसी चीड़ की लकड़ी का था। मान्यवर, यह जानकर आश्चर्य होगा कि २० नये पैसे क्युबिक फीट वाली लकड़ी दी गई थी। वही बाजार में ९ रुपये फीट के हिसाब से बेंची गई और यही सिलसिला चला आ रहा है। उसका कारण वन नीति है। अगर सहारनपुर की स्टार फैक्टरी वाले जंगल काटने के लिये जाते हैं तो हमारे विभाग के लोग जरूर उन पेड़ों पर छाप लगाते हैं लेकिन इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं होता। हिसाब किताब होता है तो स्टार फैक्टरी के पास। कोई रिकार्ड नहीं है कि कितनी लकड़ी चली जाती है। मान्यवर, अनेक प्रकार की मूल्यवान लकड़ी वैगन के वैगन लदकर बाहर जाती है और हजारों लाखों करोड़ों रुपये का नुक्सान उत्तर प्रदेश का होता है। मान्यवर, अगर वन नीति में इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाता कि जिससे उन अधिकारियों को पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता, उनके पास रवानगी की पुस्तक रहतीं, तो जो सरकार को नुकसान होता है वह नहीं हो पाता।

एक उदाहरण मैं और रखना चाहता हूं । रामनगर में एक व्यापारी ने एक जंगल का ठेका ४७ हजार में लिया । लेने के बाद उसने तुरन्त उसको १ लाख १७ हजार में बेच दिया उसकी रिपोर्ट की गयी मगर कोई कार्यवाही अधिकारियों के खिलाफ नहीं की गयी । इसी प्रकार एक जंगल को और ४७ हजार में नीलाम किया गया और बाद को वही ८७ हजार में लेने वाले ने उसको बेच दिया । इस तरह से इस विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है । सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये ।

वन विभाग की नीति इतनी ढीली है कि सरकार मैदानी इलाकों में तो सड़कों के किनारे जंगल लगा रही है, किन्तु पहाड़ी क्षेत्रों में वह कोई ध्यान नहीं दे रही है । वह समझती है कि पहाड़ों की जलवायु को जंगल उगाने के लिये ठीक है ही । यह ठीक है, किन्तु जब तक हमारे यहां के जंगलों का ठीक प्रकार संरक्षण नहीं होगा, वे सुरक्षित नहीं रह सकेंगे और धीरे-धीरे खत्म होते चले जायेंगे । एक दिन वह आयेगा कि सारी वन सम्पदा नष्ट हो जायेगी, विहार स्थल तक नष्ट हो जायेंगे । इसलिये सरकारी नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे कि पहाड़ों पर जो जंगल हैं उनका संरक्षण हो सके ।

हमारी नीति इतनी खराब है कि जो योजना हम बनाते हैं उसका समन्वय ठीक तरह से नहीं हो पाता । मान्यवर, हमारे गढ़वाल जिले में गेंठी छीड़ा में एक विद्युत योजना तैयार की गयी । योजना पूरी तरह तैयार हो गयी । लेकिन आज तक वह पूरी नहीं हुई । उसक लिये २ लाख की एक मशीन खरीदी गयी । उसको पौड़ी से गेठीछीड़ा ले जाना था । मगर केवल सड़क न होने के कारण वह मशीन १२ अप्रैल को पहाड़ के नीचे गिर गयी और उसके टुकड़े-टुकड़े हो गये । इस योजना को पूरा करने से पूर्व अगर वहां सड़क बना दी गयी होती तो यह नुकसान न होता और योजना भी कार्यान्वित हो जाती । सड़क न होने से कितना नुकसान है इसके दो और उदाहरण देना चाहता हूं । हमारे यहां गढ़वाल जिले में भरसार में ५०० एकड़ का एक बगीचा है । सड़क न होने के कारण उसके फलों से केवल ६३ हजार रुपय की सालाना आय है । जब कि अलमोड़ा में १०० एकड़ का ही बगीचा है, मगर वहां सड़क उपलब्ध है, सड़क होने के कारण उस बगीचे के फल २ लाख १३ हजार रुपये के इस वर्ष बिके । सिर्फ सड़क होने से १०० एकड़ वाले बगीचे के फल २ लाख १३ हजार में बिके और उधर भरसार में ५०० एकड़ वाले बगीचे की फसल ६३ हजार में बिकी । इसलिये वहां पर सड़क अवश्य बनवायी जाय । एक सड़क पौड़ी से दूघातोला तक अवश्य बनायी जाय । इस मोटर रोड की बहुत जरूरत है । इस संबंध मे यहां प्रश्न भी हो चुके हैं । इस सड़क को तुरन्त सरकार को बनाना चाहिये । तो इसीलिये मैं बता रहा था कि आज इस सरकार की नीति में सुधार करना अति आवश्यक है । हमें यह देखना है कि योजनायें ऐसी बनाई जायं जिनसे आर्थिक स्थिति भी सुधारे, जनता का भी लाभ हो, हमारी नीति के द्वारा कर्मचारी गलत फायदा न उठा सकें, न विभाग की बदनामी हो ।

तो इसी तरह से मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं एक इसका भूमि संरक्षण विभाग है, जिसका कार्य भी वैसा ही दोषपूर्ण है जैसा पूरे वन विभाग का है । उसमें भी वह टालमटोल चलती है । उस टालमटोल को यदि ठीक कर दिया जाय तो जंगलों की सुरक्षा भी हो सकती है और भूमि की भी सुरक्षा हो सकती है । इसक लिये जहां तक पहाड़ों का प्रश्न है, वहां पर सड़कों का होना नितान्त आवश्यक है । जब तक वहां पर सड़कों का जाल नहीं बिछा दिया जायगा और जब तक उससे लोगों का जन संपर्क नहीं कायम कर दिया जायगा तब तक काम नहीं हो सकता है । मैं वन मंत्री क द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और अपने को माननीय नेगी जी के विचारों के साथ संबद्ध करत हुए यह भी कहना आवश्यक समझता हूं कि वन नीति पर फिर से विचार हो और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस विभाग की नीतियों का सुधार किया जाय ताकि हमारे उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

मान्यवर, सरकार की ओर से बोलते हुए नौटियाल जी ने ठीक ही कहा कि कोई वन नीति सरकार की नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि जब इस सरकार की कोई जन नीति ही नहीं है तो वन नीति क्या हो सकती है। वन नीति के अभाव में जंगल या वनों के विषय में कोई नीति होना बहुत बड़ी बात है, कल्पना की बात है। किन्तु मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है उसका निरीक्षण वह एक बार अवश्य मेरे कहने पर करें। वर्ष ६८-६९, ६९-७० व ७०-७१ के बजटों में विभाग की आमदनी देखने से आप इस नतीजे पर पहुंचेगे कि उसमें सरकार की कोई नया काम करने की नीयत नहीं है, विकास करने का कोई इरादा नहीं है। जंगलों की उन्नति करने की कोई योजना नहीं है। कागज में योजना भले ही हो, लेकिन धरातल पर नहीं है। उसका परिणाम यह है कि ६८-६९, ६९-७० ७०-७१ व इस साल भी लगभग ७ करोड़ से कुछ ज्यादा या कम खर्चा रहा है। इसके पहले ७ करोड़ ८४ लाख था, उसके पहले ६ करोड़ ९५ लाख था। इस तरह से आपका एक खर्च है। इससे यह साबित है कि हमारे माननीय मित्रों ने या माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये कि बड़े पैमाने पर वन संपदा की रक्षा के लिये एक नई और स्थायी योजना की आवश्यकता है, वह योजना इस वर्ष भी सरकार के पास नहीं है। योजना रहित यह सरकार ही बन गई तो योजना बनती ही कैसे। यह तो सरकार का प्रतिबिंब है। हमारे मित्र नेगी जी कहते हैं कि बनते-बनते बिगड़ गई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वनों की ओर ध्यान दिया जाय तो बहुत अच्छी संपदा बन सकती है और उससे बहुत ज्यादा रुपया सरकार को मिल सकता है। लेकिन उसमें बहुत बड़ा घुटाला है। इसमें जो प्राप्तियां हैं, उनको खण्ड (४), पृष्ठ ५७६-७७ में देखा जाय तो सन् ६८-६९ में कुल मिलाकर १९ करोड़ ७ लाख की प्राप्ति थी, ६९-७० में १७ करोड़ १० लाख रुपये की प्राप्तियां थीं, ६९-७० में १८ करोड़ ४१ लाख की प्राप्तियां थीं और इस वर्ष आपका अनुमान है कि १९ करोड़ ४३लाख रु० की आपकी आमदनी होगी। मैं नहीं समझता कि आपको अपने इस अनुमान में कहां तक सफलता मिलेगी। लेकिन मैं आशा करता हूं और चाहता हूं कि यदि इसे आप चला सकें और इस बजट को कार्यान्वित कर सकें तो अच्छा होगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि १९६८-६९ में जिस जगह पर थे आज भी उसी जगह पर हैं जब कि लकड़ी का दाम काफी तेजी से बढ़ा है। जो जंगलात की प्राप्तियां हैं उनसे ज्यादा आमदनी हो सकती है एक मद है भवनों और फर्नीचर के किराये की। १९६८-६९ में १ करोड़ ११ लाख था और इस साल १ करोड़ १० लाख है। यह आपका बजट है, इस साल भी मुझे नहीं मालूम होता कि भवनों का किराया, जंगलात विभाग की ओर से बढ़ा है या घटना है। मैं समझता हूं कि जरूर बढ़ा होगा, हर रीजनेबिल आदमी यही समझेगा। इसको देखने से आइने की तरह से झलकता है कि कोई भारी घोटाला है कोई न कोई आधारभूत गड़बड़ी है जिसकी वजह से आपको इस तरह की कमी दिखाई देगी। दूसरे औद्योगिक महत्व के विधि प्रकार के पेड़ के लगाने से प्राप्ति में भी १९६८-६९ में ४३ लाख ३१ हजार था और इस साल ३७ लाख है। इस तरह से प्राप्तियां कम होती जाएं यह खतरे की घंटी है मैं सरकार का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं।

जिला लखनऊ की एक समस्या की ओर मैं वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां प्रिंस आफ वेल्स जूलोजिकल गार्डेन है जिसको चिड़ियाघर या बनारसी बाग भी कहते हैं---कई नामों से उसको पुकारा जाता है। वहां के पार्कों को देखने से लगता है कि कभी पानी नहीं दिया गया, कभी घास को जरूरत नहीं पड़ी सिंचाई की। वहां के जानवरों की जो दशा है, उसकी तह में जाएं तो पता चलगा, हम से तो लोगों ने बताया कि जानवरों को उचित भोजन नहीं मिल पाता। सरकार की ओर से जो व्यवस्था है वह पूरे तौर से नहीं हो पाती। बच्चों की रेलगाड़ी कभी चल जाती है कभी नहीं चलती। वह प्रायः बन्द रहती है वहां के जो इंचार्ज महोदय होंगे, जब चाहते हैं चल जाती है जब चाहते हैं तो पुरजा बिगड़ जाता है।

यह स्थिति जूलोजिकल गार्डन की है। फूल पत्तियां सूखी हुई हैं और इस सरकार के नाम पर रो रही है। सरकार उन कलियों को खिला सकेगी या नहीं, शायद वह नमी है ही नहीं, कि कभी पानी पहुंचा सकें। लखनऊ की यह बहुत सुन्दर, अजीब चीज थी, जहां पर बड़ी-बड़ी से लोग देखने को आते थे। उसकी ओर नजर डालें।

मैं देवरिया जिले का रहने वाला हूं। वहां कुल जंगल हैं जिसका कुछ हिस्सा गोरखपुर से सटा हुआ है। वहां पर जंगल विभाग की ओर से बड़ी धांधली होती है। वहां तो तीन चार आदमियों को चराई का अधिकार दे दिया जाता है। वहां पशुपालकों की दर्दनाक पिटाई होती है। उसकी ओर ध्यान देना चाहिये। साथ ही जंगल विभाग के जो वन लगे हुये हैं उनकी सुरक्षा कर सकें या नहीं लेकिन एक बीमारी आपके विभाग को शुरू हो गई है। कहीं भी एक जगह पचास एकड़ जमीन मिल जाय तो डिक्लेअर करवा देंगे कि यह फारेस्ट है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे गांवों में जहां ऐसी जमीन पड़ी है, पुराने जमींदारों के खेत थे, वह जोत नहीं पाए, बंजर हो गई, अगर उसको जोत नहीं सकते तो जंगल न बनाएं। जंगल बनायेंगे तो नतीजा यह होगा कि चारों ओर जंगल के जानवर रहेंगे, सारी कृषि को बरबाद करेंगे। देवरिया जिले की पडरौना तहसील में एक ऐसा गांव धुनवलिया है, एक गांव इन्द्रपट्टी नाम का है। जो जंगल है वह वहां से साफ हो रहा है। आपने पुटेटो फार्म बना दिया। अब आप नया जंगल बनाना चाहते हैं। चारो ओर खेती है। लिहाजा बीच में एक नई मुसीबत आप किसानों के लिये पैदा न करें। १९५६ में कुशीनगर में साल वन लगाया जा रहा था लेकिन १०० पेड़ भी तैयार नहीं हुए। जंगल विभाग का कई लाख में खर्चा हुआ। इस तरह से अन्धाधुन्ध खर्चा हो रहा है। माननीय सदस्य चौधरी रामपाल सिंह की डेरा तहसील में कुछ गांव हैं जहां ८ हजार एकड़ जमीन १९५२ से जंगल विभाग न लें रखी है। ३०२ एकड़ में तो जंगल लगाया गया और बाकी में जंगल नहीं लग सका क्योंकि उसमें आबादी है, लोगों के घर हैं। घरों के चारों ओर पत्थर लगा कर आप जंगल लगायेंगे। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार घरों को उजाड़ने का सिलसिला बन्द करना चाहिये इन शब्दों के साथ मैं माननीय गोविंद सिंह नेगी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने देखा कि पहाड़ से संबंधित वनों पर माननीय सदस्य बोलें और पठार से संबंधित वनों पर लोग बोलें लेकिन मैदानी वनों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मैदानी वनों से लोग प्रभावित हैं उनकी तरफ से बोलने का मौका मुझे दिया।

सबसे पहल मैं इस ओर सदन का ध्यान दिलाऊंगा जिस पर शास्त्री ने प्रवचन दिया। शास्त्री जी का भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे एक मुंशी थे जो अपने बच्चों को नाला पार कराना चाहते थे। उन्होंने नाले की गहराई नापी और बच्चों की ऊंचाई नापी तथा एवरेज निकाल कर सोचा कि बच्चे नाला पार हो जायेंगे लेकन सब डूब गये। जंगल से संबंधित यह मामला आंकड़ों का नहीं है, कागजों पर समझने का नहीं है। मौके पर देखने का है। मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं जब हमारे भूतपूर्व वन मंत्री विकल जी को मैं विकल होते देख रहा हूं। उन्होंन हमारा दिल बढ़ाया लकिन अफसोस यह है कि जो वह सोचते थे वह नहीं हो पाया और मैं उनकी असमर्थता पर बहुत दुखी हूं। भगवान उनको बल दे और वह अच्छा काम करने में हमारी मदद करे और जो उनको मंशा थी उसको हम पूरी करना चाहते हैं। शास्त्री जी ने अपने भाषण में आंकड़े देते हुए बताया कि वन विभाग की ५८ में यह खर्चा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री यादवेन्द्र सिंह]
था और यह आमदनी थी, ५९ में यह थी और उनका कहना था कि विभाग की आमदनी जितनी पहले थी उतनी ही आज है। मैं यह निवेदन करूंगा कि वन विभाग सरकार की आयु के लिये कमाऊ पूत है जो ज्यादा से ज्यादा धन उसको देता है और उस पर कम से कम धन व्यय होता है। मैं गोरखपुर में उस डिवीजन से संबंधित हूं जो उत्तर प्रदेश में नहीं सारे भारतवर्ष में वन की क्रीम है और आदमी द्वारा लगाये गये वनों में वह सर्वश्रेष्ठ डिवीजन हैं और यह बात सर्वमान्य है। जहां तक आमदनी का सवाल है १०–१५ वर्ष पहले गोरखपुर के वन विभाग से ४०–४५ लाख की आय हुआ करती थी जब कि इस वर्ष वह १ करोड़ १० लाख की है और आगे और भी बढ़ने वाली है। लेकिन बड़े अफसोस की बात तो यह है कि हमारे बन विभाग के लोग कुमाऊ-पूत होने के साथ-साथ बिलकुल बेजबान हैं। वे कुमाऊ-पूत तो जरूर हैं किन्तु कभी-कभी उन्हें भी रोना पड़ता है और कहना पड़ता है कि हमें पौष्टिक पदार्थ दो ताकि हम कुछ दिनों तक आपकी सेवा कर सकें। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो जो जमींदारी जंगलों से प्राप्त होती है और जो फोरेस्टेशन का काम उसमें हो रहा है वह बहुत ही धीमी गति से हो रहा। जितनी आय इससे सरकार को हो सकती थी वह नहीं हो पा रही है। हमारा जो वन विभाग है उसका जो न ले जाने का तरीका है वह उसी प्रकार है जैसा कि विजय बहादुर जी ने कहा कि अंग्रेज तो यहां से चले गये किन्तु अंग्रेजियत अभी नहीं गई। उन्होंने यूक्लप्टस का उदाहरण भी दिया। मैं कहना चाहता हूं कि यूक्लप्टस के नाम से उन्हें भड़कना नहीं चाहिये। आज लगभग काफी लोग सिन्थेटिक, नाइलोन और डाईक्रौन पहनते हैं। मैं तो खदरा न पहनता हूं। उनको यह जानना चाहिये कि यूक्लप्टस के ज्यादा पेड़ होने चाहिये। यूक्लप्टस और पौपुलस इस प्रकार के पेड़ हैं जो कि १०–१२ साल के अन्दर आपकी कागज की कही को पूरा करने में सहायक हो सकते हैं। यह बहुत अच्छे पेड़ हैं इनके नाम से उन्हें भड़क नहीं होनी चाहिये। इसी प्रकार की एक गांवों में कहावत है कि हर भैंस काले कपड़ों को देखकर बिदकती है। तो आप अंग्रेजी के शब्दों को देखकर न भड़कें। उसकी उपयोगिता की तरफ आपको जाना चाहिये। वे जिस पठारी इलाके से आते हैं वहां वे यूक्लप्टस और पौपुलस की ग्रोथ नहीं लगाई जाती। इसीलिये उन्होंने कह दिया होगा।

मैं शास्त्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं। जिन लोगों ने वनों के बारे में कहा है उन्होंने केवल वहां की वनस्पति के बारे में कहा है। लेकिन फलोरा और फोना के बारे में नहीं कहा...
(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने सवाल कहे गये हैं, उनमें तथ्य हैं। एक बात और ध्यान देने की है कि आपका जो यहां चिड़िया घर है उसमें पहले कंगारू और जीबरा की बहुतायत थी किन्तु अब इनके बच्चे वहां पर दिखाई नहीं देता। क्रौस ब्रीडिंग से उनकी नस्ल अब बिल्कुल समाप्त हो गई है। आपको ऐसी दशा में सोचना चाहिये। आपने एक वाइल्ड लाइफ आर्गनाइजेशन भी बनाया है। यह इतना लम्बा और विस्तृत क्षेत्र है कि एक आदमी के लिये असंभव है कि वह पूरे इलाके को देख सके। इसके लिये तेजी से काम होना चाहिये। आपके प्रदेश में ८ वाइल्ड लाइफ सेंटर्स हैं जिसमें एक नेशनल कार्बेट पार्क है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आपके जो मौजूदा शिकार करने के रूल हैं उनका यदि फोलो किया जाय तो शिकार नहीं हो सकता है। एक चिड़िया को भी नहीं मारा जा सकता है। आपने जो नया कानून वाइल्ड लाइफ प्रोटक्शन बिल बनाया है उसे शीघ्रातिशीघ्र सामने लावे ताकि आज देश और प्रदेश में जितनी भी नस्ल खत्म हो रही हैं उनको बचाया जा सके।

मुझे किसी ने बताया कि माननीय वन मंत्री जी टाइगर के शिकार पर रोक लगाने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं आप यह प्रस्ताव ऐसा न हो जाय कि जिस प्रकार नशाबन्दी वाला आपका कानून हो गया है। और सरकार इस कानून को लायेगी तो हम दफा १४ के अनुसार कार्य करेंगे अथवा कानून को बहुत से लोग जानबूझकर उल्लंघन करेंगे। कानन तो एसा होना चाहिये जिसको उल्लंघन करने के लिये लोग मजबूर न हों। मैं इस बात का हाभी नही हूं कि शिकार होना ही चाहिये लेकिन इस बात का जरूर हाभी हूं कि कायदे से शिकार को आप प्रोत्साहन दें। इससे मनुष्यों में पुरुषत्व आता है। इससे हमारे और राज़ा यादवेन्द्र-दत्त सरीखे लोगों को जिनको और काम करने का मौका नहीं मिलता है और ज़िनका शरीर मोटा है, उनको कम से कम यह लालच तो होता है और इसके शिकार के बहाने से वे कुछ मेहनत करने को उत्साहित तो होते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थ करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

अब समय तो है नहीं, लेकिन अगर आप १–२ सुझाव देना चाहते है तो दे दीजिए।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ सुझाव देने का अवसर दिया। वन में ठेकेदारों की प्रथा है। जिसमें कुछ लोगों ने ही मोनोपलाइज कर रखा है। आपके डी० एफ० ओ० उन्हीं पुराने बड़े बड़े लोगों को ठेका देते हैं और उनके बीच में छोटा ठेकेदार आने नहीं पाता। माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और एक्सपेरीमेंट के तौर पर छोटे छोटे ठेकेदारों को ठेका दिलवाएं तो इससे वन विभाग की आमदनी बहुत ज्यादा हो जायगी।

ग्राम सभाओं और फोरेस्ट में लैंड के ऊपर बहुत से स्थानों पर झगड़ा चल रहा है। लखीमपुर, शाहजहांपुर और पीलीभीत में ऐसे बहुत से झगड़े चल रहे हैं। मंत्री जी सारे प्रदेश का सर्वे कराएं और जहां जहां इस प्रकार के झगड़े हैं उनको तय कराएं।

आप जो पेंथर और टाइगर के शिकार बन्द करने जा रहे हैं, मैं उस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। लेकिन यह काम चलने वाला नहीं है। इसके लिये आपको फारेस्ट ऐक्ट को भी लाना होगा। इसके अलावा जो आप ३ साल के लिये बन्द कर रहे हैं, उसके बजाय ५ साल के लिये बन्द कीजिये। कैटिल लिफ्टर डिक्लेयर करने का अधिकार आपने जिन अधिकारियों को दे रखा है वे कभी-कभी अपने शिकार के लिये भी ऐसा कर देते हैं। यह अधिकार केवल डिप्टी चीफ कंजरवेटर आफ फोरेस्ट हो होना चाहिय।

इसके अलावा जहां मैन ईटर आदि का उत्पात होता है आप वहां पर शिकारियों को इनवाइट करते हैं। और उसके लिये इनाम रखते हैं। यह ठीक है कि आप शिकारियों को वहां बुलाकर १०–५ दिन केा करा दीजिये और अपने वाइल्ड लाइफ वाडनर्स को बुलाकर दिखाइये कि वह देखें कि वहां क्या बात है? आप दो हजार रुपया भी देते हैं और वे २–४ शिकार और कर लेते हैं, उससे आपका नुकसान ही होता है। इसलिये आप यह इनाम वाली बात को तो है तुरन्त ही समाप्त कर दीजिए। कोई भी शिकारी जो वहां जायगा वह इनाम के लिये नहीं जायगा वह तो अपने शौक के लिये जायगा और यह दिखाने के लिय जायगा कि किस तरह से उसको मारा जाता है।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री रामप्यारे का नाम पुकारे जाने पर––व्यवधान)

*श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

बोलने का नहीं, सुझाव देने का मौका दिया है ।

श्री रामप्यारे—

जो सदस्य वन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके लिये ये दो–तीन मिनट काफी नहीं हैं । हमारी यह समझ में नहीं आता कि पहले कौन बात कहें । माननीय विजय बहादुर सिंह ने जो तेंदू की पत्ती का प्रश्न उठाया वह सही है । पिछली सरकार में यह तय हुआ था कि नेशनलाइजेशन किया जाय और हमारे सुझाव पर उप-मंत्री वन की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गयी थी । इस समय पत्ती का काम चल रहा है। वन मंत्री जी उस कमेटी से सुझाव मांग ल और जल्दी से जल्दी इसको नेशनलाइज करने की बात करें ।

इसके अलावा शासन की ओर से जो सुविधायें दी जाती हैं, नीचे के अधिकारी वह नहीं देते हैं। उन सुविधाओं को दिलाने का प्रयत्न किया जाय । जहां तक जगह के प्रशासनिक प्रश्न का संबंध है, यह तो आप जानते ही हैं कि जन-जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला है लेकिन वन विभाग में भ्रष्टाचार कम है और इसका ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेट–अप अच्छा है । साथ ही साथ जंगल की रक्षा क लिये जितने कर्मचारी चाहिये वह नहीं हैं । हमा जंगल की रक्षा नहीं हो पा रही है ।

इसके अलावा दो–तीन सझाव और देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह आप लिख कर भेज दीजियेगा ।

श्री इन्द्रमणी—

उपाध्यक्ष महोदय, पर्वतीय जिलों के ३० लाख लोगों ने जो घोषणा की है, उसका जो प्रस्ताव है वह मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं । आप लोगों को विदित है कि आज से ४० साल पहले १९२३ में महाराजा टिहरी के खिलाफ वहां के लोग एक जगल पर इकट्ठा हुये थे । उन लोगों को गोली से भूना गया था । आज वह दिवस मनाया जाता है और उस दिवस पर वहां के लोगों ने एक घोषणा की है । हमारा फर्ज है कि वहां की जनता की घोषणा से इस सदन के माननीय सदस्यों को अवगत करायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

संक्षेप में बता दीजिये ।

श्री इन्द्रमणी—

वह प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"सृष्टि के आदिकाल ही वन हमारे सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के आधार रहे हैं । वनों की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्त्तव्य है और उनके द्वारा जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा वन उपजों से रोजगार पाने क अपने जन्म–सिद्ध अधिकार की हम घोषणा करते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संख्या ४२––वन

हमारी सुख-समद्धि के आधार वनों और हमारे बीच मधर सम्बन्ध हमेशा कायम रहें, इसके लिए यह आवश्यक है कि––

वन संपदा का पहला उपयोग वनों के निकट बसने वाली जनता के सख और समृद्धि के लिये होना चाहिये। इसके लिय दनिक आवश्यकता एवं ग्रामोद्योगों के काम में आने वाली वन उपजें सर्वसाधारण के लिए सुलभ हों तथा वनों से प्राप्त कच्चेमाल से वनों के निकट ही उद्योग स्थापित हों ।

वन उपजों की निकासी की ठेकेदारी प्रथा के स्थान पर स्थानीय वन श्रमिकों की सहकारी समितियां बनें ।

वनों के प्रति ज्ञान युक्त प्रेम पैदा करने के लिए वन प्रधान क्षेत्रों में हर स्तर की शिक्षा में वनस्पति और जीव विज्ञान की शिक्षा को समुचित स्थान मिले ।

आज के इस पवित्र दिन पर हम तिलाड़ी के 'वीर शहीद' का आदरपूर्वक स्मरण करते है और उनको श्रद्धान्जलि अर्पित करते हैं। उनका शांतिमय आन्दोलन और वीरतापूर्ण बलिदान हमें वन संपदा एवं वन सम्बन्धी मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सतत जागरूक और तत्पर रहने की प्रेरणा देता रहे। अत: हम यह दिन वन दिवस के रूप में मनाने का संकल्प करते हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को उन पर्वतीय जिले के लोगों की भावना से अवगत करा देना चाहता हूं । आर्य कमटी बनी, और कितनी ही कमेटियां बनीं लेकिन उनके अधिकारों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया । आज जहां ५० परसेंट जंगल हैं वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में सब से कम है । यह है आपकी जंगलात की नीति । अगर यह नीति सुनियोजित होती है तो यह कार्य सुन्दर ढंग से होता ।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप समाप्त करें ।

श्री इन्द्रमणी––

मान्यवर, जिस जंगल विभाग से सरकार को १२ करोड़ रुपये की आय होती है उसके लिये केवल आधे दिन का समय रखा गया । इसके लिये तो कम से कम दो, तीन दिन का समय रखा जाना चाहिये था । क्योंकि हमको बहुत कुछ इस सम्बन्ध में कहना था जो समयाभाव के कारण नहीं कह पाये इसलिये इसके विरोध में मैं ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री इन्द्रमणी सदन त्याग कर चल गये ।)

श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं बस्ती जिले में अपने क्षेत्र के बारे में बतलाना चाहता हूं कि उसका एक भाग जंगल बनाया गया है और कुटिया मुहाल के पास जहां पर कि छोटा मोटा क्षेत्र खेतिहर लोगों का था जहां छोटे-मोटे बाग थे, जंगल पड़ता था, जमीन पड़ती थी वहां पर आज सरकारी जंगल बनाय गये हैं जहां पर कि आज किसानों को कितने ही मुकदमें लड़ने पड़ रहे हैं और कितना पैसा खर्च होता है और सरकार का भी खर्चा हो रहा है । अगर आंकड़ा देखा जाय तो कोई उससे फायदा नहीं है हमारे यहां जंगल बनने से । उसमें हमारे किसानों की उपजाऊ जमीन पड़, बाग इत्यादि सरकारी जंगलात बनाकर हड़प ली गयी है । तो मेरा निवेदन है कि उस जमीन को छोड़ दिया जाय और ये जो सरकारी कर्मचारी हैं ये उन गरीब किसानों को फंसा रहे हैं और किसानों को बहुत कठिनाई है ....

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया ? आप बैठिये ।

श्री गोविन्द सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें कृपा करके । मैं और किसी को समय नहीं दे रहा हूं । क्योंकि अब समय नहीं रहा ।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर चाहे इधर के.....

मझे कितना समय देंगे, कम से कम ५ मिनट दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दो मिनट बोलें ।

*श्री गोविन्द्र सिंह—

मेरे कटौती के प्रस्ताव पर चाहे इधर के उधर क जिन माननीय सदस्यों ने भाषण दिया मैं उनका आभारी हूं । क्योंकि सरकारी बचों की तरफ से जिन माननीय सदस्यों न प्रस्ताव पर कहा है तो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सभी न समर्थन ही किया है । आज खुशी की बात है कि शासक दल क प्रतिनिधि इस विभाग क मंत्री मौजूद हैं । शासक दल ने समाजवाद क संबंध म कुछ फैसले किये थे, मैं उनकी याद दिलात हुए निवेदन करूंगा कि आप जसा दृष्टिकोण अपनाएं।

(इस समय ४ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

जब स्वाधीनता हुई तो हमने अपनी सरकार को आंकड़े प्रस्तुत किये कि किस तरह से वन सम्पदा को पूंजीपति लूट कर लिये जा रहे ह, किस तरह से लूट हो रही है । तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्राकृतिक सम्पदा की रक्षा करें । उद्योग धंध इन पहाड़ों के अन्दर खोलें ताकि एक नये जीवन का संचार हो सके । मान्यवर, मन यह भी बताने की कोशिश की है कि जो जंगल की रक्षा करते हैं उन किसानों को जंगल स कोई सुविधा नहीं मिलती है । अभी मंत्रीजी दौरे पर गये थे और उन्होंने देखा कि गढ़वाल के इलाके में आग लगने से २ करोड़ रुपये के लगभग का नुकसान हुआ है । उन जंगलों की रक्षा करन वाले जो कर्मचारी हैं वे जनता क रक्षक नहीं हैं बल्कि भक्षक हैं । अन्त में म इतना ही निवदन करूंगा कि हमारी खुशकिस्मती है कि बल्देव सिंह आर्य जी यहां सदन में मौजूद हैं और माननीय वन मंत्री जी भी बैठे हुये हैं । एक कमेटी आर्य जी की अध्यक्षता में बनी थी और उस पर हजारों रुपये खर्च किये गये थे । उसकी सिफारिशें आज भी अलमारियों म सड़ रही हैं । तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह वन मंत्रीजी को परामर्श दें कि उन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाय ।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार चाहे गिर या रहे, हमारा कटौती का प्रस्ताव पास हो या न हो, इसमें मुझे दिलचस्पी नहीं है जितनी दिलचस्पी इस बात पर है कि अगर माननीय वन मंत्रीजी जो प्रश्न हमन यहां पर उठाये हैं उन पर अमल कर सकें तो मैं समझता हूं कि कटौती का प्रस्ताव पास हो गया । इन शब्दों के साथ म इसका विरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अजित प्रताप सिंह––

अध्यक्ष महोदय मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि माननीय सदस्यों के सुझावों पर सरकार अच्छी तरह से विचार करेगी और जिनको हम कार्यान्वित कर सकते हैं उनको जरूर कार्यान्वित करेंगे। समय के अभाव से मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४२–वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,७४,४८,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लगातार घंटी बजने के संबंध में शिकायत

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)––

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, अभी मैं लाबी में गया तो इस ग्रान्ट के पूर्व जिसको आपने लिया है घंटी बज रही थी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि घंटी बजने के दो ही मौके होते हैं। एक तो जब कोरम नहीं होता है तब बजती है और या तो जब डिवीजन की डिमांड होती है तब बजती है। तो मैं जनाना चाहता हूं कि यह घंटी कैसे बज रही थी ?

श्री अध्यक्ष––

मुझे भी शक हो गया। यह घंटी विधान परिषद् की थी। शायद वहां पर कोरम नहीं था। दोनों घंटियों की आवाज में फर्क होना चाहिए। एक ही तरह की आवाज होने से लोगों को शंका हो जाती है और लोग दौड़कर आते हैं।

सरकारी कार्य-विधियों के विरुद्ध लेख लिखने व समाचार प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन न देने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष––

अब मैं आपके सामने जो प्रश्न आये हैं उनके बारे में सूचना दे दूं। एक तो नियम ५६ का है और वह है श्री कृष्णानन्द राय का जिसमें मुख्य मंत्री द्वारा सरकार की कार्यविधियों के विरुद्ध लिखे लेख व समाचार प्रकाशन करने वाले समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन न देने से संबंधित आदेश के बारे में। मैं कल इसको लूंगा। मुख्य मंत्री जी से मैं जानकारी हासिल करूंगा कि ऐसे कोई आर्डर्स हुए है या नहीं। अगर कोई पत्रों को वार्निंग दी गई है तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल करूंगा। कल निर्णय दूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर, जहां आप जानकरी हासिल करेंगे कृपया इस बात की भी जानकारी कर लें कि 'टाइम्स आफ इंडिया', 'नव भारत टाइम्स' आदि समाचार पत्रों का विज्ञापन क्या रोक दिया गया है ? श्रीमन्, 'आज' के संवाददाता और जागरण के संवाददाता को डिप्टी डाइरेक्टर इनफार्मेशन ने यह कह कर आतंकित किया है कि कलम रोकें वरना उनको विज्ञापन देना रोका जायगा ।

(कई सदस्यों ने शेम-शेम की आवाज लगाई ।)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

इनफार्मेशन डिपार्टमेंट को मुख्य मंत्री ने आदेश दिए हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । मैं सभी बात की जानकारी कर लूंगा ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ में आज १४ आये हैं और नियमानुसार मैं एक स्वीकार कर सकता हूं । अगर माननीय सदस्य कम दें तो अच्छा है । ५, ६, ७ से बढ़ते बढ़ते आज १४ तक हो गये हैं । मैंने जो स्वीकार किया है वह श्री रियासत हुसैन का है । यह कई दफा आगरे के बारे में कह चुके हैं । आगरे में क्रान्तिकारी हिन्दू युवक संगठन की गतिविधियों से संबंधित है जिसके कारण हिन्दू मुसलमान या अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लोगों में टक्कर हो सकती है । इसको मैंने स्वीकार कर लिया है ।

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय इस विषय पर यहां चर्चा करवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

वह नियम ५१ में आया है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, मैंने कार्यस्थगन का कल दिया था तो आपने हुक्म दिया कि उसको नियम ५१ में हम दें । तो हमने उसको दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

वह तो ५१ में आयेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

नियम ५१ के अतर्गत मैंने वह विषय दे रखा है ।

श्री अध्यक्ष--

वह आयेगा आपका । जो आपका आया था उसको मैंने दर्ज कर लिया है । जिसके लिये मैंने वादा किया था वह स्वीकार होगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, उसको आप जरा चेक कर लें । मैंने आपको दे रखा है, वह इस प्रकार है कि एक श्री के० बी० शुक्ला हैं यहां के राजकीय प्रशिक्षण सेवा में, जिनकी सन् १९६२ में जूनियर स्केल में भर्ती की गयी थी । यह पोस्ट पी० एस० सी० के अन्तर्गत आती है । तो सन् ६२ में इनका जो सलेक्शन हुआ और इनकी नियुक्ति हुई वह भी गैरकानूनी थी ।

श्री अध्यक्ष--

वह नियम ५१ में आयेगा। नियम के अनुसार आज तो मैं एक ही ले सकता हूं। मैं उसको देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)--

मैंने इलाहाबाद के सम्बन्ध में एक दिया था, उसका क्या हुआ ? वहां पर इस वक्त जो वाकयात चल रहे हैं, वहां हिन्दू महासभा की ओर से.....

श्री अध्यक्ष--

उसको मैंने उन कागजात के साथ शामिल कर लिया है। उसके ऊपर वक्तव्य में आ जायेगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

श्रीमन्, गोंडा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर नियम ५१ के अन्तर्गत ७ एम० एल० एज० के हस्ताक्षर हैं। उनकी शिकायत है कि वहां पर एक कालेज है जिसमें पिछली जुलाई में ३ लाख रुपये का गबन पकड़ा गया था। इसकी अहमियत को आप स्वयं समझ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

वह ठीक है, लेकिन आज मैं एक ही ले सकता हूं, दूसरा कैसे ले सकता हूं ? कल आप दे देंगे।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)--

श्रीमन्, मैंने सिंह आर्मरी बरेली के सम्बन्ध में एक नियम ५१ के अंतर्गत प्रश्न दिया है उसे अगर आप सरसरी तौर से पढ़ लेंगे तो उसे आप निश्चित रूप से स्वीकार कर लेंगे। यह बड़ी गम्भीर घटना है।

श्री अध्यक्ष--

आज तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)--

श्रीमन्, वह इस प्रकार से है :--दिसम्बर, १९६९ को सिंह आर्मरी बरेली का निरीक्षण सिटी मैजिस्ट्रेट बरेली के द्वारा किया गया।

(१) एक रायफल कोर्ट की कमी पाई गयी।

(२) एक बन्दूक बगैर नम्बर के पकड़ी गयी।

(३) मरम्मत का लाइसेंस नहीं होने पर भी दूकान पर मरम्मत हो रही थी।

जिलाधीश, बरेली ने सिंह आर्मरी का लाइसेन्स समाप्त करने की संस्तुति सरकार से कर दी है तथा दूकान बन्द करवा दी थी।

सरकार के एक उप-मंत्री के सम्बन्धी का सिंह आर्मरी के नाम से बन्दूकों की दूकान का लाइसेंस है।

अब सरकार से उक्त (सिंह आर्मरी) को ६ माह तक अपने हथियार बेचने की आज्ञा दे दी गयी है।

[श्री भानुप्रताप सिंह बरेली]

इस कारण से बरेली के तमाम हथियार विक्रेताओं और जनता में अत्यन्त रोष व्याप्त है। अतः हम नियम ५१ के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं।"

श्री अध्यक्ष---

लेकिन मैं एक ही स्वीकार कर सकता हूं। श्री बांकेलाल जी, आपको क्या कहना है?

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है.....

श्री अध्यक्ष---

आप उनको बोलने तो दीजिये। कृपा करके आप बैठें।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय दिनांक २४-४-७० को ८ बजे रात को डी० वाई० एस० पी० श्री टंडन का परिवार सरकारी जीप का दुरुपयोग कर रहा था। तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता श्री धीरेन्द्र सहाय के नेतृत्व में नागरिकों के एक समूह ने अहिंसक ढंग से धरना देकर उसे रोकने का प्रयास किया। उसके बाद बदले की भावना से प्रेरित होकर बदला लेने के लिये श्री टंडन ने पुलिस की साजिश से श्री धीरेन्द्र सहाय के विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम करके १२-५-७० को गिरफ्तार करा लिया है। इस गिरफ्तारी से सारे जनपद एवं संसोपा कार्यकर्ताओं में तथा जागरूक नागरिकों में रोष का वातावरण व्याप्त हो गया है और जनता प्रति दिन इसके विरोध में सत्याग्रह कर रही है। अब तक इस सम्बन्ध में १७४ सत्याग्रही गिरफ्तार कर जेल भेजे गये हैं। स्थिति काफी भयावह हो रही है। अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट कर वक्तव्य की मांग करता हूं।

यह वक्तव्य दिया था। मैं तो शान्तिपूर्वक रहता हूं। अगर आप इसको दफा ५१ में स्वीकार कर लेते तो अच्छा था। यह बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष---

मैं भी शान्तिपूर्वक कहता हूं कि मैं केवल एक ही स्वीकार कर सकता हूं और आज तो एक के बजाय दो हो गये हैं।

श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)---

मैंने भी दफा ५१ में एक कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। छात्र अनशन कर रहे हैं। कल आपने आचार्य जी के कहने पर उसको स्वीकार किया था और उसके लिये शायद कोई लम्बी डेट मुकर्रर की थी। जब कोई अनशन चल रहा तो हो सकता है कि कोई ऐसी घटना न घटित हो जाय जो अशोभनीय हो जो हमारे प्रदेश के लिये, सरकार के लिये, विधान सभा के लिए शर्मनाक हो। आपको एक या दो दिन में वक्तव्य दिलवा देना चाहिये। इसके लिये आप कोई जल्दी की तिथि तय कर दें।

श्री अध्यक्ष---

मैंने उससे भी अच्छा ढंग किया है। मैंने तो यह कहा था कि इस पर तो चर्चा चलती ही रहेगी और मैं इसको ५२ में स्वीकार करने वाला हूं अगर इसके लिये जोर पड़ा। मैं ५२ में स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। साथ ही मैंने यह तय किया है कि माननीय मंत्री जी तथा आचार्य जी आदि मेरे कमरे में आ जायें और धर्मदत्त वैद्य जी से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वह

भी कल साढ़े ३ बजे मेरे कमरे में आ जायें। वहां पर बात-चीत होकर उसके लिये कोई हल निकालने के लिये प्रयास किया जाय और अगर कोई हल नहीं निकलता है तो मैं उसको ५१ के बजाय ५२ में ले लूंगा ।

एक सदस्य--

दफा ५१ में जो प्रश्न खारिज हो जाते हैं तो क्या उसके लिये जरूरी है कि तफसील में उसका जवाब दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने १५ या २० मिनट हो हल्ला के लिये दे दिये हैं । अगर कोई एक-एक करके प्रश्न करता है तो मैं जवाब देता हूं और अगर एक साथ सभी बोल उठते हैं तो मैं चुपचाप बैठ जाता हूं ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--

हमारे मित्र माननीय वैद्य जी यहां पर मौजूद हैं और वह कल नहीं थे । मैं चाहूंगा कि यह मामला काफी जटिल बन गया है और सबसे ज्यादा अनुचित बात तो यह है कि जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दे दिया था कि एक महीने में इस पर विचार करेंगे कि कहां-कहां किस किस केंद्र से आयुर्वेद की परीक्षायें ले ली जाएं और वह अब तक नहीं हुआ है । माननीय वैद्य जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से यह कह दिया जाय कि वह इस प्रश्न को कल अवश्य ले लें ; यदि संभव हो सके तो ।

श्री अध्यक्ष--

कल भी आपने यह कहा था और इसके पूर्व भी यह आ चुका है । उससे पहले नियम ५१ में प्रश्न उपस्थित हुआ और पहले वक्तव्य हुआ और फिर प्रश्नोत्तर हुआ । इसका हल निकालने के लिये मैं समझता हूं कि कल यह प्रयत्न हो कि कल आप साढ़े ३ बजे मेरे कमरे में आ जाएं तब वहां पर परामर्श कर लिया जाय । इसलिये आप कल मेरे कमरे में आने की कृपा करें।

आप कृपा कर साढ़े तीन बजे कल मेरे कमरे में आ जाएं ।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री धर्मदत्त)--

सायंकाल पांच बजे का समय रख लें तो ठीक होगा ।

श्री अध्यक्ष--

पांच बजे तो यहां काम होता है । बात यह है कि बहुत से लोग कल बाहर चले जायेंगे क्योंकि दो रोज की छुट्टी है ।

श्री धर्मदत्त--

चार बजे रख लें ।

श्री अध्यक्ष--

चार बजे ठीक है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मैंने एक दफा ५१ का दिया था कि बाढ़ से कटे हुए लोग बलिया के बसाए गये थे । दूसरे दिन कुछ गांव वाले भाला, बल्लम, लाठी लेकर आए और जो ८० परिवार बसाए गए थे उनको उजाड़ ही नहीं डाला बल्कि लूट भी लिया, और अधिकारी लोग कान में तेल डाले बैठे हैं । अगर आप एक ही स्वीकार कर सकते हैं तो इसे सरकार के पास भेज दें और सरकार आवश्यक कार्यवाही करे और मुझे भी सूचना दे दे ।

श्री अध्यक्ष—

आप साढ़े दस, ग्यारह बजे सूचना मुझे दे दें तो मैं दफ्तर से सरकार के पास भिजवा दूंगा।

विभिन्न समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—

अब मैं समितियों के निर्वाचन के संबंध में एक सूचना देना चाहता हूं। १९७०–७१ की लोक लेखा समिति के लिये २१ सदस्य, प्राक्कलन समिति के लिये २५ सदस्य तथा मंत्रियों को परामर्श देने के लिये २५ स्थायी समितियों में प्रत्येक में १६–१६ सदस्यों के निर्वाचन के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है—

(१) नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय—२४ जून, १९७० के सायंकाल ४ बजे तक।

(२) नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा—२६ जून, १९७० को ३ बजे सचिव, विधान सभा के कमरे में।

(३) नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय–३० जून, १९७० के सायंकाल ४ बजे तक।

(४) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान विधान मण्डल पुस्तकालय में दिनांक २ जुलाई, १९७० को १० बजे पूर्वाह्न से लेकर ४ बजे अपराह्न तक होगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, कल मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न भेजा था। आपने कहा था चूंकि बयान से संबंधित है इसलिये देख कर निर्णय दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब यह तो कल लिये जायेंगे। मैंने एनाउन्स कर दिया था। श्री मैनेजर सिंह ने यह प्रश्न उठाया था। अब खाद्य मंत्री जी का वक्तव्य होगा।

प्रदेश में चावल तथा धान के संचरण पर प्रतिबन्ध के विषय में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

खाद्य मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में चावल तथा धान के संचरण पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध उनके सम्मुख अंकित आदेशों द्वारा लगाये गये हैं :—

१—(क) प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले को रेल, ट्रक या अन्य किसी यांत्रिक परिवहन द्वारा बिना परमिट चावल के वहन पर प्रतिबन्ध है। [उत्तर प्रदेश धान तथा चावल (वहन पर निर्बन्धन) आदेश, १९६७ के अन्तर्गत]

(ख) निर्दिष्ट ब्लाक के बाहर बिना परमिट धान के संचरण पर प्रतिबन्ध है [उत्तर प्रदेश धान तथा चावल (वहन पर निर्बन्धन) आदेश, १९६७ के अन्तर्गत] कोई भी वास्तविक यात्री ४० किलोग्राम धान तथा चावल अपने माल असबाव क भाग के रूप में बिना किसी परमिट के (अन्य प्रदेशों से आसन्न उत्तर प्रदेश की सीमा की ५ मील की पट्टी को छोड़कर) वहन कर सकता है। ऊपर (ख) में इंगित प्रतिबन्ध उत्पादन के स्थान से समीपस्थ मण्डी तक धान के संचरण पर नहीं लागू होगा।

२—उत्तर प्रदेश की सीमा से आसन्न ५ मील की पट्टी के बाहर किसी स्थान से उक्त पट्टी में स्थित किसी स्थान को तथा उक्त पट्टी में स्थित किसी स्थान से उक्त पट्टी के ही भीतर स्थित किसी अन्य स्थान को बिना परमिट चावल धान और उनके उत्पादकों के संचरण पर प्रतिबन्ध है [दि उत्तर प्रदेश फूडग्रेन्स (रेस्ट्रिक्शन्स आन बोर्डर मूवमेंट) आर्डर, १९६९ के अन्तर्गत]

परन्तु उक्त ५ मील की पट्टी का कोई वास्तविक निवासी अपने घरेलू उपयोग के लिये एक समय में दो क्विन्टल तक धान, चावल तथा उनके उत्पाद बिना किसी प्रतिबन्ध केला ले जा सकता है। उक्त ५ मील की पट्टी में स्थित किसी ग्राम से समीपस्थ मण्डी तक, चाहे वह उक्त पट्टी के भीतर हो अथवा बाहर हो, उक्त वस्तुओं के वहन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कोई वास्तविक यात्री भी अपने माल असबाब के भाग के रूप में ५ किलोग्राम तक धान, चावल या उनके उत्पाद उक्त पट्टी में बिना किसी प्रतिबन्ध के वहन कर सकता है ५ मील की पट्टी में वहन पर लगे प्रतिबन्ध देहरादून जिले में चोहरपुर बाजार तथा बलिया जिल में बलिया को उक्त पट्टी के बाहर स्थित स्थानों से चावल/धान तथा उनके उत्पादों के वहन पर नहीं लागू है।

निर्दिष्ट ब्लाकों के बाहर धान के वहन तथा एक जिले से दूसरे जिले को चावल के वहन पर प्रतिबन्ध लगाना चावल की उगाही के लिये अत्यन्त आवश्यक है। यदि किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होगा तो बिना लेवी दिये व्यापारी अपना चावल अन्य स्थानों को भेज देंगे तथा उनसे वसूली करना शासन के लिए एक समस्या हो जावेगी यह कहना सत्य नहीं है कि उक्त प्रतिबन्धों के कारण उपभोक्ताओं और उत्पादकों को कोई कठिनाई है। कोई भी व्यापारी निर्धारित लेवी देने के बाद अपना बचा हुआ चावल सक्षम अधिकारी से परमिट लेकर प्रदेश में कही भी भेज सकता है। परमिट सुगमता पूर्वक दिये जाते हैं। परन्तु सीमावर्ती क्षेत्रों तथा मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बलिया तथा देवरिया के सीमावर्ती जिलों के लिये धान तथा चावल के वहन के परमिट केवल क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक तथा उप क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक बरेली तथा आगरा तथा लखनऊ, कानपुर और मेरठ क्षेत्र में क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक की मुख्यालय पर अनुपस्थिति के समय उनके द्वारा प्रधिकृत किये जाने पर उप क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक द्वारा दिये जाने के आदेश दिये गये थे क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगे हुए अन्य प्रदेशों में चावल का भाव ऊंचा था और चोर गुजारी की संभावनाएं काफी अधिक थीं। साथ ही जनवरी, १९७० में देवरिया में एक साथ लगभग १५० (एक सौ पचास) वैगन चावल पहुंच गया था जो कि वहां की आवश्यकता से बहुत अधिक था। ऐसा विश्वास था कि उक्त चावल बिहार को तस्करी के लिये वहां लाया गया था।

उत्तर प्रदेश की अपेक्षा बिहार में इस समय चावल के भाव १५–२० रु० प्रति कुन्टल अधिक है। इसके अतिरिक्त बिहार में अन्य प्रदेशों और नैपाल से आयात किये हुए चावल पर कोई लेवी न लिये जाने तथा चावल तथा धान के वहन पर लगे सभी प्रतिबन्ध हटा लेने के आदेश सरकार ने अभी हाल ही में दिये हैं। इसके कारण राज्य के पूर्वी जिलों से बिहार को चावल की तस्करी में प्रोत्साहन मिलगा। इस कारण भी चावल तथा धान के वहन पर लगे हुए प्रतिबन्धों को हटाना उचित नहीं प्रतीत होता है।

देवरिया जिले में चावल के मूल्य में वृद्धि की बात भी सही नहीं है। देवरिया के समीप अन्य जिलों जैसे गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी, गोंडा आदि में चावल के मूल्य लगभग समान हैं जैसा कि नीच की तालिका से स्पष्ट है।

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

दिनांक		बाजार		मूल्य
मई १५, १९७०	..	देवरिया	..	१३५–००
मई १८, १९७०	..	वाराणसी	..	१३५–००
मई १६, १९७०	..	बस्ती	..	१४०–००
मई १८, १९७०	..	गोरखपुर	..	१३५–००
मई १८, १९७०	..	गोंडा	..	१३३–००

देवरिया में चावल की कमी की बात भी तथ्यों से परे है। खाद्य विभाग के गोदामों तथा सस्ते गल्ले की दुकानों में चावल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। खाद्य विभाग के अधिकारी पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के संबंध में सदैव सतर्क रहते हैं। अभी हाल में ही क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक गोरखपुर नें देवरिया जिले में, विशेष कर तमकुही क्षेत्र में खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ा दी है। अतः देवरिया में चावल की कोई कमी नहीं है।

यह कहना निराधार है कि उत्तर प्रदेश से चावल नैपाल होकर चीन जाता है। विपरीत इसके जो व्यापारी उत्तर प्रदेश और नैपाल दोनों में काम करते हैं सदैव इस प्रयत्न में रहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चावल नैपाल का बता कर बिहार ले जाने के लिये उन्हें ट्रांजिट परमिट मिल जाय। क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक गोरखपुर और लखनऊ को आदेश है कि नैपाली खाद्यानों के उत्तर प्रदेश से होकर अन्य राज्यों को ले जाने के लिये ट्रांजिट परमिट देते समय तदर्थ प्रार्थना पत्रों की सावधानी पूर्वक जांच करें और केवल उसी चावल के अन्य प्रदेशों में ले जाने के लिये ट्रांजिट परमिट दें जो वास्तव में नैपाल का ही हो।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)––

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी बतायेंगे कि क्या कारण है कि जहां तक गेहूं का प्रश्न है उस पर तो एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने पर कोई रोक नहीं है और पंजाब और इस प्रदेश के बीच में भी गेंहूं पर कोई रोक नहीं है लेकिन चावल की फसल जो अपने यहां काफी अच्छी होती है तो उस पर एक जिले से दूसरे जिले तक लाने ले जाने पर रोक क्यों है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

अध्यक्ष महोदय, हमारे सूबे में कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां चावल की खपत बहुत है, दूसरे कहीं अधिक वर्षा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है तो उन इलाकों के लिये खाद्य विभाग को स्टाक की आवश्यकता होती है। उन स्टाक्स को सुरक्षित बनाये रखने के लिये यह जरूरी है कि हम प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले को चावल ले जाने पर रोक लगायें जिससे हम स्टाक अपने ठीक से बना सकें और आवश्यकता पड़ने पर लोगों को चावल पहुंचा सकें।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)––

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि अभी आपके उत्तर से साबित हो रहा है कि गोरखपुर डिवीजन में चावल की कमी के कारण २१ जनवरी को सरकार ने आदेश दिये कि लेवी मिल मालिकों से तो ३० प्रतिशत ली जायेगी और दूसरे लोगों ६० प्रतिशत ली जायेगी, तो लेवी ३० प्रतिशत की सस्ती दुकानों पर नहीं देंगे और व्यापारी तस्करी इधर-उधर करें, यह कारण है या नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

गोरखपुर रीजन में जो यह लेवी का प्रतिशत कम रखा गया है उसका एकमात्र कारण यह है कि उस क्षेत्र में चावल की खपत ज्यादा है, लोग सुबह शाम चावल खाते हैं इसलिये उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो इसलिये ही वहां लेवी कम लगाई गई है ताकि आसानी से लोगों को चावल मिल सके।

श्री दीप नारायण मणि (जिला देवरिया)--

उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि देवरिया में चावल की कमी नहीं थी जनवरी में लेकिन जनवरी से मई तक बन्द कर दिया गया था और देवरिया का भाव १३५ रुपया प्रति क्विन्टल बताया है लेकिन वहां भाव १५० रु० का हो गया था तो क्या मंत्री जी ने इस वक्त की स्थिति को देखकर चावल लाने के कोई आदेश दिये हैं देवरिया के लिये या कुछ करने जा रहे हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैंने अपने वक्तव्य में निवेदन किया है कि देवरिया में जितनी सरकारी राशन की दुकानें हैं देहात में और शहर में उन सब में चावल उपलब्ध है और कोई भी व्यक्ति परमिट से चावल ले जा सकता है, वहां चावल की कोई कमी नहीं है और दुकानों से लोगों को बराबर चावल मिल रहा है। वहां के स्थानीय लोगों की इस प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि देवरिया में चावल की कमी नहीं है। क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष देवरिया में कितने धान का उत्पादन हुआ और कितना प्रति वर्ष होता है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

श्रीमन्, इसके बारे में मुझे नोटिस नहीं मिली थी। अगर नोटिस मिली होती तो मैं इसकी सूचना भी माननीय सदस्य को दे देता।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वे व्यापारी जो उत्तर प्रदेश और नैपाल में दोनों पर चावल का व्यापार करते हैं, बरेली, पीलीभीत, और लखीमपुर खीरी से कौडियालाघाट और दूसरे महेन्द्र नगर की चौकियों से जहां पर नेपाल जाने के रास्ते हैं, चावल उस ओर को भेजा जाता है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जो लोग नैपाल में भी व्यवसाय करते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में भी वे नेपाल से चावल को दूसरे प्रदेशों को भेजने के लिये हमारी भूमि में से होकर ले जाते हैं। इसलिये उनको ट्रांजिट परमिट की आवश्यकता होती है। ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां से नैपाल का चावल हमारे प्रदेश में से होकर बिहार या अन्य प्रदेशों को जाय। यह बात तो मैंने अपने वक्तव्य में भी स्वीकार की है।

श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

बिहार को जाता हो या नैपाल को जाता हो। क्या इस संबंध में भारत सरकार से वार्ता करने के बाद ऐसे व्यापारियों पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश देंगे जिससे इन व्यापारियों को इस प्रकार का व्यापार करने का अवसर न मिल सके ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

अगर कोई व्यापारी नैपाल का चावल किसी प्रदेश में ले जाता है तो उस पर हम प्रतिबन्ध किस प्रकार लगा सकते हैं। हमारे प्रदेश में होकर जायगा तो हम छानबीन करेंगे। हमारा स्टाफ जो बार्डर पर है वह देखेगा कि अगर कोई व्यापारी दरख्वास्त देगा तो छानबीन होती है। उसके बाद उसको ट्रांजिट परमिट लेना होता है। वैसे नहीं ले जा सकता है।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि देवरिया जिले में १५० वैगन चावल पहुंच गया था तो वह किन-किन जिलों में से एक्सपोर्ट किया गया था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

यह चावल तो कहीं बाहर से पहुंचा। वहां पर उसको व्यापारी ले गये। उस समय यह समझा गया कि शायद यह चावल तसकरी के लिये वहां लाया गया था। फिर भी उसे वहां पर रुकवा लिया गया है वह बाहर नहीं ले जाने दिया जायगा।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायन सिंह (जिला देवरिया)--

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि देवरिया जिले में चावल की कमी नहीं है। क्या उनको जानकारी है कि जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, वे केवल शहरी इलाकों में हैं, गांवों में चावल कैसे पहुंचता है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

यह बात ठीक है कि सस्ते गल्ले की दुकानें अधिकतर शहरों में हैं लेकिन कुछ दुकानें उन क्षेत्रों में भी है जो सूखा ग्रस्त हैं या बाढ़ पीड़ित हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि देवरिया जिले में राशन की कुल कितनी दूकानें देहात में चल रही हैं और कितनी शहर में हैं और इसी प्रकार गोरखपुर जिले में दहात में कितनी दूकानें चल रही हैं और शहर में कितनी चल रही हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

अध्यक्ष महोदय, यह बात पहले पूछी नहीं गई थी। नहीं तो ये आंकड़े भी प्रस्तुत कर सकता था । माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो वह भी बता देंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जो चावल के एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने की पाबन्दी है उसका असर यह हो रहा है कि पूर्व के जिलों के काश्तकार पनप नहीं पा रहे हैं।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जी नहीं, ऐसी कोई इत्तिला सरकार को नहीं है कि उससे वहां के उत्पादकों को या वहां के रहने वालों को जो कन्ज्यूमर्स हैं उनको कोई असुविधा हमारे इस प्रतिबन्ध से हो रही है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

मैं यह जानना चाहता था कि यह देखते हुए...

श्री कल्पनाथ सिंह---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

(श्री चेतराम गंगवार को संकेत करते हुए) आप बैठें।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जहां तक मैंने सुना मंत्री जी ने यह कहा कि देवरिया जिले में शहर और दहात में राशन की दूकानें हैं और गल्ला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और चावल का

विशेषकर जिक्र किया। अब जब मैं यह पूछता हूं कि राशन की कुल कितनी दूकानें सरकार की हैं तो कहते हैं कि इसका नोटिस नहीं है। अगर इसका नोटिस नहीं था तो इन्होंने इस बात का कैसे जिक्र किया कि देवरिया जिले में देहात में और शहर में राशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मैं इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह सरकार की गलत बयानी नहीं है और जानबूझ कर यह तथ्यों को छिपाने का प्रयास नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। उनको यह मालूम नहीं है कि कितनी दूकानें हैं। उनको यही मालूम है कि पर्याप्त मात्रा में राशन है।

श्री चेतराम गंगवार--

यह देखते हुए कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में चावल के अलग-अलग रेट्स हैं। बरेली में बासमती का चावल १०० रुपये क्विंटल बिक रहा है और लखनऊ में २५० से ३०० रु० क्विंटल बिक रहा है। उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हित को ध्यान में रखते हुए चावल की जो क्षेत्रीयता है उसको समाप्त करेंगे जिससे चावल पूरे प्रदेश में जा सके?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है उस प्रतिबन्ध को हटाने के लिये।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मंत्री जी ने जैसा वक्तव्य में कहा है कि जो जिले चावल और धान के सरप्लस पैदावार के हैं उनसे दूसरे जिलों में ले जाने में इसलिये प्रतिबन्ध लगा है कि सरकार को अपने गोदामों में खरीदने के लिये स्टाक करना पड़ रहा है। तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसमें सरप्लस जिलों के पैदा करने वाले किसानों के इन्टरेस्ट में सरकार डायरेक्ट परचेज का प्रबन्ध कर रही है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जितने भी चाहे सरप्लस डिस्ट्रिक्ट्स हों अलग-अलग जिलों में धान के उत्पादन की अलग-अलग स्थिति है। उस प्रतिबन्ध को जो लगाया गया है सरकार की ओर से उसको हटाने का कोई इरादा नहीं है। अगर उसको हटाया गया तो उससे प्रदेश में जो बड़े व्यापारी हैं उनके द्वारा सारा चावल बाहर चला जायेगा। यहां के लोगों को चावल के लिये परेशानी हो जायेगी। इसलिये सरकार इस प्रतिबन्ध को बराबर कायम रखना चाहती है।

एक सदस्य--

अब अगला काम लीजिये, बहुत सवाल हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष--

इसमें आधा घंटे की बहस होती है।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि इस प्रदेश में बहुत से लोग अवैधानिक ढंग से चावल एक स्थान से दूसर स्थान पर ले जाकर बेंचते पकड़े गये हैं, यदि हां, तो क्या सरकार उत्पादकों और उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये नियमों में कुछ ढिलाई करेंगे?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ढिलाई करने का कोई इरादा नहीं है।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायन सिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि नाव के द्वारा बहुत सा चावल नैपाल जाते हुए पकड़ा गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

यह सूचना नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

जो सरप्लस जिले हैं वहां के किसानों के इन्टरेस्ट को देखते हुये क्या सरकार डाइरेक्ट परचेज करने पर विचार करेगी जिससे पैदा करने वालों को भी फायदा हो ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

डायरेक्ट परचेज करने का प्रश्न नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, रेलगाड़ी या मोटरगाड़ियों आदि जितने यान्त्रिक परिवहन हैं उनसे चावल ले जाने पर रोक है, मगर क्या मंत्री जी को इस बात की भी जानकारी है कि हजारों बैलगाड़ियों द्वारा, जिस पर कि कोई रोक नहीं है, हजारों मन चावल नैपाल के रास्ते चीन चला जाता है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

माननीय सदस्य जो शिकायत कर रहे हैं उसकी छानबीन करायेंगे, अगर ऐसा होगा तो उस पर भी रोक लगायेंगे ।

श्री रामकुमार शास्त्री--

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि हमारे यहां का बहुत सा चावल नैपाल जाता है जहां पर कस्टम ड्यूटी लगा कर और यह कह कर कि वह नैपाल का चावल है, वहां बेचा जाता है जिसके कारण गोंडा में चावल के भाव बहुत बढ़ गये हैं और वह १४० रुपये तक पहुंच गये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

इसकी जानकारी नहीं है। अगर माननीय सदस्य की यह सूचना सही है तो इसकी जांच करा लेंगे ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायन सिंह--

जो भाव मंत्री जी ने बताये हैं देवरिया, गोरखपुर आदि में उनके आधार क्या हैं जिसके आधार पर यह भाव बताये गये हैं ?

मुझे जानकारी है कि अपने पडरौना क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में चावल २३० रुपया प्रति क्विंटल बिक रहा है और गोरखपुर में भी वही हालत है, तो इसमें यहां पर १३५ रुपये का भाव देने का क्या आधार है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मेरे पास जो सूचना है, वह मैंने माननीय सदस्यों को बता दी, अब जो उनकी शिकायत है उसकी मैं जांच करने की कोशिश करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस प्रश्न से सीधा सम्बन्ध किसानों, मजदूरों और उपभोक्ताओं का है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इसके अलग-अलग रेट्स हैं। यह सरकार इसलिये बनी है कि इससे जनता को रिलीफ मिले, किन्तु सरकार जानबूझकर किसानों को कम

भाव दिलवा रही है और उपभोक्ताओं को ज्यादा मूल्य पर दिला रही है । तो आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि सरकार इसके लिए दोषी है या नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या सरकार के पास इस प्रकार की सूचना है कि नैपाल के कितने और किन व्यापारियों ने सरकार से इस प्रकार के परमिट मांगे हैं, कि उनको प्रदेश के बाहर चावल ले जाने की अनुमति दी जाए और किस किस स्टेशन से ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

इसकी सूचना नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

तो आपने बयान किस आधार पर दिया ? आपने लिखा है कि व्यापारी इस प्रयत्न में रहते हैं कि प्रदेश का चावल नैपाल का बता कर बिहार ले जाने के लिए उन्हें ट्रांजिट परमिट दिया जाए। आपने बताया है कि व्यापारी छूट मांगते हैं।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैंने यह निवेदन किया कि जो नैपाल का चावल दूसरे प्रदेशों को ले जाते हैं, उनको सिर्फ ट्रांजिट परमिट देने की व्यवस्था प्रदेश की सरकार ने की है और इसकी सूचना नहीं है कि कितने ट्रांजिट परमिट अब तक दिये गये हैं।

श्री दीपनारायण मणि--

देवरिया में, जो इस वक्त चावल लाने के लिए प्रतिबन्ध है तो वहां २ से ढाई सौ रुपया तक का भाव है किन्तु माननीय मंत्री ने स्टेटमेंट किस आधार पर दिया है कि १३५ रुपये प्रति क्विंटल का भाव है ? क्या उसकी जांच कराने की व्यवस्था करेंग ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मेरी सूचना के आधार पर १३५ रु० प्रति क्विंटल का भाव है। लेकिन यदि माननीय सदस्य की सूचना सही है तो उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

इस बात को देखते हुए कि इन नियमों के होते हुए भी अनाज के बड़े-बड़े व्यापारी उनका उल्लंघन कर रहे हैं, सरकार पूरे अनाज व्यापार को अपने हाथ में लेने की बात सोच रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह तो १० सूत्री कार्यक्रम में शामिल है। सरकार इससे इंकार कैसे करती है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि गेहूं हिन्दुस्तान में केवल पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, फिर भी उसके लिए आपको अपना स्टाक बनाने की आवश्यकता

[श्री कृष्णानन्द राय]

होती है, लेकिन गेहूं पर कहीं किसी प्रकार की रोक नहीं है, किन्तु चावल जो कि सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा व आसाम आदि में पैदा होता है यानी चारों तरफ सारे हिन्दुस्तान में होता है। क्या कारण है कि चावल का स्टाक बनाने के लिए चावल पर जिले-जिले में रोक लगा दिया है, और गेहूं पर नहीं लगाया है इस पर विचार करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

समय आने पर अवश्य विचार होगा।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्रीजी ने तमाम प्रतिबन्ध लगाने के दो कारण बताये। पहला यह कि दूसरे प्रदेशों में चला जाता है। दूसरे उगाही करनी पड़ती है। मैं जानना चाहता हूं कि सीमा पर चेक पोस्ट बनी है, तो एक जिले से दूसरे जिले में प्रति बन्ध हटाने में क्या कठिनाई है और सरकार को खुले बाजार से अपने गोदाम के लिये गल्ला खरीदने में क्या कठिनाई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अगर यह प्रतिबन्ध हटा दिये जांय तो जो व्यापारी हैं बड़ी मात्रा में खरीद करके दूसरे प्रदेशों को ले जा सकते हैं। उससे हमारे प्रदेश में चावल की कमी हो जावेगी।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

श्री जायसवाल।

श्री रामधारी शास्त्री—

जवाब नहीं आया।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

मंत्री महोदय ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में चावल चला जायगा इस नाते से यह प्रतिबन्ध हटाने में कठिनाई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यदि प्रदेश से बाहर जाने का प्रतिबन्ध कायम रखा जाय तो वह उत्तर प्रदेश से बिहार को, बंगाल को, दिल्ली को नहीं जायगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिलों के भीतर जो प्रतिबन्ध है अगर हटा दिया जायगा तो उससे दूसरे प्रदेश में जाता नहीं। मेरा प्रश्न यह है कि उसमें मंत्री महोदय को क्या कठिनाई है क्योंकि इस प्रतिबन्ध के कारण भ्रष्टाचार पनप रहा है....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न पूंछिये आप।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्षेत्रीय प्रबिबन्ध से जब कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है तो उसको हटाने में क्या परेशानी है और हटायेंगे तो कब तक हटायें ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री हर नरायन (जिला पीलीभीत)—

चावल का प्रतिबन्ध जब एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिये लगा हुआ है क्योंकि उपभोक्ताओं को यह चावल देना है तो क्या सरकार चावल के राशन की व्यवस्था किसानों के लिये भी करेगी जिनको चावल उपलब्ध नहीं है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य- –

जो किसान चावल पैदा करते हैं उसमें से कुछ तो वह बाजार को देते हैं कुछ फैक्ट्रीज को जो उसको बनाती हैं। उनको तो कुछ कठिनाई है नहीं लेकिन अगर आवश्यकता होगी किसी जगह तो उन्हें भी चावल दिया जायगा ।

(समाप्त)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन*

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक, को २१ मार्च को विधान सभा ने पास किया था लेकिन १ मार्च को विधान परिषद् का सत्रावसान हो गया अतः मंत्रि परिषद् के निर्णय के अनुसार विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को तुरन्त प्रभावी करने के उद्देश्य से उक्त विधेयक को २३ मार्च, १९७० को प्रस्थापित कर दिया गया। विधान परिषद् का जब नया सत्र आया तो ८ मार्च, ७० को विधान परिषद् में उक्त विधेयक को प्रस्तुत किया गया। चूंकि विधान सभा से पारित होने के उपरान्त विधेयक के प्राविधानों को अध्यादेश द्वारा प्रभावी कर दिया गया था अतः अध्यादेश को निरसित करने के लिये विधेयक में कुछ परिवर्तन नितान्त आवश्यक हो गये थे और ये संशोधन बहुत साधारण हैं जिन पर यह सदन विचार करे। एक संशोधन तो यह था कि २३ मार्च से इसे प्रभावी समझा जाय। दूसरे मूल अधिनियम के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसका प्राविधान किया गया। तीसरे राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिनियम में शोधन की विज्ञप्तियां विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष १४ दिन तक रखी जायंगी और विधान मंडल द्वारा विज्ञप्तियों में किये गये संशोधनों के अधीन प्रभावी होंगी।

श्री अध्यक्ष--

१ घंटे में इसे समाप्त करना है। इसलिये माननीय सदस्य ५, ५ मिनट ही बोलेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

इसमें समय बांधने की क्या जरूरत है? सारी जिला परिषदें खत्म कर दी गयी हैं...

श्री अध्यक्ष--

आपने ही समय पास किया है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह सरकार बिना विचार बिल ले आई है और यहां बहुमत के बल पर पास करा लिया लेकिन परिषद् ने उसे संशोधित कर दिया। इसे वापस ले लिया जाय ताकि जिला परिषदें फिर पुनर्जीवित की जायं। लिहाजा इस पर पूरे तौर से विचार किया जाय।

---

*१२ मार्च, १९७० की कार्यवाही में छपे हैं।

श्री अध्यक्ष---

सदन ने कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा किया हुआ निर्णय पास कर दिया है कि १ घंटे में उसे समाप्त करना है और सदन के निर्णय का सबको पालन करना है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, फिर से आप सदन की आज्ञा ले लीजिये सरकारी पक्ष से भी पूछ लीजिये क्योंकि मैं समझता हूं कि अभी इसमें बहुत-सी गलतियां हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप कोई नया तरीका इसके लिये न निकालें। सदन ने जो पास कर दिया उसके अनुसार ही काम होना चाहिए।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जिस ढंग से पंचायत राज मंत्री जी ने इस बिल को रखा है और यह कहा है कि यह एक साधारण प्रस्ताव है। तो अध्यक्ष महोदय, यह सरकार हमेशा की आदी रही है कि किसी भी बिल को जल्दी में पास करा लेती है और कहती है कि इसको पास कर लिया जाय। यह कोई योग्यता की बात नहीं है। पहले इस बिल के अमेंडमेंट में जिलाधीशों को यह अधिकार दिया गया था कि जिलाधीश एक कमेटी बनायेंगे जिससे कि जिला परिषदों का कार्य संचालन होगा। जिलाधीशों को यह अधिकार देकर सरकार अपने हाथ में उसका संचालन करना चाहती है। इसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है और इसी प्रकार का संशोधन है। तो यह चालाकी वाला प्रस्ताव जो इस सदन में पास कराया जा रहा है वह एक गम्भीर प्रश्न है और इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए जिला परिषदों को इस नाते से भंग कर दिया गया है कि राज्य में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वहां के जो अध्यक्ष हैं वे अपने कर्मचारियों और जो अनुदान उनको आप देते हैं उनका दुरुपयोग करते हैं तो यह एक इन्डाइरेक्ट वे में जिला परिषदों को जो सरकार अपने नियंत्रण में जिलाधीश को उसका काम सौंप कर कार्य करना चाहती है और इस आधार पर उसे मजबूत करना चाहती है। इसलिये यह एक आवश्यक सवाल है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इसे क्लियर कर दें। तो मैं चाहूंगा कि मंत्री जी बाद में भाषण देंगे और इसे स्पष्ट करेंगे। यह इसमें स्पष्ट है कि राज्य सरकार कमेटियों को नियुक्त करेगी। अगर वह नहीं है तो मंत्री जी उत्तर दे दें।

अभी एक माह पहले तो सरकार यह प्रस्ताव लायी थी कि जिला परिषदों को समाप्त कर दिया जाय लेकिन उसके तुरन्त बाद ही यह अमेंडमेंट ले आयी। यह सदन का भी अपमान है। आज लोगों में यह विचारधारा पैदा हो रही है कि विधान सभा में एक बात पास होती है लेकिन कल को दूसरी बात पास करा ली जा सकती है। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण देंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

अध्यक्ष महोदय, जिस समय जिला परिषदों को समाप्त करने का बिल सदन में आया था उस समय सचमुच में इधर के माननीय सदस्यों, जनसंघ पार्टी के लोगों, सिन्डीकेटी और इंडीकेटी तथा बी० के० डी० के लोग तथा पूरे प्रदेश की जनता को इससे बड़ी खुशी हुई थी और कहा था कि माननीय चरण सिंह जो बिल लाये हैं वह प्रशंसा के योग्य है। लेकिन हमारे यहां से वह बिल पास होकर विधान परिषद् में गया लेकिन विधान परिषद् से जो संशोधन बिल में आया है उसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि श्री चरण सिंह का जो सही रूप है वह हमारे सामने इस बिल के रूप में आ गया है। हम जानते हैं कि मुख्य मंत्री में सदन में कुछ और बात रहती है और बाहर कुछ और हो जाती है। जैसे, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। जब तक व मुख्य मंत्री बने रहेंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा।

श्री अध्यक्ष---

आपको व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं करना चाहिये। आप गवर्नमेंट के लिये कह सकते हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय---

पहले बिल में कहा गया था कि जिलाधीश के हाथ में अधिकार दिया जायगा लेकिन यहां पर फिर उसको समाप्त किया जा रहा है। धारा २ (१) (ग) में दिया हुआ था---"राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट पिछले अन्तिम खंड द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों के संबंध में, इस प्रकार प्रदत्त अधिकारों को, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, प्रतिनिहित कर सकता है।"

इसके आगे दिया हुआ था---"जिला मजिस्ट्रेट खंड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों के संबंध में ऐसे निकाय या समिति से परामर्श कर सकता है जो उसके लिये संगठित की जाय।

लेकिन अब यह कर दिया गया है---"जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ संघटित की जाय।"

मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर गुप्ता जी और कांग्रेस की पिछले २० साल की सरकार क्या करती रहीं? लेकिन यह सरकार जो स्वच्छ प्रशासन की हामी है वह कहती थी कि पक्षपात-पूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है और अनावश्यक रूप से दखल दे रही है, उन सरकार के रवैये को हम खत्म करेंगे। इस भावना से प्रेरित होकर जिलापरिषदों को खत्म करने की बात थी लेकिन इस संशोधन से यह साबित हो गया कि यह भी वही काम करने जा रहे है जैसा कि पिछली कांग्रेस की सरकारें करती रहीं कि किसी न किसी प्रकार से कुर्सी न जाने पाये। उसके लिये अनेक प्रकार के हथकंडे और तिकड़मबाजी की जा रही है, वही हथकंडे माननीय चरण सिंह की सरकार भी अपना रही है जो बीस साल से वे लोग अपनाते रहे कि ग्राम सभाओं से लेकर ऊपर तक की सब संस्थाओं में कांग्रेस के लोग किस प्रकार से भरे जायं। सारी कमेटियों पर किस प्रकार कब्जा रखा जाय कि सारा शासनतन्त्र हमारे हाथ में रहे। जिस समय चरण सिंहजी मुख्य मंत्री बने थे, उसी समय यह तो ज्ञात हो गया था कि किन परिस्थितियों में वे बन रहे हैं। आज सदन में बैठकर वे कुछ कहते हैं और दूसरे ही दिन उसके विपरीत कहते हैं। इस संशोधन को देखकर मुझे आज बहुत कष्ट हुआ। मैं नहीं समझ पाया कि जिलाधीश से यह अधिकार क्यों लिया जा रहा है। क्या वह गवर्नमेंट का आदमी नहीं है। जब यह कार्य जिलाधीश के ऊपर छोड़ दिया गया था तो फिर उससे क्यों वापस लिया जा रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि उसमें इन्डीकेट और बी० के० डी० के लोगों को भरा जायगा। उससे वहां बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार पनपेगा। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इसकी जो मूलभूत भावना थी कि जिला परिषदों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय, तथा जिला परिषदें जो नाजायजतौर पर दखल दे रही हैं, उसको खत्म किया जाय ताकि वे जनहित की संस्थाएं बनी रहें, वह चीज खत्म हो रही है। तो इसको निकालिये नहीं तो २० साल तक कांग्रेस की सरकार ने जो काले कारनामे किये हैं उनमें एक यह अध्याय माननीय चरणसिंह जी के नाम भी जुड़ जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री जगन प्रसाद रावत---

मुझे ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्यों को कुछ गलतफहमी है क्योंकि जितनी बातें कही गयीं उनका संशोधन से कोई संबंध नहीं है। यह तो मूल विधेयक की बातें माननीय सदस्य कर रहे हैं। वह तो आप पास कर चुके हैं। हम तो उसमें कुछ कमी करने का संशोधन लाये हैं। पहले इसमें कुछ संशोधन करने के अधिकार मांग लिये थे। मैंने इसके जरिये से

[श्री जगन प्रसाद रावत]
यह प्रतिबन्ध लगा दिया है कि वही संशोधन कर सकते हैं जिससे मूल अधिनियम के स्वरूप में फर्क न पड़े। दूसरे, इसमें ऐसा कोई प्राविधान नहीं था कि इस विज्ञप्ति को सदन के समक्ष रखेंगे। इसमें मैंने यह संशोधन मान लिया है कि विधान परिषद् का कि इस विज्ञप्ति को सदन के समक्ष १४ दिन तक रखेंगे। यह तो जितनी बातें हैं वह मूल अधिनियम में हैं। मेरे चार्ज लेने से पहले वह आप ही लोगों ने पारित किया था।

श्री अध्यक्ष---

अब मैं राय ले लेता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

कोई संशोधन न होने की वजह से पंचायती राज मंत्री जी कार्यसूची पर नम्बर १२ को प्रस्तुत करें।

श्री जगन प्रसाद रावत---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों को स्वीकार किया जाय।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। जिन शब्दों के साथ मंत्री महोदय ने बयान दिया है वह गलतफहमी दूर करने के लिये नहीं बल्कि गलतफहमी पैदा करती है। सही बात तो यह है कि इस विधेयक में यह बात कह कर कि समय-समय पर सरकार जो घोषित करेगी उसके अनुसार होगा और इस प्रकार के प्राविधान कर दिये गये कि सरकार जिला परिषद् को संचालित करने के लिये अपने हाथ में अधिकार लेगी और जिनको रखना चाहेगी उनको रख कर वहां का प्रशासन चलायेगी। अब तक आई०जी० से ले कर छोटे अधिकारियों तक जिनको इन्होंने समझा कि ये बी० के०डी० के पक्ष में अन्याय कभी स्वीकार नहीं कर सकते उन सबको बदल कर अपनी जाति के आधार पर, रिश्तेदारी के आधार पर नियुक्ति की है। इसी प्रकार से जिला परिषद् को कमेटियों को नियुक्त कर के पूरी पार्टी बेसिस पर लाभ उठाने की दृष्टि से और आगे आने वाले निर्वाचन में उपयोग करने की दृष्टि से यह सरकार.....

(व्यवधान) (श्री महीलाल के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

माननीय महीलाल जी, मैं तर्क जरूर दे सकता हूं लेकिन आपको या और माननीय सदस्यों को बुद्धि नहीं दे सकता हूं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रजातंत्र पर आघात है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को खत्म करने के बाद इस प्रकार के विधेयक का लाना तानाशाही को पनपाने वाला और पार्टी विशेष के हित को दृष्टि में रखने वाला है। इसकी जितनी भी निन्दा की जाय कम है। इन शब्दों के साथ मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री जगन प्रसाद रावत---

श्रीमन्, मैं उत्तर क्या दूं जबकि जो संशोधन हैं उन्हें माननीय सदस्य पढ़ने का कष्ट न करें। जो चीजें संशोधनों में नहीं हैं उन्हीं पर जोर दिया जाता है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

कोई कमेटी सरकार बनायेगी या नहीं बनायेगी यह तो बता दिया जाय ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इन संशोधनों में केवल दो बातें मुख्यत: हैं कि जो अधिकार लिये गये थे उनमें हमने यह प्रतिबन्ध लगा दिया है कि उसमें मूल अधिनियम के सार में फर्क न पड़े, दूसरे विज्ञप्ति जो निकले वह सदन के समक्ष रखी जाय। इसके सिवा....

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

जो विज्ञप्ति निकलेगी उसको सदन के सामने सूत्रवत् रख दिया जायगा और गजट तो अपने आप हमारे सामने आ ही जाता है तो उसको सदन में रखने में कौन-सी कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों को स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२८ मई, १९७० ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ७१ एल०—ए०—१९७१—८४५ (मै०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा